राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 23

मंगलवार;

25 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: होली की राम राम सा।

श्री उपाध्यक्ष: राम राम, होली की विशेष तौर से राम राम। श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): प्रश्न संख्या-379

सूचना

चित्तौड़गढ़ में साम्प्रदायिक तनाव

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आग से चित्तौड़ जल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल हो रहा है (व्यवधान) प्रश्नकाल के अंदर इस तरीके से ....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रश्नकाल के बाद बात कर लें (व्यवधान) महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नकाल के अंदर इस तरह... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के अंदर इस तरह से प्रतिपक्ष के नेता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्नकाल के बाद बात कर लें। (व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रश्नकाल के बाद...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)ः यह प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद कर लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)ः उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर इस तरह से....(व्यवधान) प्रश्नकाल के अंदर इस तरीके से...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)ः प्रश्नकाल के बाद आप अपनी बात कीजिए। (व्यवधान) इतना महत्वपूर्ण सवाल लगा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः सुनने को ही तैयार नहीं है कोई बात। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः प्रश्नकाल के बाद कर लेना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)ः यह तय करके आये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः प्रश्नकाल में प्रतिपक्ष के नेता ने कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया। इस तरह कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया। प्रतिपक्ष के नेता ने इस तरह से नहीं किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः बात करिये जो करनी है..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न ही पूछे जाते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः लोग मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः प्रश्नकाल में कभी इस तरह से खड़े नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इन प्रश्नों का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सरकार का बहुत बड़ा खर्चा है (व्यवधान) एक-एक प्रश्न का जवाब तैयार करने में लगता है । उपाध्यक्ष महोदय, इतने खर्चे करने वाले (व्यवधान) इतने इम्पोरटेंट जवाब को सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) उनको सदन में बोलने नहीं देते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बात तो करने दीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आज तक ऐसा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अभी बात भी नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रश्नकाल में कभी प्रतिपक्ष के नेता ने इस तरह सवाल नहीं उठाया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई बात सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह तरीका गलत है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप लोगों को सदन चलाना नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बात ही सुनना नहीं चाहते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कोई तरीका नहीं है। यह कौन सा तरीका है ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तरीका है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तय करके आये हैं सदन नहीं चलेगा...(व्यवधान) ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान) यह कौन सा तरीका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक घंटे में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब तक कोई निर्देश नहीं दें ...(व्यवधान) पहले एक घंटा प्रश्नकाल होगा यह नियमित... (व्यवधान) आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावना को समझ रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं वह कहेंगे। (व्यवधान) नहीं-नहीं क्या होता है। पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। (व्यवधान) पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन की गरिमा को इस तरह...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हेमारामजी बोलिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहले...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज पूरा राजस्थान (व्यवधान) टोंक जल रहा है, चित्तौड़ जल रहा है, रायपुर जल रहा है, नैनवां जल रहा है और पूरे राजस्थान के अंदर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह खड़े हैं, कोई बात है (व्यवधान) आसन का इस तरह से...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। कोई चीज नहीं है व्यवस्था नाम की, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। (व्यवधान) पहले लीडर आफ अपोजिशन बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए थे, पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए थे, पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे । (व्यवधान) जल संसाधन मंत्री को बोलने का कोई हक नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकण्ड मैं अपनी बात कह दूं उसके बाद भले ही आप बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। (व्यवधान) तब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये थे...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खड़े हो गये थे। (व्यवधान) पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पूरा राजस्थान जल रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तैयार हूं, जो समय आप तय करेंगे, स्टेटमेंट दे दूंगा, जो भी डिसकशन चाहे, उसका मैं जवाब दे दूंगा (व्यवधान) घटना तो जो हुई है उसको न तो मैं छुपा सकता हूं न राजस्थान का कोई व्यक्ति छुपा सकता है। अगर कमी है तो उसको मैं....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। (व्यवधान) राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है। (व्यवधान) आप राजस्थान को...(व्यवधान) बनाना चाहते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस तरह से हल्ला करके.. (व्यवधान) मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जो समय आप तय करेंगे मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं देने को तैयार हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पुलिस की मौजूदगी में लोगों के घर और दुकान जलाई हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्रीजी ने कह दिया स्टेटमेंट देने को तैयार हैं फिर विवाद किस बात का है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नेता प्रतिपक्ष की बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गृह मंत्रीजी कह रहे हैं वह स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): एक सोची समझी रणनीति के द्वारा अननेसेसरी साम्प्रदायिकता का ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहली बार प्रतिपक्ष... (व्यवधान) कांग्रेस एक साम्प्रदायिक पार्टी है।

एक माननीय सदस्य : इनको काम ही क्या है और। (व्यवधान) साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नेता प्रतिपक्ष की बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रद्युम्न सिंहजी...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कहने दीजिए इनको अपनी बात... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुन लेंगे इनकी बात, सुन लेंगे, इनकी। माननीय सदस्य....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हेमारामजी को कहने दीजिए अपनी बात।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा किसान गांव से संबंधित, ज्वलंत समस्याओं से संबंधित प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय प्रतिपक्ष के नेता किसान हैं इनको देखना चाहिए एक ज्वलंत प्रश्न है उसको आने दीजिए, प्रतिपक्ष हल्ला मचा रहे हैं जबरदस्ती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बैठ जाइयें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्यों बैठ जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न आने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने जो बात कही, गृह मंत्री महोदय ने कह दिया...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सुनी तो है नहीं क्या कह दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ): क्या कह दी। (व्यवधान) आप सुनेंगे नहीं। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) आसन का इस तरह...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह क्या बात हुई । (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आसन की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या तरीका है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। (व्यवधान) कभी नहीं हो सकता (व्यवधान) आपकी व्यवस्था है। यह कैसे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बैठ जाओ, क्या तरीका है। (व्यवधान) सदन को वैसे ही कह दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आसन पैरों पर।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह कैसे हो सकता है। (व्यवधान) एक ही सवाल है माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने प्रतिपक्ष को इशारा दिया। (व्यवधान) प्रतिपक्ष बोलता है, ना ना कभी नहीं हो सकता, आसन की व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। बैठिये बैठिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वैसे तो नेता प्रतिपक्ष को भी प्रश्नकाल में नहीं पूछना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। फिर भी मैंने आसन की तरफ से आपको अपनी बात कहने का मौका दिया है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिये। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि प्रश्नकाल बहुत ज़रूरी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, नो कमेण्ट्स।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रश्नकाल से भी ज्यादा यह जो साम्प्रदायिकता की आग में प्रदेश जल रहा है, इस मुद्दे पर सरकार की जो लापरवाही रही, उस लापरवाही की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना, हमारा दायित्व है। सरकार के मंत्री राजवी साहब ने कहा है कि सरासर लापरवाही की वजह से यह घटना घटित हुई। अगर लापरवाही नहीं होती और तो यह घटना नहीं घटती।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनिये, आप सुनिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब इस सरकार के मंत्री और वहां के स्थानीय विधायक राजवीजी बोले कि सरासर लापरवाही हुई है। (व्यवधान) वहां के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री, यह कहें कि सरासर लापरवाही हुई है और प्रशासन से सरासर लापरवाही हुई है। (व्यवधान) तो जब प्रशासन ने सरासर लापरवाही बरती है तो प्रशासन के खिलाफ अब तक आपने क्या कार्यवाही की। (व्यवधान) इसकी आपको स्वयं (व्यवधान) दे देनी चाहिए। सरकार जब इस बारे में मौन है और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरासर लापरवाही हुई है और यह गृह मंत्रीजी को पहले से ही सब कार्यवाही ठप्प करके इसमें पहले अपनी बात कहनी चाहिए। (व्यवधान) सरकार की क्या लापरवाही हुई और लापरवाही में कौन दोषी हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्यवाही कर दी और इस साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने के लिये आपने एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाये, कुछ तो सदन को आपको (व्यवधान) आज यहां पर यह घटना हुई। बर में गायों के मामले को लेकर के पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी बीच में दूसरी बात मत लाइये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): टोंक के अन्दर घटना हुई। पूरे प्रदेश के अन्दर होली जैसा त्यौहार...। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप दूसरी बात मत करिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): होली जैसे पवित्र त्यौहार के ऊपर त्यौहार मनाना तो दूर, आज साम्प्रदायिकता की आग में प्रदेश को झोंक दिया और इसमें प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन को बचाया जा रहा है। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है जबकि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका आ गया, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आपकी बात आ गई।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह वहां के स्थानीय विधायक और मंत्रीजी ने कहा। सरकार उस बात का भी कोग्नीजेंस नहीं ले रही है तो इस सरकार से क्या उम्मीद करें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गई बात।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब कोई बात कहने के लिये खड़े हों तो सत्तापक्ष को अपने बहुमत से यहां नहीं रोकना चाहिए, इनको शालीनता से सदन के अन्दर जो ज़रूरी मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करने दीजिये, दो मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें पहले उनको चर्चा करने के लिये तैयार होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपकी तरफ से काफी लोगों के स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं। मंत्री महोदय से सम्पर्क हो गया था, वे वैसे तो दो बजे स्टेटमेंट देंगे। फिर भी अभी तैयार हैं, वे प्रश्न काल के बाद में स्टेटमेंट देने के लिये, इतनी जल्दी है तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके चैम्बर में खुद ही चलकर आये थे, गृह मंत्रीजी, खुद ही तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो वे अब भी तैयार हैं, खुद भी, कि अभी प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद में इनका वक्तव्य दिला दिया जाए। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है, कोट किया है। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से हो सकता है, यह जांच का विषय है। और 'जांच का विषय' आपने अख़बार में पढ़ा नहीं है। वह छपा नहीं है। (व्यवधान) यह आज...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप दबाव में आकर के अब बदलें तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई सवाल-जवाब नहीं होगा इसमें।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय नेता, प्रतिपक्ष, हमेशा मैंने आपकी बात सुनी है, कभी बीच में नहीं बोला। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: पेपर में आई हुई बात पर खुद कह चुके हैं, माननीय सदस्य, बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये, आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, आप। कुछ अंकित नहीं होगा। बात सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सवेरे, जैसे ही स्थगन प्रस्ताव की जानकारी मुझे मिली, मैंने तुरन्त आपके यहां सम्पर्क किया और कहा कि इन सारे विषय पर जो भी स्टेटमेंट है, वह देने के लिये तैयार हूं। प्रदेश में अशांति न रहे, यह मेरी, आपकी, सब माननीय सदस्यों की, जिम्मेदारी है। और मैंने इस बात को बिना विलम्ब किये, मैंने इसके लिये कहा और आपकी ब्रांच से बातचीत होने के बाद मुझे कहा कि दो बजे आपको स्टेटमेंट देना है। मैं उस हिसाब से, क्योंकि आपने सारी घटनाओं को भी साथ में जोड़ा है, अलग-अलग प्रस्ताव के माध्यम से तो इन सारी बातों को बनाना और इकजाई करने में, जब आपके यहां से समय मिला तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की। मैं यहां प्रश्नकाल प्रारम्भ होने के समय भी अनुपस्थित था। वह केवल उसी कारण से था कि उस बारे में जो भी जानकारी मुझे करनी थी, वह मैं कर रहा था और जैसे ही सदन में विषय उठा, मुझे मालूम नहीं था कि प्रतिपक्ष के नेता बोलने के लिये खड़े हुए। मैं जिस समय आया था उस समय दूसरे विषय हो रहे थे तो मेरे को रोकने का कोई मंशा नहीं थी। न मैं किसी चीज को छिपाना चाहता था। अगर कहीं भी कोई कमी-खामी हुई है तो मैंने कहा कि पहले एक बार ला-एण्ड-आर्डर ठीक सा बन जाए फिर उसके बाद कमी-खामी रहे तो मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि मेरा स्वयं का, मेरे विभाग का भी दायित्व है। चाहे, मुझे कोई कहे, न कहे, अगर मेरे स्तर पर कहीं कमी रही है तो उसको ढूंढना भी और उसका इलाज करना मेरा दायित्व है। मैंने उसे छिपाया नहीं, और मैं स्टेटमेंट देने के लिये, आपने दो बजे का जो समय दिया है, मैं उन सारी घटनाओं की, जो भी प्रदेश में हुई हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिये तैयार हूं। यह घटनाएं पहली बार हुई हों, ऐसी बात नहीं है। दुर्भाग्य है इस राजस्थान का कि समय-समय पर ऐसे कोई धार्मिक आयोजन के समय कुछ इस प्रकार की घटनाएं कई बार घटी हैं। लेकिन हम और आपने सब ने मिलकर एक प्रयास यह किया है कि जल्दी से जल्दी शांत वातावरण बनकर, जन-जीवन सामान्य कैसे बने इसके लिये और चूंकि चित्तौड़ में अभी कर्फ्यू दो घण्टे के लिये उठाया था और इस कारण से मैं उसके बारे में स्टेटमेंट की तैयारी की दृष्टि से गया था और मेरी जानकारी यह थी कि क्वेश्चन अवर में यह विषय नहीं उठेगा। इसलिये मुझे यहां उपस्थित होने में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जान-बूझकर विलम्ब नहीं किया, उसे देखने के हिसाब से विलम्ब हुआ और दो बजे, जैसे आपकी ब्रांच से कहा है, मैं निश्चित रूप से दूंगा, उस पर जो आपको सवाल पूछने हों, जहां आपको कमियां लगती हैं, आप जरुर उसको कहें, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश के हित में और जनता के हित में क्या कर सकते हैं, उसको करने के लिये हम बिलकुल तैयार हैं। हमने कभी भी किसी बात को छिपाया नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे सलाह ले लेंगे, आपसे ले लेंगे सलाह। (व्यवधान) माननीय सदस्य, गृह मंत्री महोदय का दो बजे स्टेटमेंट होगा। माननीय सदस्य, दो बजे गृह मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य, कोई बहस की बात नहीं है। श्री भागीरथ चौधरी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को मुआवजा

379. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आकस्मिक आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक दुर्घटना से हुई हानि का मुआवजा देने सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में गत चार वर्षों में कितने अग्निपीड़ितों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई एवं उनके आग से हुए सम्पूर्ण नुकसान यथा, सम्पत्ति, चारा, पशु, बाड़ा आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सही है कि सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों को इतनी कम राशि दी जाती है, जिससे किसी भी छोटे से छोटे आवास का निर्माण किया जाना भी सम्भव नहीं है। यदि हां, तो क्या सरकार जनता के हित में मुआवजा देने के

(श्री भागीरथ चौधरी)

मानदण्डों को बदलने अर्थात् मुआवजा राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): (1) जी हां। सी.आर.एफ. के नवीनतम मानदण्डों (26.06.2007) की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में गत 4 वर्षों में अग्नि पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई सहायता और नुकसान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। अग्नि पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता रात के रूप में होती है, मुआवजे के रूप में नहीं होती है। अग्नि पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मानदण्ड भारत सरकार द्वारा सी.आर.एफ. के नोर्म्स के रूप में तैयार किये जाकर घोषित किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा लगभग 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् इन मानदण्डों में परिवर्तन/वृद्धि की जाती है। अब तक केन्द्र सरकार द्वारा 1990, 1995, 2001 एवं 2007 में सी.आर.एफ. के नोर्म्स घोषित किये गये हैं।

(**विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया**)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं और वैसे इनका जो जवाब आया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार है, यह भारत सरकार द्वारा यह नोर्म्स हर 5 वर्ष में इसमें संशोधन किये जाते हैं। आज किसान के घर में कुछ नहीं रहता, सिर्फ वह वहां निवास करता है। उसके बाड़े के अन्दर ही सब कुछ, उसकी सम्पत्ति रहती है, चाहे मवेशी हों, चाहे चारा हो, चाहे लकड़ी हो या कृषि उपकरण हों और जब आग लग जाती है तो उसको कुछ नहीं बचता है। उसके सामने बड़ी, एक बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाती है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ चार साल के अन्दर 86 मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो घटनाएं घटी हैं, उसमें राजस्व रिकार्ड के आधार पर 31 लाख का नुकसान हुआ है और उसमें सिर्फ 1,26,300 रुपये दिये गये हैं। यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान एक सहायता है। अब कोई इण्डस्ट्री है, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जाती है। परन्तु किसान के घर में कुछ नहीं है, सब कुछ है जो उस बाड़े में है। चारा आज

(श्री भागीरथ चौधरी)

अनाज से भी ज्यादा महंगा है और इतना नुकसान हो जाता है और उसके लिये कुछ भी नहीं, इसके आधार पर जो इन्होंने बताया है, जहां-जहां 80-80 हजार का नुकसान हुआ है, वहां हजार-हजार, बारह-बारह सौ रुपये की सहायता दी गई है।

मैं मान रहा हूं कि किसानों के साथ एक बहुत क्रूर मजाक हुआ और इसके लिए भारत सरकार से, केन्द्र सरकार से तो राज्य सरकार को मांग करनी चाहिए कि नार्म्स में परिवर्तन करें और किसान को सहायता दी जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इन अग्नि पीड़ितों को सहायता देने के लिए, नहीं, तो सहायता राशि के लिए चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष बनाकर और इनको सहायता दी जाए ताकि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं है, यह पूरे राजस्थान की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गया आपका। माननीय सदस्य, यह तो अभी देखो, आपको कह दिया है इन्होंने मानदंडों के अनुसार दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यहां 31 लाख रुपये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मुआवजा की राशि नहीं है, अब आप उसी बात को ही बार-बार कह रहे हैं। प्रश्न का जवाब तो आ गया। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह क्या है आखिर? आखिर किसान आज, किसान जिसके बाड़े में ही सब कुछ है उसकी सम्पत्ति, घर पर कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वह बात ठीक है लेकिन वह ... (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आप तो खुद किसान हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाड़े में सब कुछ खतम हो जाता है और उसको हजार-बारह सौ रुपये सहायता मिलती है तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से और मैं मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक मुख्य मंत्री आपदा कोष इस तरह का बनाकर इन किसानों को चूंकि, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है। चाहे वह किसी वर्ग का हो और उसके बाड़े में ही सब कुछ है। आज चारा अनाज से भी महंगा है और इतना नुकसान हो जाता है और उनको 1000-1200 रुपये की सहायता मिलती है तो एक बहुत बड़ा दु:खद पहलू है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से

(श्री भागीरथ चौधरी)

यह मानना है, चूंकि, मैं यह मानता हूं कि यह केन्द्र की सरकार का मामला है, नार्म्स वही परिवर्तन करते हैं तो मैं प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, वे खुद किसान हैं, खुद किसान के बेटे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष ही नहीं, क्योंकि किसान की बहुत ही स्थिति खराब है और ऐसी स्थिति में इसमें नार्म्स में परिवर्तन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रश्न पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष: वह आ गयी बात आपकी। यह तो सारी सदन की भावना यही है, माननीय सदस्य, पर नियमों के अनुसार जो वह होता है, वह दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, पहला तो यह है कि सवाल का उत्तर अपूर्ण दिया है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि सरकार द्वारा आकस्मिक आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक दुर्घटना से हुई हानि का मुआवजा देने संबंधी मानदंड क्या है? आपने सिर्फ भारत सरकार का जवाब दिया और सैण्ट्रल रिलीफ फण्ड का जवाब दिया जबकि राजस्थान सरकार 2005 में राजस्थान आपदा राहत कोष की स्थापना कर चुकी है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो कोष स्थापित किया है, माननीय सदस्य ने यह ध्यान आकृष्ट किया कि 31 लाख का नुकसान हुआ और 1 लाख 26 हजार ही किसानों को मिला तो आप कृपया, यह बतायें कि राजस्थान आपदा राहत कोष के इस सम्बन्ध में क्या मानदंड है और किसानों को भारत सरकार के मानदंड में लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस कोष की स्थापना इसीलिए ही की गयी थी कि राजस्थान के लोगों को लाभान्वित किया जा सके। तो उन मानदंड, राजस्थान के कोष के आधार पर सरकार किस रूप में किसानों को आगजनी और प्राकृतिक दुर्घटना से लाभान्वित करने की मंशा रखती हैं और पिछले पांच साल में आपने उस कोष से कितना पैसा दिया है? (व्यवधान) किशनगढ़ के लोगों को, यह हमें बता दें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात आपकी ... (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरा मानना है कि पाला और शीतलहर में यह यू.पी.ए. की सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। ऐसे ही यह इसके साथ यू.पी.ए. की सरकार मजाक कर रही है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से हटकर एक बात कहना चाह रहा हूं, अभी इन्होंने किसानों की ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): किसानों का कर्जा माफ किया, मैं आपको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) आज किसान की हालत यह है कि जिन किसानों ने एक किश्त जमा करा दी है, उन किसानों को कोई कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। यह किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, यह यू.पी.ए. की सरकार है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): वह सब उधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। यह केन्द्र की सरकार, भारत सरकार जो सी.आर.एफ. है और एन.सी.सी.एफ. के नार्म्स बनाती है तो मेरा मानना है, मैं प्रतिपक्ष से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस नार्म्स में परिवर्तन करके इनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जिस आधार पर अग्नि पीड़ितों को सहायता दी जाती है क्या राजस्थान में भी उसी हिसाब से देने के लिए तैयार है? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार भी कुछ करने वाली है क्या, इस बारे में राहत मंत्री महोदय जी कुछ तो बतायें ... (व्यवधान) कि क्या राहत देने में, राहत मंत्रीजी कुछ राहत देंगे? क्या सी.आर.एफ. नार्म्स नहीं बदले तो ... (व्यवधान) और पांच साल में उसका नुकसान हुआ ... (व्यवधान) क्या राजस्थान की सरकार सहायता देगी? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हरियाणा में केन्द्र सरकार के मानदंडों के अतिरिक्त भी बड़ी मात्रा में लोगों को, अग्नि पीड़ितों को सहायता देती है ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ... (व्यवधान) रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायकजी, हरियाणा में कुछ तो नहीं दिया है। हरियाणा में कुछ भी नहीं हुआ है। (व्यवधान) हरियाणा में भी पाले का कुछ नहीं दिया है।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) अब आप हरियाणा की बात कर रहे हो। हरियाणा में कुछ नहीं है ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हरियाणा में भी कुछ नहीं दिया है, किसानों को पाले का हरियाणा में कुछ नहीं दिया, यहां पर गलतफहमी मत करो ... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। बीच में नहीं, बीच में नहीं। बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ... (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है। इन्होंने किसानों के साथ मजाक किया है। (व्यवधान) जिन किसानों ने एक किश्त जमा करा दी ...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आप तो यह बतायें कि राहत कोष से कितनी सहायता दी है। मंत्री महोदय, राहत कोष से राजस्थान सरकार ने क्या-क्या दिया, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह यू.पी.ए. की जो सरकार है, उसने किसानों के साथ खिलवाड़ किया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपने राजस्थान सरकार के राजस्थान राहत कोष से क्या-क्या सहायता दी पिछले चार साल में? आप तो यह बताओ। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह यू.पी.ए. की सरकार है इन्होंने 60000करोड़ ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह सब किसानों के साथ मजाक किया है इन्होंने ... (व्यवधान) जिस किसान ने एक किश्त जमा करा दी है, उस किसान का कर्ज यह माफ नहीं कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मजाक तो छोड़ो, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): राजस्थान सरकार ने पिछले चार साल में राहत कोष से क्या दिया? यह बताओ आप तो ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारे से पूछ रहे हैं या सरकार से पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1955 से राज्य सरकार ने ... (व्यवधान) एक मिनट-एक मिनट, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): 1955 से राज्य सरकार ने अग्नि-पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का मुख्य मंत्री कोष से देने का निर्णय हुआ, उसके बाद में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1989 में कुछ अमेंडमेंट किया, राशि की बढ़ोतरी की, 1992 में किया गया और 25.11.1997 को सी.आर.एफ. के नार्म्स के तहत अग्नि-पीड़ितों को जो इससे प्रभावित हैं, उनको सहायता देने का नार्म्स तय किये गये। उसके बाद में 24.12.2001 और फिर 27.6.2007 को, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान आपदा कोष की इन्होंने बात की, जहां भारत सरकार के द्वारा जो सी.आर.एफ. के नार्म्स तय कर रखे हैं, जो ले-डाउन कर रखे हैं, उनमें अगर राहत पहुंचाने की व्यवस्था है तो वह राजस्थान आपदा कोष से सहायता नहीं दी जा सकती। वास्तव में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है और समय-समय पर, पांच साल के बाद में सी.आर.एफ. के नार्म्स के अन्दर परिवर्तन किया जाता है। पहले अगर कोई

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अग्नि पीड़ित या कोई कैजुअल्टी हो जाती थी तो वह नॉमिनल पैसे देते थे, अभी 2007 में इसको एक लाख रुपये किये हैं, आप फरमायें तो मैं इसको कम्प्लीट बता दूं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह तो आ गयी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): कि अगर कोई शरीर का अंग भंग हो गया तो पचास हजार रुपये, कैजुअल्टी हो गयी तो समय-समय पर पांच साल के बाद में निरन्तर रूप से परिवर्तन होता रहता है और यह सी.आर.एफ. के नार्म्स से अग्नि पीड़ितों को जो राशि है, उसके हिसाब से ही हम प्रदान कर सकते हैं और राजस्थान आपदा कोष के अन्दर कुंए में गिरने से कोई मृत्यु हो गयी हो, कोई यह जो हो गयी हो तो उसके बारे में समय-समय पर हमने राजस्थान आपदा कोष से सहायता प्रदान की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नवरतन राजोरिया।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): सारा सामान बाड़े में ही पड़ा रहता है किसान का और खलिहान में आग लग जाने के बाद आपके द्वारा कोई एक नया पैसा भी नहीं दिया जाता है। उसमें कोई प्रावधान तय किया जाएगा क्या, माननीय मंत्री महोदय, खलिहान में आग लग जाने के बाद जब किसान पूरी फसल इकट्ठा करके ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): जब किसान पूरी फसल इकट्ठा करके ... (व्यवधान) फसल में अगर ओला लग जाता है, ओला जब लगता है जब किसान को सहायता देते हो लेकिन जब खलिहान जल जाते हैं तो उसमें एक नया पैसा भी आप नहीं देते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई व्यवस्था करने की व्यवस्था करेंगे, किसान के लिए कोई सहायता हो तो वह बताइये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शीतलहर और पाले की बात की ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री नवरतन राजोरिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): पहले भी यहां पर एक संकल्प लिया गया, भारत सरकार से आग्रह किया गया कि सी.आर.एफ. के नार्म्स के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अन्दर परिवर्तन किया जाए। जो शीतलहर और पाला है, जो नार्म्स तय किये हैं उसमें इसको भी शामिल किया जाए और यहां पर अग्नि पीड़ितों के लिए सी.आर.एफ. में नार्म्स के जो आधार हैं, उसमें प्रदान करने के लिए ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हरियाणा में नहीं है कि सी.आर.एफ. में? हरियाणा में क्यों देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो हरियाणा की बात। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हरियाणा, आपके पड़ोस में खूब देते हैं न। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हरियाणा में भी एक नया पैसा नहीं दिया। हरियाणा में एक नया पैसा नहीं दिया और यहां पर ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): भारत सरकार से आग्रह कर, हम यहां से प्रस्ताव भेजते हैं और आप भी अपने प्रभावों का प्रयोग कर ... (व्यवधान) इस राज्य के नार्म्स के अन्दर परिवर्तन कराने के लिए ... (व्यवधान) प्रस्ताव भेज दें? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हरियाणा में कौनसा पैसा दिया गया? हरियाणा में एक पैसा दे दिया? नहीं, हरियाणा ने दे दिया क्या? कह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वहां आप 500 रुपये देते हो, आप 500 रुपये देते हो ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आपका बार्डर लगता है तो मेरा भी बार्डर लगता है। एक नया पैसा हरियाणा में जो है वह इसमें नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): खलिहान के बारे में बताइये।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): एक पैसा भी नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य। श्री नवरतन राजोरिया। बैठिये-बैठिये, हो गया।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): खलिहान के बारे में बता दो।

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रोगी संख्या के अनुपात में कार्यरत वेंटीलेटर

380. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में वर्तमान में मरीजों के लिए कितने वेंटीलेटर हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत खराब हैं? मरीजों की संख्या को देखते हुए क्या सरकार अतिरिक्त वेंटीलेटर खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गत तीन वर्षों में स्थापित वेंटीलेटर कब-कब खराब रहे तथा इनके खराब रहने से कितने मरीजों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मरीजों के लिए वेंटीलेटर किस-किस वार्ड में कितने-कितने स्थापित किये गये हैं तथा उनके रख-रखाव के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी): (1) एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर के संलग्न सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 33 वेंटीलेटर हैं, जिनमें से 13 खराब है तथा 20 काम में आ रहे हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त वेंटीलेटर उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्यवाही अमल में लाई जा रही है :-

श्री उपाध्यक्ष: बातचीत नहीं आपस में, माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 1. वर्ष 2007-08 के बजट प्रावधान के अन्तर्गत 3 नये वेंटीलेटर क्रय करने हेतु क्रयादेश दिया जा चुका है। इनकी आपूर्ति शीघ्र हो जाएगी। 31 मार्च से पहले।

2. एम.पी./एम.एल.ए. कोटे से लगभग 80 लाख रुपये की लागत से 8 वेंटीलेटरों की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं एवं यह वेंटीलेटर्स आगामी तीन माह में स्थापित होने की सम्भावना है।

3. चिकित्सालय को दानदाता द्वारा 6 वेंटीलेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्वस्त किया हुआ है, जिसकी आपूर्ति कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

4. शहरी जन सहभागिता के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत पुराने आई.सी.यू. का विस्तार किया जाना भी प्रक्रियाधीन है। इस हेतु भी 6 नये वेंटीलेटर उपलब्ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जब भी वेंटीलेटर खराब होता है तो उसको ठीक कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। एम्बू बैग तथा बेन सर्किट से कृत्रिम श्वास दिया जाता है। कुछ क्रोनिक पेशेंट्स को नॉन/इन्वेजिव वेंटीलेटर द्वारा भी सपोर्ट दिया जाता है। विगत तीन वर्षों में वेन्टीलेटर के खराब रहने के कारण किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वेंटीलेटर्स के रख-रखाव हेतु वार्षिक अनुबन्ध किया हुआ है तथा वेन्टीलेटर के खराब होने पर प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। (व्यवधान)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें एस.एम.एस. मेडिकल कालेज से जुड़े हुए सवाई मानसिंह चिकित्सालय में वर्तमान में 33 वेन्टीलेटर होना बताया है। इनमें से 13 खराब और 20 कार्यरत हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एस.एम.एस. में मरीजों की संख्या को देखते हुए आगामी 2-3 माह में वेन्टीलेटर उपलब्ध कराने की बात कही है। लगभग 23 वेन्टीलेटर और उपलब्ध कराने के लिये आपने व्यवस्था की है, इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गम्भीर और मानवीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एस.एम.एस. चिकित्सालय राजस्थान का ही नहीं, उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अस्पताल है। यहां राजस्थान से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं और यहां आकर इलाज कराने के लिए जब भर्ती होते हैं और उन ..(व्यवधान) सुन लो माननीय सदस्य, बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको कोई शंका हो तो वह दूर करने के लिए प्रश्न पूछिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): पूछ रहा हूं साहब। उसमें वेन्टीलेटर की जब आवश्यकता होती है, हम अप्रोच वाले लोग, वी.आई.पी. लोग, आई.ए.एस. अधिकारी वर्ग के लोग अपनी पहुंच के कारण आई.सी.यू. में या वेन्टीलेटर की आवश्यकता होने पर उनके रिश्तेदारों को मिल जाता है, लेकिन आम आदमी जब वेन्टीलेटर की आवश्यकता होती है तो अनुपलब्धता के कारण

(श्री नवरतन राजोरिया)

उनको कह दिया जाता है कि आप दूसरे अस्पताल में जायें और जहां वेन्टीलेटर की उपलब्धता होती है वहां हजारों रुपये उसके लगते हैं। मैं मंत्री महोदय से इतनी-सी जानकारी चाह रहा हूं कि इमरजेंसी में लगभग 200-250 मरीज प्रतिदिन आते होंगे। उनमें से गम्भीर बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, ऐसे लगभग 10-12 लोग तो रोज आते होंगे। अब आवश्यकतानुसार आप देख लें। माह भर में ऐसे कितने मरीजों को वेन्टीलेटर की आवश्यकता होती है? आप अपनी मोनिटरिंग से या अपने अधिकारियों से पूछकर उनके अनुसार 23 तो आप लगा रहे हैं और जहां आवश्यकता है, यूनिटवाइज आप वेन्टीलेटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं क्या? इसी प्रकार एक वेन्टीलेटर खरीदने में जैसा आपने बताया है, वार्षिक रूप से एस.एम.एस. में उपकरण खरीदने के लिए जो राशि दी जाती है, उसमें नियमित रूप से वेन्टीलेटर खरीदने की व्यवस्था की है क्या? कितनी की है और उसके रख-रखाव के लिये ए.एम.सी. की जो व्यवस्था की है उसके प्रावधान के तहत वेन्टीलेटर लगने के साथ ही इसके रख-रखाव की व्यवस्था उसके साथ जोड़ी गयी है क्या? माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 में मैंने स्पष्ट कहा है कि वेन्टीलेटर खरीद के बाद रख-रखाव हेतु वार्षिक अनुबन्ध किया हुआ है। अब जो वेन्टीलेटर खराब हैं, वह पुरानी टैक्नोलॉजी के जितने भी वेन्टीलेटर हैं, उनकी आयु करीब 8 वर्ष की मानते हैं। उसमें बाद में भी उसको रिपेयर कराते हैं तो वह अन-इकोनोमिक रिपेयर कास्ट आती है। मैं तो माननीय सदस्यों को यह धन्यवाद दूंगा कि 8 वेन्टीलेटर तो आपने इस वर्ष उपलब्ध करा दिये। अप्रैल में किसी एक दिन आप सब लोग इकट्ठे हो जायें, बैठकर तय कर लें। मेडिकल कालेजेज में आप सपोर्ट करेंगे तो उसमें किसी न किसी गरीब की जान बचेगी। आठ वेन्टीलेटर इस आने वाले वर्ष में एमएलए लैड, एमपी लैड से मिल जायें तो एस.एम.एस. में काफी सहयोग मिल पायेगा। हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य भी यहां पर बिराजमान हैं। बीकानेर के पी.बी.एम. में इस प्रकार की व्यवस्था हो। सभी विधायक चाहें कटिंग अक्रास द पार्टी लाइन, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सहयोग मिलने से इसमें इम्प्रूवमेंट आ जायेगा। Ventilator is the necessity now. एक्सीडेंट इतने होने लगे हैं कि एक्सीडेंट में इमरजेंसी में वेन्टीलेटर की आवश्यकता होती है। अब किसी का निकालकर दूसरे के लगाया

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जाना सम्भव नहीं हो पाता और बाहर अगर किसी का इलाज कराने के लिये वेन्टीलेटर उपयोग में लेंगे तो 24 घण्टे में लगभग 12,500-13,000 रुपये चार्ज लगता है तो जहां-जहां मेडिकल कोलेजेज हैं और न्यूरो सर्जरी और कार्डियो सर्जरी के, इस प्रकार के बड़े ऑपरेशन होते हैं, माननीय सदस्य सपोर्ट करेंगे तो सब को लाभ मिलेगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं एस एम एस ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सहभागिता योजना में ले लीजिये, सब कर देंगे।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ऐसे कितने मरीज हैं जिनको वेन्टीलेटर की सेवाओं के अभाव में हम वापस भेज देते हैं? (व्यवधान) वेन्टीलेटर के अभाव में ऐसे कितने मरीज हैं जिनको हम वापस भेज देते हैं? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक भी नहीं है। आप भी बिराजते हो वहां पर, देख लेना ऐसे एक भी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है क्या ऐसी नीति बनाने की कोशिश करेंगे जयपुर शहर में अनेक अस्पताल कार्यरत हैं, यद्यपि आप सवाई मानसिंह चिकित्सालय में वेन्टीलेटर उपलब्ध कराने के लिये सुविधा जुटा रहे हैं, फिर भी अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिये जाते हैं और आई.सी.यू. और वेन्टीलेटर उपलब्ध कराया जाता है तो क्या मूल्य नीति निर्धारण करने और उस पर प्रभावी नियन्त्रण कराने के लिये आप क्या नीति बनायेंगे ताकि आम मरीजों को, गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। साथ ही आपने आग्रह किया, मैं सधन्यवाद देता हूं आपको, आपने एमएलए और एमपी लैड से 8 वेन्टीलेटर उपलब्ध करवाये। मैंने भी पिछली बार एस.एम.एस. में 20 लाख रुपये के उपकरण खरीदने के लिये राशि दी है। एक वेन्टीलेटर देने के लिए मैं अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपये देने की सहर्ष घोषणा करता हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं जिससे

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सरकार इस गम्भीर समस्या के प्रति जागरूक नहीं है? माननीय मंत्रीजी ने बताया 13 वेन्टीलेटर खराब हैं। कब से वेन्टीलेटर खराब हैं? खण्ड-2 में आपने पूछा कि वेन्टीलेटर कब-कब खराब रहे? आंसर में आपने यह नहीं बताया कि कब-कब खराब रहे? 2004 से अब तक आपने कोई नया वेन्टीलेटर नहीं खरीदा। पहले वाले चिकित्सा मंत्रीजी चिकित्सक होने के बावजूद इस समस्या को नहीं समझ पाये तो आप समझ पायेंगे, यह भी मुझे शक है। 2007-08 के बजट प्रावधान के अन्तर्गत जो वेन्टीलेटर खरीदे जाने थे, गम्भीरता इस बात से जाहिर होती है कि आज साल कम्पलीट होने को आया और यह प्रक्रिया अभी तक चालू है तो मंत्रीजी कृपा करके आप सदन को बतायें। शायद ही कोई सदस्य ऐसा होगा इस विधान सभा के अंदर जिसने एस एम एस के सुपरिंटेंडेंट को अपने मरीज को वेन्टीलेटर पर लेने के लिये फोन नहीं किया हो। अब होता क्या है वेन्टीलेटर नहीं मिलता अगर वह गरीब है तो मर जायेगा और अमीर है तो किसी प्राइवेट अस्पताल में चला जायेगा। आप यह आश्वस्त तो करो कि पर्याप्त संख्या में वेन्टीलेटर एस.एम.एस. में उपलब्ध कराये जायेंगे और आने वाले साल में कितने वेन्टीलेटर आप उलपब्ध करा देंगे और वह खराब नहीं हों, इसके लिये आप एनुअल मेन्टीनेंस कान्ट्रेक्ट किस प्रकार करना चाहते हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वेन्टीलेटर के अभाव में कोई मरीज आया नहीं, इसे आप एक बार चैक कर लें। एक बार आप चैक कर लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऊपर ही गया है सीधा ही। (व्यवधान) घर थोड़ी जायेंगे आपके।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कई लोगों ने एस.एम.एस. अस्पताल में फोन किये हैं वेन्टीलेटर की सुविधा ..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य, जो डाक्टर हैं, वह तो कम से कम अपने कोष से एक-एक वेन्टीलेटर देने की घोषणा तो करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, वेन्टीलेटर तो हम दे देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह डाक्टर ही नहीं, वैद्य भी हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): डाक्टर नहीं हूं मैं। मैं गांवों में देऊंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बकरी की आवाज सुनाई थी पिछली बार। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मानवीय संवेदना का विषय है और इस विषय को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये। हम कई बार एस एम एस अस्पताल में फोन करते हैं लेकिन वेन्टीलेटर के अभाव में कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ता है। यह मंत्रीजी जरा खुद चैक करें और इस बात की व्यवस्था करें कि एन.जी.ओ. और कई संस्थाएं और कई लोग वेन्टीलेटर देना चाहते हैं, उनसे लेकर आप आवश्यक मात्रा में वेन्टीलेटर की व्यवस्था वहां करें। उनसे लेकर के आवश्यक मात्रा में वेन्टीलेटर की व्यवस्था वहां करें, यह बहुत जरूरी है। यह मंत्री महोदय वहां खुद चैक करें इस बात को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात, माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मरीज आते ही नहीं हैं, यह क्या बात हुई, साहब। (व्यवधान) मरीज आते ही नहीं हैं ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप एक बार, एक दिन या दो दिन न्यूरो सर्जरी वार्ड को अगर चैक करेंगे आपको यह लगेगा, वेन्टीलेटर के लिए मैं खुद व्यक्तिगत कितनी बार सुपरिन्टेन्डेंट साहब को टेलीफोन कर चुका लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं होती है ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमने दिये हैं वहां वेन्टीलेटर। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मैं कहता हूं वेन्टीलेटर के अभाव में, मैं तीस साल से लगातार देख रहा हूं, मैं 30 साल से देख रहा हूं लगातार ... (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मरीज की जान बचाना हमारा सब का कर्तव्य है और इसलिए वेन्टीलेटर आवश्यकता होने के कारण...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कम से कम हमारे कोटे से ले लें, सारे विधायकों से अनाउंस करवा लें, आप

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कैसे भी करके वेन्टीलेटर की व्यवस्था कराएं जिससे गरीब व्यक्तियों की जो जान जाती है वो रुक सके। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य अगर एक-एक वेन्टीलेटर अपने एम.एल.ए. कोटे से देने की घोषणा कर दें तो सारी समस्या खतम हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): राजस्थान स्थापना दिवस पर दस लाख रुपये के पटाखे फोड़ रहे हैं, उन पटाखों को बंद करके एक वेन्टीलेटर उससे खरीदा जा सकता है ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एम.एल.ए. कोटे से देने की आज, अभी, इसी सदन में घोषणा कर दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सारे हिन्दुस्तान से लोग आते हैं यहां।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दिवस के अवसर पर दस लाख के पटाखे फोड़ रहे हो आप ...(व्यवधान) बिना मतलब बारूद उड़ा रहे हो ...(व्यवधान) उसको रोक कर आप एक वेन्टीलेटर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, पटाखों पर रुपया खर्च कर रही है, वेन्टीलेटर के लिए पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले जवाब सुनिये। जवाब तो सुनिये पहले, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप ठीक कह रहे हैं, सभी सदस्य अगर चिंता करें, एक-एक वेन्टीलेटर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सतत प्रक्रिया है, कोई स्टेट यह नहीं क्लेम कर सकती कि हमारे यहां सब प्रबन्ध हैं, यह आज की बात है

(श्री उपाध्यक्ष)

क्या? कोई बात करना बहुत आसान है, कौनसी स्टेट है ऐसी, बाहर से स्टेट के लोग यहां आ रहे हैं ...(व्यवधान) ऐसा नहीं। माननीय सदस्य, जो कुछ व्यवस्था है उसके बारे में सुनें आप, कर रहे हैं, कोशिश हो रही है, एकदम से ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): प्रभावी कार्यवाही तो यह हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: बात करना बहुत आसान है, माननीय सदस्य। सुनिये आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप तो, मंत्री महोदय, हेमामालिनी को वापस भेज दो, 30 लाख में तीन वेन्टीलेटर आ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको यहां पर बैठ कर ही हेमामालिनी याद आती है, वेन्टीलेटर की बात चल रही है, इतनी गम्भीर बात है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गम्भीर ही है।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): नाचने में क्या रखा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वेन्टीलेटर संख्या-एक, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि वेन्टीलेटर बहुत समय से खराब रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये अब, बीच में बातचीत नहीं। बीच में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले की बात तो मैं कह नहीं सकता लेकिन इस फाइनेंशल इयर, 2006 का डेट वाइज मैं बता सकता हूं। 19.06 को वेन्टीलेटर संख्या-एक खराब हुआ, 19.06 को वापस वेन्टीलेटर कार्यरत हो गया, 14.07 को खराब हुआ, 14.07 को वापस चालू हो गया, 26.09 को खराब हुआ 26.09 को वापस, इससे ज्यादा जल्दी और क्या करेंगे।

दूसरा, आपने कहा ... बिराजो, बिराजो, समझ गया मैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसमें से 13 वेन्टीलेटर परमानेंटली खराब पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने जहां से पूछा है वहीं, उसने यह मेरे को जवाब दिया है बना कर। बैठ जाएं थोड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पहले तो 20 अपर्याप्त हैं और उसमें से 13 खराब पड़े हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिस संस्थान में पढ़ कर आये हैं और डाक्टर बने, शर्म की बात तो यह है, आपको कम से कम दो वेन्टीलेटर देने चाहिए, तो एक ही नहीं दिया अभी तक।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं तो देने को तैयार हूं, साहब, आप एम.एल.ए. लैड में प्रावधान करा दो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मंत्रीजी, आप एम.एल.ए. लैड के नियमों में संशोधन कराइये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): संशोधन करवा देंगे, मुख्य मंत्रीजी से बात करके ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप करवाएं, आज ही करवाइये। एम.एल.ए. लैड के नियमों में संशोधन करवाइये तभी जिले के बाहर एम.एल.ए. पैसा दे सकता है Kindly get it amended today and I promise I will give you one. Kindly get it amended today.

श्री उपाध्यक्ष: परमिशन देंगे, वो छोड़ो बात, उससे भी कोई समस्या एकदम से हल होने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह उपदेश दे रहे हैं, इन्होंने पांच साल में क्यों नहीं करवाया?

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। ...(व्यवधान) अब छोड़ो इसको।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य वित्त मंत्री भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यह बात हुई, जवाब आ गया अब।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 33 वेन्टीलेटर एक वित्तीय वर्ष में, 1952 से लेकर लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला वर्ष है जिसके अन्दर इकट्ठे हुए हैं, कभी नहीं दिये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आबादी की संख्या में इतने मरीज भी कभी नहीं बढ़े, कहां 1952 की आबादी और कहां आज की आबादी।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो पांच साल पहले ही थे, आपने कितने दे दिये ...(व्यवधान) पांच साल पहले ही कितने नहीं दिये, आपने दिये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप 2003 तक थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज 20 हजार मरीज रहते हैं इसमें ...(व्यवधान) एस.एम.एस. हास्पिटल की बात है ...(व्यवधान) इसमें लिख रहे हैं 200 मरीज एट ए टाइम रह सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप ढिंढोरा पीट रहे हैं और राजस्थान दिवस के अन्दर करोड़ों रुपये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसके लिए ही सवाई मानसिंह ने इसकी स्थापना की, आज 20 हजार मरीज पड़े रहते हैं वहां पर। आप उठा कर आज की बात कर रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): करोड़ों रुपया आप बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इनको तो आप रोकते नहीं हैं यहां बैठ कर के (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो यूनानी दवाई लो, आपको पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इनके मेन्टीनेन्स का कंट्रोल होना चाहिए। मेन्टीनेन्स का कंट्रोल, जिस दिन खरीदते हैं, इन्स्टोलेशन होकर ट्रायल रन होते ही एनुअल मेन्टीनेन्स गारंटी पीरियड के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बाद करती है और आठ जो हैं वो उस समय के हैं जब आप पढ़ते थे और वो आप ही के हाथों से खराब हुए हुए हैं, कोई नया नहीं है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण मीणा।

प्रश्न संख्या-381

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

राज्य के महिला कारागृह

382. श्री जीतराम (मालपुरा): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितनी महिला कारागृह हैं एवं उनमें कितनी महिला कैदी हैं?

(2) उक्त महिला कैदियों में से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कैदियों की संख्या कितनी है?

राज्य मंत्री, गृह (श्री अमराराम चौधरी) : (1) राज्य में दो महिला बंदी सुधारगृह हैं जो क्रमशः जयपुर एवं जोधुपर में स्थापित हैं। दिनांक 31.01.2008 की स्थिति के अनुसार महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर में 153 महिला बंदी एवं महिला बंदी सुधार गृह, जोधुपर में 81 महिला बंदी निरुद्ध हैं।

(2) उपरोक्त महिला बंदियों में से महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर में निरुद्ध 23 महिला बंदी एवं महिला बंदी सुधार गृह, जोधुपर में निरुद्ध 17 महिला बंदी 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं।

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इतना बड़ा राज्य है और इसमें महिला सुधार गृह दो ही। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कोई ...(व्यवधान) हैं? नहीं, जरूरी है, अब 50 परसेंट हो गया तो 50 परसेंट तो होना ही चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): महिला अपराध कम करती हैं, दो की भी जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं, मजाक में नहीं डालना।

श्री जीतराम (मालपुरा): नहीं, नहीं, जरूरत तो रहेगी। अब आगे और जरूरत है इसकी ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला सुधार गृह में जो महिला कैदी हैं

(श्री जीतराम)

उनको क्या-क्या सुविधा दी जाती है? कुछ जो दी जाती हैं, उनका भी सुधार किया जाए।

बैठ जाओ, मंत्रीजी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): अच्छा, आप कहो।

श्री जीतराम (मालपुरा): दूसरा, अण्डर ट्रायल, क्योंकि दो ही सुधार गृह हैं, अण्डर ट्रायल में महिलाएं कहां रखी जाती हैं? यह बताएं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुविधा के बारे में पूछा है जो सुधार गृह में हैं, तो महिलाओं के लिए प्रति सप्ताह 100 ग्राम तेल दिया जाता है, 100 ग्राम साबुन दिया जाता है और उनके पहनने के कपड़े दो जोड़ी दिये जाते हैं और दो तौलिये सालभर में दिये जाते हैं, रुमाल भी दिये जाते हैं और तीन जोड़ी में आपको अलग-अलग बताऊं तो तीन साड़ियां भी, तीन पेटीकोट भी, तीन ब्लाउज भी ...

श्री उपाध्यक्ष: अब मत बताओ आप।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): बस।

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा मत बताओ आप।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): महिलाओं के सुधार के बारे में जानकारी दे दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कपड़ों के बारे में ज्यादा न पूछें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूं। अलवर का है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सुधार के बारे में जानकारी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, संख्या पूछी है, प्रश्न में सिर्फ संख्या पूछी गयी है, संख्या बता दी। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, नहीं, मंत्री महोदय, अलवर का डिवीजन जयपुर आई.जी. रेंज, जयपुर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप अलवर की जेल को सैण्ट्रल जेल बनायेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कहां से आ गया यहां?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि यहां उम्र कैदियों को भेजा जाता है भरतपुर जबकि अलवर और भरतपुर से कोई सम्पर्क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका। माननीय सदस्य, नहीं, बैठिये। बहनजी, आपका क्या प्रश्न है? छोड़ो अब, अलवर, भरतपुर का कोई जवाब नहीं देना है। (व्यवधान) छोड़िये आप। माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय**,** बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसकी, यह महिलाओं के लिए यहां जो मखौल बनायी गयी उसके लिए मुझे बहुत दुःख है, कपड़ों की और यह सब नहीं पूछा जा रहा था कुछ और पूछ रहे थे माननीय सदस्य जिसका बिलकुल सही जवाब नहीं आया और आपने भी उसको हवा में उड़ा दिया कि, हो गयी बात और क्वेश्चन पूरा हो गया, उसका जवाब आने देते। जो असली क्वेश्चन था, जो उन्होंने बाद में पूछा कि जब केस चलता है तब महिलाओं को कहां रखा जाता है? उसका जवाब तो आया ही नहीं और आप कपड़ों के बारे में बखान कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया में सब को पता है महिलाएं क्या कपड़े पहनती हैं, क्या नहीं पहनती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सुविधाओं के बारे में ...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मतलब महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं है इस सदन में1 जो आप लोगों की इच्छा होती है वो बोल देते हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): नहीं, महिलाओं का बराबर सम्मान हो रहा है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): वह दिखाई दे रहा है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): महिलाओं का बराबर सम्मान हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सुधार गृह जो बने हुए हैं और जो भी कन्विक्टेड महिलाएं हैं, चाहे दूसरी सैण्ट्रल जेल की भी हैं उन सब को इन दोनों जेल जोधपुर और जयपुर में रखा जाता है, उनकी सुविधा के लिए पूरी सुविधा दी जाती है और उसमें यहां जो हमारे जयपुर और जोधपुर में हैं वहां पर अण्डर ट्रायल महिला है वह भी उसी के साथ रखी जाती है । बाकी की जो महिलाएं हैं जो अण्डर ट्रायल हैं वह अपने-अपने जिलों के अन्दर यहां जहां संबंधित जो न्यायालय हैं उनके नजदीक जो जेल हैं उसमें रखी जाती हैं।

इसके अलावा आपको ताज्जुब होगा सत्रह महिलाएं ऐसी हैं जो खुली जेल में अपने दुर्गापुरा और सांगानेर में वह अपना जीवन यापन खुद कर रही हैं। इस प्रकार की यह व्यवस्था है और कुल अभी यह बता रहे थे सुविधा के लिए, आपके अण्डर ट्रायल साठ साल की कन्विक्टेड कितनी हैं, उसकी संख्या मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ गया आपका पूरा।

नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

नागौर जिले के पाला प्रभावितों को मुआवजा

383. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में पाले के कारण किस-किस गांव में कितनी-कितनी फसल नष्ट हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पाले से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नागौर में उक्त अवधि में पाले से जान-माल की क्या-क्या हानि, कहां-कहां पर हुई तथा सरकार द्वारा इन्हें क्या-क्या सहायता दी जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खनिज मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) नागौर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1570 है जिनमें से 42 ग्रामों में 50 से 74 प्रतिशत तक फसल खराबा हुआ है व एक ग्राम में 75 से 100 प्रतिशत तक फसल खराबा हुआ है। इस प्रकार कुल 43 राजस्व ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। नुकसान वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट–ए पर संलग्न है।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) सरकार द्वारा पाले से नष्ट हुई फसल की राहत के लिए घोषित पैकेज की प्रति संलग्न परिशिष्ट– ब पर प्रस्तुत है।

(3) जिला नागौर में उक्त अवधि में पाले से जान-माल की (मनुष्य एवं पशु की मृत्यु तथा सम्पत्ति का नुकसान) कोई क्षति नहीं हुई है। किसानों की रबी की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.2.2008 को घोषित राहत पैकेज के अनुसार प्रभावित को सहायता देने की कार्यवाही जारी है।

(सूची/प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो खराबा बताया है सिर्फ नागौर जिले में दस तहसीलें हैं उसमें एक तहसील का बताया है और जो खराबा हुआ है वह पूरे नागौर जिले में हुआ है और जो गिरदावरी हुई है वह बहुत ही गलत हुई है। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि क्या गिरदावरी पूरे जिले में हुई है क्या?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी की प्रक्रिया है और गिरदावरी पटवारी के करने के बाद में आर आई उसका निरीक्षण करता है, तहसीलदार निरीक्षण करता है, उप खण्ड अधिकारी और कलक्टर इसकी जांच करता है और जांच के बाद में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो जो नागौर जिले में 43 गांव जिनमें पचास परसेंट से 75 परसेंट जो प्रभावित रहे हैं । जो नुकसान हुआ है पाला और शीत लहर से और एक गांव है 75 से 100 परसेंट तक तो कुल 43 गांव जो शीतलहर और पाले से जो सी आर एफ के नार्म्स हैं उस नोर्म्स के आधार पर निश्चित रूप से जो सी आर एफ के नोर्म्स हैं उनके आधार पर इनको सहायता प्रदान की जाएगी। जो गिरदावरी इन्होंने बताई, गिरदावरी सही नहीं की गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी की जांच पन्द्रह परसेंट आर आई करता है, दस परसेंट पटवारी करता है फिर इसकी जांच तहसीलदार, एस डी ओ और कलक्टर के द्वारा पूरी एक सतत् प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में कलक्टर इसकी जांच करने के बाद जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं तो इसलिए एक व्यक्ति गलती कर सकता है परन्तु तीन-तीन, चार-चार अधिकारियों से जांच कराने के बाद के अन्दर यह रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत की जाती है ओर जो रिपोर्ट आयी है उसके तहत

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

नागौर जिले में 43 गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं और निश्चित रूप से राज्य सरकार इनके प्रभावित किसानों को जो नुकसान हुआ है इनको निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेगी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: पहले प्रश्नकर्ता को .. ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी को आधार मानकर आकलन खराबे का प्रस्तुत किया जाता है ...(व्यवधान) मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या सरकार कृषि विभाग जो खोला है, इतने बड़े जो कृषि विभाग के अन्दर कृषि वैज्ञानिक हैं वह ...(व्यवधान) निरीक्षण करके उस आधार पर आकलन क्यों नहीं करवाया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपने जो पटवारी के यहां दिया है उसी पर कलक्टर दस्तखत करता है, उसी पर एस डी एम दस्तखत करता है, उसी पर कानूनगो दस्तखत करता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ...(व्यवधान) तहसील का इन्होंने खराबा बताया है, मेड़ता तहसील का भी बताएं कि कितना वहां पर खराबा हुआ और अभी तक गिरदावरी की वो आयी कि नहीं आयी, वह भी बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: बताओ।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो नागौर के 43 गांवों में पचास से सौ परसेंट तक का खराबा बताया है। उनमें राहत पैकेज के अनुसार कितने किसानों को किस किस गांव में और कितनी राशि का वितरण आज की तारीख तक कर दिया गया है?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह सी आर एफ की गाइड लाइन जो हैं, लक्ष्मण रेखा बनकर खड़ी हैं। क्या सरकार, मेरे मन में जो सवाल है वही पूछूंगा, ...(व्यवधान) मेरा फण्ड काम में लिया हुआ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

है, निपटा दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि सी आर एफ की गाइड लाइन के बारे में यहां सुनते-सुनते मेरे कान पक गये, क्या इस लक्ष्मण रेखा को हटाने का कोई तरीका है क्या? मंत्रीजी यह उत्तर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन पचास गांवों का आपने सर्वे करवाया उनमें लघु और सीमान्त कृषक कितने हैं? क्या आप खेत की इकाई को मानकर बिजली के बिल माफ करने की घोषणा करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? हमारे नागौर जिले में खास तौर से साइज आफ होल्डिंग जो है बहुत ज्यादा है, तो आपके इस घोषित मुआवजे का लाभ किसी को मिलेगा नहीं, इसलिए यह आप क्लियर करें कि आप खेत को इकाई मानकर वहां बिल माफ करेंगे और उनको खेत की इकाई मानकर मुआवजा देंगे या नहीं देंगे?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान में राजनीतिक द्वेषता से गिरदावरियां हुई हैं, सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया कि वास्तविक पीड़ित किसानों को कोई लाभ नहीं मिले ...(व्यवधान) क्या यह दूर करके वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं ..

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह वर्षो का ढर्रा है पटवारी जो हैं ...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनके गृह जिले के अन्दर चार-चार पटवार सर्कल में एक-एक पटवारी लगाया हुआ है। न तो पटवारी मौके पर जाता है, न गिरदावरी करता है, न आर आई चैक करता है, यह जो नॉर्म्स बता रहे हैं यह सब कागजी कार्यवाही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्रीजी कोई कमेटी बनाकर उसकी जांच करवायेंगे गिरदावरी की? गिरदावरी में ....

श्री उपाध्यक्ष: हो गयी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: बात आ गयी आपकी, आपने सब बातें कह दीं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पांच जिलों में फसल है वह यह कैसे आकलन कर सकता है कि यह गेहूं की फसल खराब है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह जीरे की फसल खराब है तो यह ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस बारे में आप कई बार कह चुके हैं ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: सिर्फ प्रश्न पूछिये कोई पूछना है तो ....

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया मंत्री महोदय ने गिरदावरी ठीक हो रही है आप कह रहे हो ठीक नहीं हो रही। खतम हुई बात ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गया, आपका प्रश्न आ गया।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात है कि तीस करोड़ रुपया ...(व्यवधान) किसान को दिया है तो किसानों के जो नोर्म्स इन्होंने तय किये हैं उसमें केवल एक किसान को इन्होंने यूनिट माना है, क्या प्रत्येक खेत को यह यूनिट मानेंगे क्या? उपाध्यक्ष महोदय, तब ही तो मुआवजा मिलेगा नहीं पूरे पचास परसेंट खराबा पूरी फसल में नहीं हो सकता, पैसा मिलेगा ही नहीं काश्तकार को तो सी आर एफ के नॉर्म्स बदलने की बात आप बार-बार करते हो ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सी आर एफ के नोर्म्स ...(व्यवधान) राजस्थान सरकार द्वारा 26 करोड़ रुपये जो दिए हैं सहायता वह काश्तकार के हित में दिया है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष: आपका आ गया प्रश्न, आप जवाब सुन लें।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र है उसकी गिरदावरी हुई है क्या? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कुल मिलाकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान के प्रति सदन इतना चिंतित है, इतना सदन चिंतित है तो काश्तकारों की गिरदावरी की कोई व्यवस्था ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पाली जिले की और तहसीलें हैं वहां गिरदावरी की कोई व्यवस्था ... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): मांगने में क्या ऐतराज है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिये। (व्यवधान) वह दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया मेड़ता में आबाद गांवों की संख्या 155, गैर आबाद हैं 17 और प्रभावित जो गांव हैं पालनपुर, जाड़ोलाकलां, जाड़ोलागूजरा और रियाबड़ी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पालनपुर में 32.19, जाड़ोलाकलां में 30.56, जाड़ोलागूजरा में 37.50 और रियाबड़ी में 2.51 प्रतिशत खराबा दर्ज है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले सदस्य और इन माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप वहां पर किसान को यूनिट मानेंगे या फसल को? तो मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार से आप आग्रह करें और सी आर एफ के नार्म्स के अन्दर किसान की इकाई के स्थान पर किसान की फसल को इकाई मानने के लिये आप व्यवस्था करा दें। जो गाइड लाइन भारत सरकार ने दी है ... (व्यवधान) हम कैसे कह सकते हैं? सी आर एफ के पैसे का ... (व्यवधान) जो इन्होंने राइडर लगा रखा है इस राइडर से करेंगे और सी आर एफ के नार्म्स में हम चेन्ज नहीं कर सकते ... (व्यवधान) करने के लिये तैयार हैं ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने उसकी घोषणा की थी।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

60 साल के कार्यकाल में आज तक ... (व्यवधान) यह पहली सरकार है जिसने शीतलहर और पाले के लिये पैसा दिया। यह पहली सरकार है जिसने शीतलहर और पाले पर राहत के पैकेज की घोषणा की और गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर ... (व्यवधान) तमाम गिरदावरी निष्पक्षता से करायी है और उसके अन्दर 50 परसेण्ट से अधिक जिसका खराबा हुआ राज्य सरकार ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सी आर एफ की बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो काम नहीं कर सकते उसकी बात कहते हैं। राजस्थान सरकार अगर ... (व्यवधान) हमने 126 करोड़ रुपया दिलाया है पाले के लिये तो राजस्थान सरकार नार्म्स बांटेगी क्या? मंत्रीजी, यह बतायें। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें आप क्या राजस्थान सरकार नार्म्स बांटेगी? (व्यवधान) और खेत को यूनिट मानकर यह मुआवजा देंगे क्या? किसान को यूनिट मानना चाहिये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सी आर एफ की बात कर रहे हैं यह तो 126 करोड़ ... (व्यवधान) राजस्थान सरकार अपने नार्म्स क्यों नहीं बदलती है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भारत सरकार के सहयोग के बिना राजस्थान सरकार हर मामले में इनकाम्पीटेंट साबित हुई है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) बैठिये ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): × × ×

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): × × ×

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य ... (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगी आपकी बात ... (व्यवधान) कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): × × ×

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): × × ×

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकर्ता जारोड़ाजी की बात है, वही सुनी जायेगी ... (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। अब हो गया। अब कुछ नहीं ... (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठ जाएं ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): × × ×

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब बीच में नहीं ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा क्यों बीच में ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई बीच में कमेंटस नहीं। माननीय सदस्य, बैठिये आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिये आप ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में व्यवधान ... (व्यवधान) बाद में करिये। माननीय सदस्य, गिरदावरी के बारे में बहुत डिसकशन हो चुका। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) गिरदवरी की बात बहुत बार हो चुकी है ... (व्यवधान) बैठिये आप ... (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर व अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ-104 पर आगे देखें)

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री चन्द्रशेखर बैद एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में कतिपय स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव व हिंसा फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य में कतिपय स्थानों पर कानून एवं साम्प्रदायिक तनाव व हिंसा फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से कतिपय स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव व हिंसा फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से राज्य में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाली हरकतों के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से दौसा शहर में दिनांक 22.3.2008 को धुलण्डी के दिन जनता द्वारा पानी की मांग को लेकर दिये गये धरने में धरनार्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे आज मध्याह्न पश्चात् दो बजे राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में वक्तव्य दिया जायेगा।

6. डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से आर यू आई डी पी के अन्तर्गत सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

1. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यादेश द्वारा किये गये तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेशों की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर के कस्तूरबा चिकित्सालय में संचालित परिवार कल्याण केन्द्र को गढ़ी मालियान क्षेत्र में संचालित करने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से मंदिरों के नाम दर्ज खातेदारी भूमि पर खेती कर रहे किसानों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में।

4. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम रासेड़ के सरला सागर तालाब का सुदृढ़ीकरण एवं ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में।

5. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों में कार्यरत सहायक सचिवों को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर स्थायी करने के सम्बन्ध में।

6. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, की ओर से बून्दी जिले के ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौंपड़ियों का नाम राजस्व रिकार्ड में 'जावरा की झौंपड़ियां' रखा जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से मंगलवाड़ चौराहे से डुंगला-बड़ी सादड़ी-छोटी सादड़ी नीमच स्टेट हाइवे नं. 15 को आदर्श सड़क घोषित करने के सम्बन्ध में।

8. श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से जिला पाली के जवाई बांध कमाण्ड क्षेत्र के मध्य स्थित चाही जमीन को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से बालेसर सत्ता क्षेत्र में गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 पर सड़क व रपट के निर्माण के सम्बन्ध में।

10. श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य की ओर से मावली में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में।

11. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से डाइट अजमेर में 13 अध्यापकों के पदों में से 9 पद खाली होने के आठवीं बोर्ड की परीक्षा की कापियों की जांच विद्यार्थियों से कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

12. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से नगर परिषद् पाली के प्रताप नगर, आनन्द नगर के कब्जाशुदा व्यक्तियों को नियमों में संशोधन कर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 था वह नहीं आया ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों को यदि आप रिजेक्ट करते हैं तो बोलने की अनुमति दी जाती है। हमारा जो प्रस्ताव है पूरे ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) मैं आपको देकर आया हूं ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पब्लिक इम्पोर्टेंस का है उसको यदि आप रिजेक्ट करते हैं ... (व्यवधान) मुझे बोलने की अनुमति कृपया प्रदान करें ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिनको आवश्यक समझते हैं उसमें बोलने की अनुमति देते हैं बाकी ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उससे ज्यादा आवश्यक क्या होगा ... (व्यवधान) जिस वेरीयस परपज के लिये आना था उसको वह सरकार ने डाइवर्ट कर दिया। आज मेडिकल कालेजेज के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन की व्यवस्था है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वेन्टीलेटर की बात आ रही है, सात करोड़ रुपये मेडिकल कालेजेज के लिए रखे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को दौसा जिले में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर नहीं आ रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दी जा चुकी है, कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई आवश्यक नहीं है, मैं नहीं करूंगा पुनर्विचार ...(व्यवधान) कोई परम्परा नहीं है, परम्परा चली आ रही है अगर आवश्यक होता है तो टाइम मिल जाता है, अगर नहीं आवश्यक है तो नहीं दिया, खतम हुई बात ...(व्यवधान) आसन की व्यवस्था हो चुकी है, इस तरह से हर क्वेश्चन पर नहीं दिया जाता है ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी परम्परा नहीं रही है कि हर प्रश्न में दो मिनट का समय दिया जायेगा ऐसा नहीं है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वन बाई वन, एक आदमी अपनी बात कहे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप माननीय सदस्य, अपनी बात कहें, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) एक साथ खड़े हो जाते हैं चार आदमी, ऐसा नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आज बारह लगे हैं, आपका कल लग जायेगा 295 का, बैठिये आप ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक आदमी क्या कहना चाहता है, वन बाई वन, बैठिये तो सही ...(व्यवधान) हां, नेता, प्रतिपक्ष कहिये ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इतनी देर में दो-दो मिनट में यह अपनी बात कह दें। उपाध्यक्ष महोदय, जिनका स्थगन प्रस्ताव है, वह दो-दो मिनट में अपनी बात इतनी देर में तो कह देते। आप थोड़ा मौका दें, हमारे पास में इसके सिवाय तो और कोई सहारा ही नहीं है कि हम अपनी बात यहां कह सकें, उठा सकें। आप रिजेक्ट कर दें, कोई बात नहीं। सरकार से जवाब नहीं दिलायें, उत्तर नहीं दिलायें, लेकिन इनको दो मिनट बोलने का, सदन में अपनी बात कहने का तो सदन में अवसर प्रदान करें। आप इस पर पुनर्विचार करें, लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना अभी समय भी नहीं है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आसन की व्यवस्था हो चुकी है और हमेशा यह परम्परा रही है, किसी में समय दिया जाता है अगर आवश्यक समझते हैं तो किसी में नहीं दिया जाता है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह नहीं है कि हर किसी में समय दिया जायेगा ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जहां आवश्यकता होती है वहां दो मिनट की जगह दस मिनट भी दिये जाते हैं, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान) नो, नो, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) माननीय कल्ला साहब, यह किसी बात को लेकर के बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, काहे पर बोल रहे हैं यह, आसन ने व्यवस्था दे दी, आसन की व्यवस्था के अनुसार, सुओ मोटो सरकार ने कह दिया, गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे ...(व्यवधान) हर किसी बात पर खड़े होकर के बोलना चालू कर देते हैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन को चुनौती दे रहे हैं, आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है, कभी समय दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जो व्यवस्था दी जा चुकी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, माननीय सदस्य, बैठिये आप ...(व्यवधान) श्री जीवाराम चौधरी (अनुपस्थित) ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आसन को तो अधिकार है कि अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

(समय : 12.15 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपसे पहले जयपुर देहात के माननीय सदस्य खड़े हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके आसन पर बिराजने से पहले उपाध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था दे दी, आपके आसन पर बिराजने से पहले उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी और उन्होंने इनको डिस अलाऊ कर दिया। अब उस पर पुनः, हालांकि आपके अधिकार क्षेत्र में है पर अभी उपाध्यक्ष महोदय की जो व्यवस्था है उसके अनुसार है।

श्री अध्यक्ष: मुझे उपाध्यक्ष महोदय यह बताकर गये हैं कि 295 चल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 295 हैं, हां, यह सही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संसदीय मंत्री महोदय, अब अध्यक्ष हैं आसन पर, अब उपाध्यक्ष महोदय नहीं हैं जो आप यह राठौड़ी चला रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय की जितनी कृपा मुझ पर है वह पूरा राजस्थान जानता है। पूरा राजस्थान जानता है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है।

श्री अध्यक्ष: नो कमेंटस, नो कमेंटस ...(व्यवधान) श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब, फिर घनश्यामजी क्या करेंगे, घनश्यामजी क्या करेंगे। आप पर कृपा है तो घनश्यामजी क्या करेंगे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह हाउस नियमों से चलता है, कृपा से नहीं चलता है, नियमों से चलता है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिभा सिंह (अनुपस्थित)।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मैंने 295 पुकार लिया है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो क्या कह रहे हो ...(व्यवधान) क्या कहना चाह रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं कि आप जब अवकाश पर थीं हमने यह इश्यु उठाया था कि राज्य की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलनी चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जब सर्वदलीय बैठक हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप पहले दिन की उठा रहे हैं ...(व्यवधान) बात खतम हो गयी ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपके आने से पहले भी मुझे उठाना था, पर आप आ गयी तो आपकी मौजूदगी में उठा रहा हूं ...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने इसमें सहमति व्यक्त की थी कि राज्य के किसी भी जिले में प्रभारी वही रहेंगे जिनको राज्यपाल महोदय ने मंत्री के रूप में शपथ दिलायी है। यह पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर खुद मौजूद थे। यह सहमति हुई थी और उसके बाद अब फिर जो कार्यक्रम ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नोटिस में ला रहा हूं मैं स्पीकर साहब के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप चैम्बर में आकर के नोटिस में ले आयें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह 295 हो जाये, उसके बाद आपको कुछ कहना है तो कहिये, बीच में ना डालो आप ...(व्यवधान) श्रीमती प्रतिभा सिंह (अनुपस्थित), श्री शिवजीराम मीणा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में करिये, 295 हो जाये। श्री शिवजीराम मीणा (अनुपस्थित), श्री बद्रीलाल जाट।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष: सारी, सारी, बद्रीलाल जाट।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

ग्राम पंचायतों में सहायक सचिवों को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर नियुक्त करके स्थायी करने बाबत

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि माननीय वसुन्धरा राजेजी सिंधिया, मुख्य मंत्री महोदया ने जब से कार्य भार ग्रहण किया है, उनके नेतृत्व में बनी सरकार के कुशल वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन से राजस्थान राज्य में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक क्षेत्र कहने का मतलब सम्पूर्ण राजस्थान में बही विकास की गंगा से संतुष्ट एवं प्रसन्न हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकारी सेवाओं में भर्तियां खोली हैं, रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं। पैरा टीचर, समायोजित लोक जुम्बिश कर्मी, संविदा नर्सिंग कर्मियों सभी के साथ न्याय किया है, शेष जो वंचित रह गये हैं उनको भी नियमानुसार लाभान्वित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राज्य में जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा एक-एक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव लगाया गया है किन्तु कार्य की अधिकता रहने से समय पर कार्य सम्पादन की दृष्टि से एक से अधिक सहायक सचिव के रूप में किसी कर्मचारी को रखा गया है जो निरन्तर कार्य कर रहे हैं, चूंकि किन्हीं ग्राम पंचायतों में पूर्व में चुंगी कर्मचारियों के रूप में नाकेदार के रूप में कर्मचारी कार्य कर रहे थे। चुंगी संग्रहण कार्य समाप्त कर दिये जाने से उन कर्मचारियों को पंचायत समितियों में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चित्तौड़गढ जिले में भी इसी प्रकार के कर्मचारी सहायक सचिव के रूप में कार्यरत हैं जो कई वर्षों से कार्यरत हैं। जो कि निरन्तर ही ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं, उनको भी स्थायी किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत सहायक

(श्री बद्रीलाल जाट)

सचिवों को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद नियुक्त किया जाकर स्थायी करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

बूंदी जिले के ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपड़ियां का नाम राजस्व रिकार्ड में जावरा की झौपड़ियां रखे जाने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि तीन सौ से अधिक की आबादी वाला ग्राम जावरा की झौंपड़ियां (ग्राम पंचायत खटकड़) तहसील एवं जिला बूंदी का नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में हरिपुरा उर्फ जावरा की झौंपड़ियां अंकित किया हुआ है जबकि इस ग्राम का नाम प्रशासनिक सुविधा, जनहित एवं विकास कार्यों की दृष्टि से मात्र 'जावरा की झौंपड़ियां' ही रखा जाना उचित है।

इस ग्राम के नाम के साथ हरिपुरा जुडे रहने से कई बार बूंदी तहसील के ही अन्य ग्राम हरिपुरा का आभास होने से प्रशासनिक दृष्टि से असुविधा होती है तथा जनसमस्या निराकरण एवं विकास कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः उक्त ग्राम का नाम राजस्व रिकार्ड में केवल 'जावरा की झोंपड़ियां' किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की शुद्धि किया जाना जनहित में आवश्यक है। ग्राम जावरा की झोंपड़ियां की आबादी में मेघा डोई की झोंपड़ियां तथा इसी क्षेत्र में आबाद शोला की झोंपड़ियां आदि अन्य टापरों को भी सम्मिलित किया जाकर राजस्व सीमा निर्धारित कर दी जाए।

अतः प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम जावरा की झोंपड़ियां का नाम स्वतंत्र रूप से 'जावरा की झोंपड़ियां' घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुरूप शुद्धिकरण किए जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक कुमार नवलखा।

मंगलवाड़-नीमच मार्ग (स्टेट हाइवे नं. 15) को आदर्श सड़क घोषित करने विषयक

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क का निर्माण कराया गया है। जिला चित्तौड़गढ़ के विभाजन से पूर्व 'धरियावद-प्रतापगढ़-मंदसौर (एम डी आर 12)' को आदर्श सड़क घोषित किया गया था जो कि अब प्रतापगढ़ जिले का हिस्सा है। प्रतापगढ़ जिले के अलग गठन के पश्चात् जिला चित्तौड़गढ़ में कोई आदर्श सड़क नहीं है। जिला चित्तौड़गढ के 'मंगलवाड़ चौराहे से डूंगला-बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी-नीमच मार्ग (स्टेट हाइवे नम्बर 15) तक जाने वाली सड़क तीनों जिलों व मध्यप्रदेश प्रांत को जोड़ने वाली अंतरराज्यीय व प्रमुख सड़क है। इस सड़क को आदर्श सड़क घोषित करने से जिला चित्तौड़गढ़, जिला प्रतापगढ व जिला नीमच (मध्यप्रदेश) के निवासियों व इस मार्ग पर आवागमन करने वालों को काफी सुविधा मिल सकेगी।

अतः मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि स्टेट हाइवे नम्बर 15 को आदर्श सड़क घोषित कर क्षेत्रवासियों को यह लाभ दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पाली जिले के जवाई बांध के फीडर सेई बांध को अपग्रेड करके निश्चित ही राज्य सरकार ने क्षेत्रीय जनता को उपकृत किया है जिससे जवाई बांध नियमित रूप से भर रहा है और इस बांध के कमाण्ड क्षेत्र में व्यवस्थित सिंचाई हो रही है लेकिन उक्त कमाण्ड क्षेत्र के बीच में सुमेरपुर क्षेत्र के कुछ किसानों की चाही भूमि स्थित है। उन किसानों के खेतों के कुए पूरी तरह सूख गए हैं, इस कारण उनके खेत भी सूखे पड़े रहते हैं।

मान्यवर, यह अजीब विडम्बना है कि कुछ किसानों की चाही जमीन जिनके कुए सूख जाने के कारण उनकी जमीन असिंचित रह जाती है तथा उनकी उसी सूखी जमीन में से जवाई बांध की नहरें निकलती हैं लेकिन उन किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कुछ ही गरीब किसान हैं। अतः सुमेरपुर क्षेत्र के किसानों की चाही जमीन का आकलन करवाकर उनकी असिंचित भूमि को भी कमाण्ड क्षेत्र में लेकर सिंचाई से लाभांवित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राज मार्ग पर निर्माण कार्य

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 114 सड़क जो कि जोधपुर से बालेसर-पोकरण-रामदेवरा होते हुए जैसलमेर को जाती है, इस सड़क पर अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यटकों का अधिक आवागमन रहता है और वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर भी जैसलमेर अपना स्थान बना चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आर्मी (मिलट्री) व बी एस एफ के भारी वाहनों की गतिविधियां भी निरन्तर इसी मार्ग पर रहती हैं।

उक्त सड़क मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग में परिवर्तन होने के बावजूद सड़क का मापदण्ड अभी भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अनुरूप नहीं है। इस सड़क पर पूर्ण यातायात बालेसर जैसे महत्वपूर्ण कस्बे से होकर गुजरता है, जहां पर स्थानीय लोगों का आना-जाना भी रहता है। सड़क मार्ग कम चौड़ा होने के कारण व अधिकाधिक वाहनों के दबाव के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और हर वक्त दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। पुलिस मुख्यालय ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बालेसर से गुजरने वाले मार्ग को दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र घोषित किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बालेसर कस्बे में मुख्य मार्ग की सड़क जो करीबन एक किलोमीटर है, मार्ग को दो लेन से चार लेन में निर्माण कार्य करवाना व मीठी बेरी से बालेसर के मध्य मार्ग पर पूर्व में बने रपटों को भी चौड़ा करना व डिवाइडर व नाली का निर्माण करवाना अति आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बढ़ते वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर फरमाते हुए ग्राम बालेसर क्षेत्र से गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर सड़क व रपट के निर्माण कार्य करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

मावली (उदयपुर) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद सृजन

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि तहसील मावली में मावली मुख्यालय पर एक मुंसिफ

(श्री शांतिलाल चपलोत)

एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज की पोस्ट स्वीकृत हैं। इन दोनों न्यायालयों में करीब 4250 मुकदमें विचाराधीन हैं। उदयपुर के कोर्टों में मावली क्षेत्र के 500 से अधिक केस चल रहे हैं एवं मोटर दुर्घटना के 300 से अधिक केस चल रहे हैं। सलूम्बर में फास्ट ट्रेक कोर्ट में दो-तीन मुकदमें ही शेष हैं और वह भी समाप्त होने को हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मावली से अधिक केस उदयपुर जिले में स्थित किसी भी न्यायालय में नहीं है, मोटरयान एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उदयपुर के यहां लम्बित मुकदमों को देखते हुए मावली में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती।

अजमेर जिले में अध्यापकों के रिक्त पद भरने विषयक

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि अजमेर जिले के 8वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र आउट होने की चर्चा जिले से लेकर विधान सभा तक में आने के बाद भी सरकार ने पूरे प्रकरण में लीपापोती की और सिवाय अध्यापकों पर गाज गिराने के लिए अपनी खामियां नहीं देखी, जिसका मुंह बोलता प्रमाण है डाइट, (जो कि प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा करवाता है) में 13 अध्यापकों में से 4 पद भरे हैं 9 खाली हैं, ऐसे में डाइट कैसे काम करेगी और वह भी इतना महत्वपूर्ण, यह तो सरकार जाने और सरकार कब तक रिक्त स्थान भरेगी कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यहीं नहीं थमी है वरन इससे भी भीषण बात यह है कि आठवीं बोर्ड की परीक्षा कापी बजाय शिक्षक के विद्यार्थी जांच रहे हैं और वह भी इतने खुले में कि समाचार पत्रों में कापी जांचते विद्यार्थियों की फोटो छपी है। शिक्षा में राष्ट्रीय अवार्ड की बात करने वाली सरकार 8वीं बोर्ड तक की परीक्षा की गोपनीयता व विश्वसनीयता बनाए नहीं रख सकी और आठवीं बोर्ड के बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण का दिलचस्प पहलू यह है कि जिला शिक्षा अधिकारीजी इसे स्टाफ की कमी व काम का आधिक्य होना कारण मानते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि परीक्षा

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

जैसे अहम कार्य को इतनी लापरवाही होने पर इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तथा जवाबदेही तय कर भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो सुनिश्चित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। पारख साहब, आप पढ़ते ही नहीं हैं जो लिखते हैं उसे। आपका नाम लिखा हुआ है, ज्ञानचन्द पाठक।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसने गलत टाइप कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ नहीं करते? आप देखते नहीं हैं? ऐसी गलती कई माननीय सदस्यों की है। मैं तो चूंकि यह तो इनके नाम में ही गलती थी इसलिए बोल दिया वरना कई माननीय सदस्य देखते ही नहीं हैं। आपका काम यह है कि जब टाइप हो जाए तब आप उसमें शुद्ध और अशुद्ध तो देखा करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरे वाली कापी में सुधार दिया था मैंने।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसमें पाठक है, देख लीजिए। (व्यवधान) पाठक।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महोदया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कैसे 'वो' हुए पड़े हैं कि आंख बंद करके साइन कराए जाते हैं इनसे, वही आदत पड़ रही है इनकी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपने क्या बताया, मेरे समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: ऐसा अकेले वही नहीं कर रहे हैं, आपके उधर से भी हो रहा है, मैं बहुत से माननीय सदस्यों को देखती हूं लेकिन मैं कहती हूं कि आपने जो लिखा है उसे पढ़ भी लिया करें।

नगर परिषद पाली क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 295 के तहत माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नगर परिषद पाली क्षेत्र में सन् 1979 में आई बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु प्रताप नगर एवं आनन्द नगर आवासीय योजना बना बाढ़ पीड़ितों को भूखण्ड उपलब्ध कराये थे एवं उन्हें वहां बसा दिया गया। बाढ़ पीड़ित कई परिवार अत्यन्त निर्धन एवं अनपढ़ होने के कारण निश्चित अवधि में भूखण्ड की बकाया राशि जमा नहीं करवा पाये थे। बाद में जब ये परिवार राशि जमा कराने को तैयार थे तो नगर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

परिषद पाली ने यह कहकर कि राशि जमा करने की निर्धारित अवधि निकल गई है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही राशि जमा की जा सकती है। राशि जमा करने से मना कर दिया। सन् 1989 में राज्य सरकार ने नियमों में शिथिलता देते हुए बिना ब्याज एवं बिना पैनल्टी बकाया राशि जमा कराने के आदेश जारी किये, परन्तु अधिकांश व्यक्तियों को इस आदेश की जानकारी नहीं हुई जिसके कारण वे राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ नहीं ले सके।

आज भी अनेक परिवार जो वहां निवास कर रहे हैं अपने मकान के मालिकाना हक (पट्टे) से वंचित हैं। साथ ही इस क्षेत्र में अनेक व्यक्तियों ने अपने मकान अन्य व्यक्तियों को बेच दिये। खरीददार अब अपने मकान का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण नगर परिषद उन्हें पट्टा देने में असमर्थता जाहिर कर देती है।

मेरा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रताप नगर आनन्द नगर में अपने मालिकानाशुदा, खरीदशुदा, कब्जाशुदा भवन का पट्टा प्राप्त करना चाहें तो सरकार कोई शुल्क राशि निर्धारित कर उन्हें पट्टा उपलबध करवाने हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन करें एवं शिथिलता प्रदान कर उनको पट्टा देने की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: पर्ची। श्री खुशवीर सिंह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने 295 के बाद कहने के लिए फरमाया था।

श्री अध्यक्ष: कहना चाहते हैं तो आप खड़े होते। आप बैठे-बैठे ही कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार भी इस सदन में 295 पर नहीं बोला। अभी खड़े होकर पढ़ गये ... (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 295 पर तो नहीं बोलने दूंगी, और कोई बात हो तो बोलिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं यही तो कह रहा हूं, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं कि हम लोग पुराने सदस्य हैं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने 295 का दिया? कभी आपने 295 का दिया? ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 295 में नहीं दिया। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था पूरे राजस्थान की जो आर यू आई डी पी की योजना थी, कच्ची बस्तियों के लिए बनी थी वो योजना ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आन ए पाइंट आफ आर्डर तो बाद में उठाइएगा क्योंकि अभी तो पर्ची है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसमें यही व्यवस्था चाहता हूं कि आज आप किसी कारण से नहीं दें तो आप उसकी स्टडी करके कल मुझे इजाजत दे दें, लेकिन वह बहुत जनहित का मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: आप इसके बाद ही उठा देना। पर्ची ले लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के स्थगन के लिए उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी थी, इसको रिजेक्ट कर दिया था और बोलने की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद भी आप रिव्यू फरमाएं तो आपकी आज्ञा सिर पर है।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी थी 295 के बाद बोलने की।

श्री अध्यक्ष: पहले ये पर्ची तो हो जाने दीजिए।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आडर कैसे होगा जीरो आवर में?

श्री अमराराम (धोद): इंफार्मेशन दे रहा हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष: इंफार्मेशन भी नहीं होती। उसके बाद दीजिएगा इंफार्मेशन। खतम होने दो आप। श्री खुशवीर सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पाली जिले में मेहंदी में की जा रही मिलावट के सम्बन्ध में

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में सबसे अधिक मेहंदी हमारे पाली जिले में होती है। पाली जिला मेहंदी के लिए और विशेषकर सोजत की मेहंदी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सरकार ने इस मेहंदी पर टैक्स भी माफ किया था और इसके बावजूद हमारे यहां मेहंदी जो विदेशों में, विशेषकर यूएई में मेहंदी का निर्यात होता था और हजारों किसानों ने पूरी फसल में अपनी जमीन में हमारे क्षेत्र में मेहंदी की फसल लगायी और इस आशा के साथ कि कम बरसात में यह मेहंदी हो जाती है, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से विशेषकर इस मेहंदी के अंदर खुलेआम हमारे यहां व्यापारी लोग हैं वो इस मेहंदी में, हमारे गोडवाड़ की पहचान है, उसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है और वह है आंवल। उसके पीले फूल खिलते हैं और वह बरसात करने में बहुत सहायक होती है। उसका पत्ता बहुत मोटा होता है। हाल ही में साइंस मेग्जीन में छपा है कि अधिकांश बारिश करने का बैक्टीरिया होता है वह इन पत्तों पर अधिक होता है जो बारिश में सहायक होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेहंदी के अंदर खुलेआम जो मेहंदी के व्यापारी हैं वो इस आंवल को, जो पीले फूल आते हैं, बिना पानी के फूल खिलते हैं और आज भी सोने की तरह दिखते हैं, हमारे पूरे गोडवाड़ की पहचान है वह आंवल है। चर्म उद्योग में भी वह सहायक है। उसमें प्रदूषण रहित चर्म का शोधन किया जाता है। वह आंवल पूरी की पूरी जड़मूल से नष्ट की जा रही है और खुलेआम इन अधिकारियों की नाक के नीचे, सरकार की आंखों के सामने उस मेहंदी के अंदर, जो हमारे सुहाग का प्रतीक है उस मेहंदी के अंदर, उस सुहाग के प्रतीक के अंदर मिलावट की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक विडम्बना यह है कि एक विशेष प्रकार की मिट्टी जो ट्रकों में टनों मन मिट्टी आ रही है वह उन फैक्ट्रियों में पीसी जाती है और वह मिट्टी उस मेहंदी के अंदर उस मेहंदी का वज़न बढ़ाने के लिए उसमें खुलेआम मिलायी जा रही है। मैंने जानकारी चाही तो किसी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि यह तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसमें जो मिलावट हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका विषय आप समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया, आपने आकर्षित कर तो लिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं विशेषकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर और कितनी देर बोलेंगे आप?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने जो मेहंदी लगायी है, इतनी महंगी मजदूरी है, पिछली बार वह मेहंदी कट नहीं सकी क्योंकि विदेशों में हमारे देश की साख घट गयी इस मिलावट की वजह से और हमारा निर्यात पूरा का पूरा ठप्प हो गया और इसके बावजूद सरकार और सरकारी नुमाइंदे आज दिन तक किसी प्रकार की उन्होंने जाकर चैकिंग नहीं की, किसी प्रकार का उन्होंने निरीक्षण नहीं किया कि वे मिलावट कर रहे हैं। खुलेआम मिलावट कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना ही अनुरोध है कि जो किसान बर्बाद हो गये और उनकी वजह से आज निर्यात, मिलावट की वजह से, व्यापारी मिलावट कर रहा है। किसान प्योर मेहंदी देता है, लेकिन उस मिलावट की वजह से निर्यात बंद हो गया है, विदेशों में हमारे देश की साख गिर गई है। वह मिलावट तुरन्त प्रभाव से बंद होनी चाहिए। मैं संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इसकी सदन में घोषणा करें कि अभी भी जाकर चैक करवाया जाए तो उन फैक्ट्रियों के अंदर वह मिट्टी और हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक सहायक आवंल है। वह मिलावट खुलेआम हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका कुछ न कुछ हमें संतोषप्रद जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: यह शायद खाद्य व रसद में तो नहीं है। तो फिर इसका कौन मंत्री है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैंने जानकारी चाही तो सब ने मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष: यह प्रभुलालजी सैनी के अण्डर में आता है। श्री दाताराम जी गुर्जर।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस मेहंदी के बारे में यह विषय आया है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कृषि विभाग के द्वारा मेहंदी का उत्पादन और किसानों की फसलों का वितरण और विपणन का काम

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हम लोग करते हैं। जहां तक इसमें अपमिश्रण का प्रश्न है वह किसी भी उपभोक्ता के द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत की जाती है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह कर रहे हैं ना। वे कर रहे हैं। वे कर तो रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): तो ये उपभोक्ता कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, इससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। राजस्थान के पवित्र सदन में मैं मेरी बात रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री दाताराम गुर्जर।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में गिरते जल स्तर विषयक

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, वर्षा की कमी के कारण निरन्तर भूमि का जल स्तर गिरता जा रहा है। सरकार ने बहुत से ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प लगाये, लेकिन निरन्तर जल स्तर गिरने से पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि पहले जब ट्यूबवैल बनाते थे तो उसमें 90 मीटर हैड की मोटर डालते थे और आज भी जो ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं उनमें मोटर का हैड 90 या 140 मीटर के लगभग ही डाला जाता है। अब पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है उसमें 160 और 200 के हैड की मोटर डालें तो उसमें मोटर के द्वारा पानी बाहर आ सकता है। अब पहले वाले सिस्टम से आज पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आये दिन, जैसा कि गांवों में 6 घण्टे या 5 घण्टे के लगभग बिजली आती है उससे गांवों में पानी की पूर्ति बराबर नहीं होती है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अब जो भी नये ट्यूबवैल या बोरिंग खोदे जाएं उसमें कम से कम 200 मीटर हैड की मोटर डालें।

अध्यक्ष महोदय, पहले हैण्ड पम्पों से पानी उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब चूंकि हैण्ड पम्प की गहराई 300 फीट से ज्यादा होती नहीं है और लगभग 200 फीट तक ही हैण्ड पम्प पानी निकाल सकता है। इसलिए छोटी छोटी ढाणियां जिनको वाटर वर्क्स वाले पेयजल स्कीम में लेते नहीं हैं उनकी आबादी के हिसाब से ऐसे में सिंगल फेस की मोटर स्वीकृत की जाएं क्योंकि हैण्डपम्प से पानी उपलब्ध भी नहीं होता है और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं सकती, ऐसी स्थिति में, पांच सौ और दो सौ की आबादी तक

(श्री दाताराम गुर्जर)

की ढाणियों को सिंगल फेस की मोटर से या जो 2-2, 3-3 ढाणियों को मिलाकर अगर उनमें ट्यूबवैल की व्यवस्था करवाई जाए तो निश्चित रूप से पेयजल की व्यवस्था हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आज वर्षा अगर हो जाए तो सारे हैंडपम्प भी चालू हो सकते हैं और मोटर भी दुबारा से चालू हो सकती है लेकिन अब चूंकि मई, जून में गर्मियों का सीजन रहेगा और पानी बराबर उपलब्ध होगा नहीं, ऐसी स्थिति में दूसरा ट्यूबवैल अगर कोई ट्यूबवैल सूख गया है या पानी मोटर उपलब्ध नहीं करवा रही है तो उसमें मोटर तुरन्त चेंज करने की व्यवस्था हो और उसमें लम्बे हैड की मोटर चेंज करके और उस ट्यूबवैल को सूचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हो। अगर नया दूसरा स्वीकृत करवाने की बात आती है तो वह 2-3 महीने तक तो उसमें चालू नहीं हो सकता है इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गर्मियों में इस पीने के पानी की व्यवस्था को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने के लिए और यह व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अशोक कुमार नवलखा।

चित्तौड़ जिले के गिट्टी क्रेशर व्यवसायियों का कर निर्धारण

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से चित्तौड़ जिले के गिट्टी क्रेशर व्यवसायियों की कर निर्धारण संबंधी जो वर्तमान में समस्या उत्पन्न हुई है, उसके सम्बन्ध में आपने बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला चित्तौड़गढ़ के गिट्टी क्रेशर व्यवसायी पूर्व वर्षों में सामान्य दर से अपनी गिट्टी पर टैक्स देते आए हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे वहां के भीलवाड़ा के जो उपायुक्त महोदय लगते हैं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के जितने भी गिट्टी क्रेशर व्यवसायी, जिनका पूर्व विगत वर्षों में अपना कर निर्धारण हो चुका था, वर्ष 2003 के पश्चात् उन सब गिट्टी क्रेशर व्यवसायियों को जो उनके टैक्स की दर थी उसके विपरीत उन सब को कर निर्धारण के बाद उनकी फाइलें वापस रि-ओपन करके उनको वापस नोटिस देकर के उनकी वसूलियों का जो कार्य प्रारम्भ किया गया है, उससे क्षेत्र के गिट्टी क्रेशर व्यवसायियों में भारी असंतोष व्याप्त है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि गिट्टी जो बिल्डिंग मैटेरियल है और भवन एवं सड़क निर्माण के काम में प्रयोग आती है, अधिकांश गिट्टी का निर्माण पत्थर

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

की खदानों से प्राप्त वेस्ट मेटेरियल व खंड़ा पत्थर से होता है। राज्य में करीबन 2 हजार से अधिक गिट्टी क्रेशर कार्यरत हैं, गिट्टी पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी कर टैक्स की दरों का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका 295 थोड़े ही है, आपकी तो पर्ची है।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): नहीं, नहीं। टैक्स की दरों का निर्धारण किया जाता है लेकिन विगत कुछ वर्षों में अलग-अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करके विभाग ने कुछ इस प्रकार की पेचीदगियां उत्पन्न कर दी हैं जिस कारण से विगत वर्षों के अन्दर जो गिट्टी क्रेशर के उद्यमी थे, वह अपनी गिट्टी के ऊपर करारोपण मूल्य आधारित टैक्स प्रणाली से सामान्य दर पर जो हमेशा उच्चतम दर थी, उसके आधार पर करते आए हैं लेकिन अभी वेट प्रणाली लागू होने के पश्चात् जब कि वेट प्रणाली का मतलब ही यह होता है, मूल्य आधारित टैक्स प्रणाली लेकिन उसके विपरीत विभाग ने उनको वज़न आधारित करके उस पर 20 रुपये टन का टैक्स फिक्स कर दिया है, उसके कारण से जो वर्तमान में जो गिट्टी का मूल्य है, वह मूल्य भी जिस गिट्टी का मूल्य, मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं 50 रुपये, 56 रुपये, 62 रुपये, साढ़े 12 रुपये टन होता है उसके ऊपर करीबन 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 160 प्रतिशत तक टैक्स उन व्यापारियों को पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति से व्यवसायियों में असंतोष व्याप्त है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में जो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, उन अधिसूचनाओं की पुन: समालोचना की जावे तथा विशेष रूप से जो डीलर और अन-रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके अंदर आपसी पेचीदगियां उत्पन्न हो रही हैं उनको समाप्त करके डीलर की जगह अन-रजिस्टर्ड शब्द उस अधिसूचना के अंदर प्रयोग किया जाए जिससे कि इन सारी समस्या का समाधान हो सके तथा जो वसूलियां कर निर्धारण होने के पश्चात् उपायुक्त महोदय द्वारा चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले में की जा रही हैं उसको बंद की जाएं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): अन्यथा पूरे राजस्थान के अंदर गिट्टी क्रेशर व्यवसायियों के अंदर इस प्रकार का हड़कम्प मच जाएगा और यह सारे दो हजार जो गिट्टी क्रेशर व्यापारी हैं, इनके अंदर 50 हजार

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

मजदूर लगे हुए हैं, उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप निर्देश प्रदान करें ताकि इस प्रकार की समुचित व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामरतन बैरवा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब पहले ही माननीय सदस्य ने 295 में लगाया था, 13.3.2008 को उसका जवाब लिखित में इनको भिजवा दिया है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना है कि पर्ची पर जैसे आपके सब्जेक्ट आए हैं, यह पर्ची के विषय तो हैं नहीं। मेहंदी, गिरता जल स्तर, आपको मौका मिला था, पेयजल के ऊपर बोलने का और आपको गिट्टी है, मौका मिला था, एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते, बजट पर बोलते, उस समय मौका था तो हर कोई पर्ची का विषय थोड़े ही होता है ? पर्ची के विषय तो ऐसे होते हैं बिलकुल जो एकदम ऐसे हों कि जो आवश्यक हो बोलना, जो अभी तक बोले नहीं गए हों और ऐसा कोई सब्जेक्ट हो, वह आवश्यक होता है ...(व्यवधान) नहीं, रिसेंट प्रकरण वह होता है ...(व्यवधान) रिसेंट प्रकरण तो स्थगन प्रस्ताव के जरिए लाते हैं यह। लेकिन पर्ची पर बहुत महत्वपूर्ण जो अब तक उठाया नहीं हो, आप ऐसे सब्जेक्ट ले आते हो यहां पर। श्री रामरतन बैरवा ।

भीलवाड़ा जिले के अरवड़बांध की नहरों को पक्का कराने की व्यवस्था

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के मार्फत अरवड़ बांध की नहरों को पक्का करने के लिए अवसर दिया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिला था सिंचाई पर बोलते, आप यह सब बातें, अब आप पर्ची पर ले आए।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूरा यहां का ढांचा मानसून पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष: बोलें, बोलें, आप बोलें।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): और यहां का ढांचा पूरा मानसून पर

(श्री रामरतन बैरवा)

निर्भर है और भारत में 70 प्रतिशत दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। इस मानसून पर कभी अलनीनो, कभी लालीनो का प्रभाव हो जाता है और कभी अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी न्यून वृष्टि और ऐसी समस्या में हमारे छपनियां अकाल पड़ा था तो हमारे तत्कालीन राजाधिराज प्रातः स्मरणीय आदरणीय नाहरसिंहजी ने पुत्रवत् जनता की भलाई के लिए नाहर सागर का निर्माण किया और हमारे उम्मेद सिंहजी ने उम्मेद सागर का निर्माण करवाया। स्वतंत्र भारत में 1957 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में मानसी नदी के ऊपर यह अरवड़ बांध का निर्माण हुआ।

श्री अध्यक्ष: यह अखण्ड बांध है कहां ?

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): अरवड़, अरवड़, अखण्ड नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मानसी नदी पर अरवड़ गांव के निकट मानसी नदी पर बनाया हुआ बांध है यह। यह भीलवाड़ा जिले का तीसरा बड़ा बांध है। 1693 मिलियन घन फीट, जो इसकी क्षमता है, पूर्ण गेज 24 फीट है इसका, इसमें 12 ग्राम पंचायतों के लगभग 5467 हैक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होती है। निर्माण के समय में इसकी दो प्रमुख नहरें, एक दायीं नहर जो 690 चैन लम्बाई की है, बायीं 250 चैन लम्बी है और इसकी तीन प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, एक 390, एक 403 और 190 चैन लम्बी हैं।

श्री अध्यक्ष: सिंचाई मंत्रीजी, ध्यान दे लीजिए, पक्का करवा दीजिए।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आदरणीय जल संसाधन मंत्री यहां हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): जो जल संसाधान मंत्री घरों-घरों में पानी और खेतों के अंदर पानी पहुंचा रहे हैं, आधुनिक भागीरथ हैं राजस्थान के वह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नोट कर लीजिए।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): नहरों को पक्का करने की घोषणा करेंगे यह, तो आज अगर यह बांध पक्का हो जाए तो हमारा कायाकल्प हो जाता है क्योंकि इसमें अपव्यय ज्यादा होता है पानी का और जितना पानी की भराव क्षमता, इतना पानी होते हुए भी पूरे कमांड में इसकी सिंचाई नहीं हो पाती है क्योंकि नान कमांड में पानी चला जाता है। मैं आपके आशीर्वाद से माननीय

(श्री रामरतन बैरवा)

सिंचाई मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं, उनका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से मिला हुआ है, वह अच्छी तरह इसकी कंडीशन जानते हैं और निश्चित रूप से इसको पक्का करने की घोषणा करेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

सूचना

सरदारशहर में हो रहे प्रदर्शन पर लाठीचार्ज

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आप इजाजत दें तो एक इंफार्मेशन देना चाहूंगा। जो रेणु सोनी हत्या कांड हुआ उसके खिलाफ सरदारशहर में पूरे सूरतगढ़ के लोगों ने प्रदर्शन किया उसमें भयंकर लाठी चार्ज हुआ और उस लाठी चार्ज के विरोध में आज पूरा सरदारशहर और सूरतगढ़ दो बड़े कस्बे पूर्ण रूप से बंद हैं और एक पूर्व माननीय सदस्य जो गुरु शरण छाबड़ा हैं उनको आज अनशन किए हुए सातवां दिन है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण सरदारशहर से उनको चूरू हॉस्पिटल ले आए और चूरू हॉस्पिटल में और बिगड़ने के कारण अभी पीबीएम बीकानेर में ले जाया गया है। इस रेणु हत्या कांड में जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है बल्कि शांत तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अकारण लाठी चार्ज किया गया है जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं और यह गुरु शरण छाबड़ा आपकी पार्टी के ही नहीं हैं बल्कि आरएसएस के पक्के कार्यकर्ता हैं।

श्री अध्यक्ष: किसी भी पार्टी के हों, वह एक्स-एमएलए हैं और इस सरकार को चाहिए कि ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): और उनका जीवन खतरे में है, सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: सरकार ध्यान दे।

श्री अमराराम (धोद): सात दिन के अनशन के बाद, जिनकी उम्र, यह हालत है।

श्री अध्यक्ष: सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ध्यान दो।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, दो-दो कस्बे सूरतगढ़ और सरदारशहर पूर्ण रूप से बंद हैं और जिस तरह से निर्मम लाठी चार्ज किया गया है, दर्जनों लोगों के हाथ पैर टूट गये। और कोई कारण नहीं, कोई

(श्री अमराराम (धोद)

उकसावा नहीं है, कोई तोड़-फोड़ नहीं लेकिन केवल उन रेणु सोनी के अपराधियों से पुलिस प्रशासन के मिले हुए होने के कारण कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाइये कि सूरतगढ़ से चलकर के हजारों लोग सरदारशहर के पुलिस थाने पर आते हैं, उनका विरोध दर्ज कराते हैं लेकिन सरकार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय उन पर लाठी चलाते हैं और सात दिन से जो पूर्व विधायक हैं उनकी जान खतरे में है। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि तुरन्त उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनका अनशन तुड़वाया जाए।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी तो हैं नहीं इसलिए आप वरिष्ठ मंत्रीगण बैठे हुए हैं, जो भी इस बारे में कार्यवाही उचित है...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से है....

श्री अध्यक्ष: बोल दिये। अब क्या है? बोल दी सारी बात।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है। रेणु मामले में... अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है। सदन ऐसे नहीं चलेगा। यह सदन नियमों से चलता है। बोल दी बात और मैंने कह दिया मंत्रीगणों को। मंत्रीगणों को मैंने कह दिया कि गृह मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन आप दोनों वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हुए हैं, इस बारे में you should take note of it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, अध्यक्ष महोदय।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को, 23 तारीख को दौसा शहर में पानी के मामले पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया है और 23 तारीख को पुलिस अत्याचार की वजह से महावर महिला गुड्डी पत्नी दूलीचन्द के पांच महीने का गर्भ गिर गया है।

श्री अमराराम (धोद): ... माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका जीवन खतरे में है।

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, बात तो हो गई। मैंने, आसन ने कह दिया। They should take note of it. आसन ने कह दिया कि वो इस बात को नोट करें और इस पर ध्यान दें, इस पर कार्यवाही करें। अब और क्या चाहते हैं? बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सिर्फ इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेणु ने एस.पी., गंगानगर को एक पत्र लिखा था 2007 में।

श्री अध्यक्ष: अब आपका कहां से पत्र आ गया 2005 का? यह तो 2008 चल रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं रेणु हत्याकांड की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। आप क्यों खड़े हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था कि मैं 295 के बाद आपसे कहूं। आपने आज्ञा दी थी।

श्री अध्यक्ष: हां, जी क्या फरमा रहे हैं आप?

व्यवस्था का प्रश्न

जिला प्रभारी के रूप में विधायक की नियुक्ति

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत विनम्र शब्दों में आपसे यह निवेदन करना है कि जब आप अस्वस्थता की वजह से सदन में नहीं पधार रही थीं और सत्र की शुरूआत में ही हमारी पार्टी के द्वारा एक संवैधानिक मुद्दा उठाया गया था। तब उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जब सर्वदलीय बैठक हुई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर यह सहमति व्यक्त की कि राजस्थान के तमाम जिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रभारी लगाया जाएगा जिनको राज्यपाल महोदय ने मंत्री की शपथ दिलाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जिलों में यह स्थिति होती है कि ये बिना शपथ लिये हुए लोग जब जिलों में प्रभारी के रूप में जाते हैं तो राज्यपाल महोदय ने जिनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है वो तो साइड में बैठे हुए हैं और ये बिना शपथ के लोग वहां पर बैठक की अध्यक्षता करते हैं। रूल आफ बिजनैस में इनका कोई उल्लेख नहीं है, इनका कोई प्रावधान नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब विराजमान हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, सहमति हुई थी।

श्री अध्यक्ष: क्या मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार का कोई सदन के अन्दर आश्वासन दिया था? दिया था क्या सदन में कोई?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वैश्म में, आपके चैम्बर में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन में तो यह मामला कभी आया ही नहीं। सदन में मुख्य मंत्रीजी ने कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया, इस तरह का सदन में कोई आश्वासन नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अब तथ्यों को तोड़-मरोड़कर के प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय तय यह हुआ था कि जिले के प्रभारी लगा सकते हैं पर जिले में प्रभारी मंत्री के रूप में जिन लोगों ने शपथ नहीं ली उनको नहीं लगाते और नहीं लगाया। प्रभारी तो उनको लगा ही सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि यह इनकी +++ बोलने की आदत पड़ गई है। ला मिनिस्टर साहब बैठे हैं, पूछिये आप। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें, असंसदीय..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द असंसदीय है। आपकी भाषा संसदीय होनी चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो ये असत्य बोलने के आदी हो गये हैं। मैं संसदीय शब्द का प्रयोग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, असत्य बोलने की आदत हो गई है।

श्री अध्यक्ष: हां, ऐसे बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप पूछ लीजिये कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा था या नहीं कहा था। आपके चैम्बर में उपाध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में बैठक हुई है। लॉ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने कही है यह बात कि मंत्री हैं वो ही सिर्फ जिलों के प्रभारी रहेंगे। उसके बाद भी अभी तक फिर मुख्य मंत्री सर्वजन सम्पर्क अभियान चल रहा है फिर वो ही लोग जिनकी ओथ नहीं हुई गवर्नर के द्वारा, वो फिर प्रभारी बनकर के जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था का मखौल बना रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा आपके

(डा. सी.पी. जोशी)

सामने भी आया है, एक साल हो गया है। आपके कहने से प्रभारी की जगह मंत्री तो हट गये। प्रभारी कौन हो सकता है? मैं एमएलए हूं, बिना कांस्टीट्यूशन की ओथ लिये, वो प्रभारी कांस्टीट्यूशन की ओथ ही नहीं ली तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन करेगा? कैसे मीटिंग लेगा मेरी जिसमें मैं जाऊंगा? मैं समझता हूं कि आप इतने बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप इस चीज को अनदेखी कर रहे हैं। यह गम्भीर मसला है कि राजस्थान की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन करे और हम विधान सभा में कुछ नहीं कर सकें। आपको यह फैसला करना पड़ेगा, सरकार को डायरेक्शन देना पड़ेगा कि जिन लोगों ने कांस्टीट्यूशन की शपथ नहीं ली है वो पर्क्स और प्रिविलेज ले सकते हैं but they cannot intervene in the government functioning. It is very unfortunate. And we are silent spectators to all these things. इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब मौजूद थे जब मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में मीटिंग हुई। दो बातें हुई थीं, नम्बर एक कि संसदीय सचिव के सम्बन्ध में यह करेंगे, नम्बर दो, प्रभारी के तरीके से प्रभारी नहीं जाएंगे और उसके बाद भी हम उनको प्रभारी बनाकर के वहीं भेज रहे हैं। मैं एमएलए हूं, मेरा राइट है एमएलए, मेरी मीटिंग एक आदमी जिसने कांस्टीट्यूशन की शपथ नहीं ली है वह मीटिंग में कैसे प्रिसाइड करेगा, कैसे कलक्टर उसके प्रति जवाबदेह होगा, कैसे हम असेम्बली में जवाब देंगे, ये सब इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी परम्पराओं को आप, जिस सदन में भैरोंसिंहजी शेखावत के हम उदाहरण देते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में प्रेक्टिसेज की बातें करते हैं उस सदन में बैठकर के हम परम्पराओं को खतम करें, मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति घनश्यामजी तिवाड़ी आपकी भी नहीं हो सकती और आप यह पार्टी में डिफरेंस और यह पार्टी में आप खड़े होकर के इस तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं तो यह राजस्थान की जनता में जाकर के क्या कहना चाहते हैं, बताइये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपको बार-बार कहने के बाद भी यदि यह स्थिति बनती है तो हमें इस बारे में इश्यू लेना पड़ेगा कि यह संसदीय प्रणाली के अन्दर, विधान सभा में हम डिसकस कर रहे हैं और वो इर्रेलेवेंट चीजें डिसकस कर रहे हैं, हम कांस्टीट्यूशन के बाई-प्रोडक्ट हैं तो कांस्टीट्यूशन को बाइपास होने के लिए हम मूकदर्शक बनेंगे, मैं समझता हूं कि आपकी ड्यूटी बनती है, आप कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की

(डा. सी.पी. जोशी)

एग्जीक्यूटिव के मैम्बर भी हैं, हमें घमण्ड है कि आप उस पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के मैम्बर हैं, आप मूकदर्शक बनकर के बैठे रहें इससे अच्छा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी डिस्क्रिशन को यूज करिये और डिस्क्रिशन को यूज करके सरकार को डायरेक्शन दीजिये कि सरकार ऐसे गैर संवैधानिक काम को नहीं करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक संसदीय सचिव के प्रकरण का मामला था...

श्री अध्यक्ष: नहीं, वो दूसरी बात उठा रहे हैं। संसदीय सचिव वाली बात नहीं उठाई है इन्होंने। संसदीय सचिव वाली बात का तो मैं जवाब दे दूंगी लेकिन इन्होंने बात दूसरी उठाई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं निवेदन करूं। (व्यवधान) उसके लिए तो एक कमेटी बनी थी जिसमें विपक्ष के नेता भी हैं, माननीय विधि मंत्री हैं, मैं हूं....

श्री अध्यक्ष: वो तो मैं भी जवाब दे दूंगी, मेरे पास है रिकार्ड। इनका प्रश्न तो और है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Please don't sidetrack. Both the issues were discussed. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, both the issues were discussed. Please don't sidetrack. In the presence of Hon'ble Chief Minister, both the issues were discussed और दोनों इश्यू के लिए कमेटी बनाई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी, इनका प्रश्न और है। इसका जवाब तो मैं भी दे दूंगी, आसन दे देगा। वह कमेटी जो संसदीय सचिव के लिए बनायी थी उस कमेटी के अन्दर जो तय हुआ है वह यह हुआ है कि उसके चेयरमैन तो होंगे उपाध्यक्ष महोदय, आपके नेता, प्रतिपक्ष मैम्बर, घनश्याम तिवाड़ी मैम्बर, राजेन्द्र राठौड़ मैम्बर और श्री प्रद्युम्न सिंह, मैम्बर। दो कांग्रेस की ओर से और दो मंत्रीगण। यह कमेटी तीन बार बुलाई गई है। पहली बार बुलाई है 12 मार्च को 10 बजे लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ। सॉरी, पहले 5 मार्च को बुलाई, कोरम नहीं हुआ, दूसरी 12 मार्च को बुलाई पर कोरम पूरा नहीं हुआ, तीसरी बार 19 मार्च को बुलाई पर फिर भी कोरम नहीं हुआ। जब आप

(श्री अध्यक्ष)

इंटरेस्टेड ही नहीं हैं आने में, आप वाले ही नहीं आते। 6 में से यदि आप दो आ जाते तो तीसरे जो उपाध्यक्षजी थे वो भी आते। आप ही नहीं आते हो तो फिर इसका फैसला कैसे होगा यह मुझे बताइये। इसके लिए कौन कसूरवार है? कसूरवार कौन है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो गलती कर रहे हैं वो हैं। जो गलती कर रहे हैं उनको ठीक करना है। कसूरवार तो वो ही हैं जो गलती कर रहे हैं। वो कसूरवार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ... उनको आना तो चाहिए था। आपके नेता, प्रतिपक्ष को आना चाहिए था। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने खुद ने अपनी आब्जर्वेशन दी है। यह तो सरकार को आकर के अमेंडमेंट करना था। इसमें Committee or no Committee, in the interest of the government यह तो इश्यू ही नहीं, हमने जिस बात को एग्री किया था कि रूल में अमेंडमेंट करना है, आप रूल में अमेंडमेंट करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ... चेयर से व्यवस्था दी गई थी, आप एग्री हुए हैं कि दो सदस्य इधर से, दो सदस्य उधर से, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अध्यक्ष होंगे, इस पर आप एग्री हुए हैं उसके बाद आप आते ही नहीं हैं मीटिंग के अन्दर तो फैसला कैसे होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तीन बैठकों में से दो बैठकों में मैं और कानून मंत्रीजी उपस्थित रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए सदन में, इधर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह इसीलिए हुआ कि.....

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बिलकुल उपस्थित हुआ और आपके कोई नहीं आये। उसके बाद यह तय हुआ कि हाउस के टाइम में रखी जाए। हाउस में मैं पूरे दिन सदन में बैठा रहता हूं.....

श्री अध्यक्ष: कोरम पूरा नहीं हुआ। कभी आप आये तो वो नहीं आये, वो आये तो आप नहीं आये, कोरम तो पूरा हुआ नहीं। (व्यवधान) मुझे तो आपकी मिलीभगत लग रही है, मुझे तो मिलीभगत नजर आती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इस इश्यू को तो साइडट्रेक, अभी जो रेलेवेंट इश्यू उठा है वह प्रभारी मंत्री का है, प्रभारी का

(डा. सी.पी. जोशी)

प्रभारी का, उस पर आप बात करिये अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में खुद ने व्यवस्था दी है, सदन में आपने यह व्यवस्था दी है। हमने प्रश्न उठाया, आपके सामने कागज रखा कि प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है। यहां की सरकार के कलक्टर को यह सूचना गई। आपके बाद माननीय गृह मंत्रीजी ने एग्री किया...

श्री अध्यक्ष: यह मंत्री शब्द नहीं लिखा गया है। सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो प्रभारी कैसे हो सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + I am an elected MLA. मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरी मीटिंग को, वह एक आदमी जिसने संविधान की शपथ नहीं ली है, वह कैसे लेगा मीटिंग? How can he intervene in the government functioning? यह सरकार है कि क्या है, आप मुझे समझाओ। फिर तो आप असेम्बली को बन्द करिये, फिर केबिनेट को बन्द करिये, फिर जिससे चाहे उससे वैसा काम कराइये। यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करके हम राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आपसे आशा करते हैं कि आप कम से कम संसदीय प्रणाली की इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सरकार को डाइरेक्शन दीजिये कि इनको प्रभारी बतायें, गाड़ी दीजिये, घोड़ा दीजिये, बंगला दीजिये, मकान अलाटमेंट करिये और उनको कोठी दे दीजिये लेकिन सरकार की फंक्शनिंग के अन्दर जिन लोगों ने संवैधानिक शपथ नहीं ली है, वह प्रभारी नहीं हो सकते। यह कानून है, यह संवैधानिक व्यवस्था है और मैं चाहता हूं माननीय राठौड़ साहब, आपकी ड्यूटी बनती है, आप बहुत ही सीनियर मेम्बर असेम्बली के हैं। आप भैरोंसिंहजी शेखावत के शिष्य बनने का घमंड करते है और मुझे लगता है कि भैरोंसिंहजी शेखावत की सारी परम्पराओं को खतम करने का श्रेय किसी एक आदमी को जायेगा तो उसका नाम काले अक्षरों में राजेन्द्र राठौड़ रहेगा। आज सारी परम्पराओं को खतम करके एक नया उदाहरण बनाना चाहते हैं। आप अपनी लायल्टी रखिये, आप चीफ मिनिस्टर के प्रति लायल रहिये पर संसदीय मर्यादाओं को खतम करने का अधिकार आपको नहीं है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपको, आप मेहरबानी करके सरकार को डाइरेक्शन दीजिये कि प्रभारी किसी भी जिले का मीटिंग नहीं ले सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण आपके सम्मुख भी आया था। यह तब आया था जब सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाकर यह कहा था कि जो जिलों में 164(3) संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जिन्होंने शपथ नहीं ली, वह प्रभारी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस समय स्पष्ट तौर पर आपको भी आश्वस्त किया था और मुख्य मंत्रीजी ने भी यह कहा था कि जिले का प्रभारी तो कोई हो सकता है, पर जिले का प्रभारी मंत्री, उस दिन के बाद प्रभारी मंत्री के रूप में उनको किसी को नामजद नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रभारी के रूप में जरूर निश्चित रूप से कुछ जिलों के अन्दर कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जिनके पास दूसरे दायित्व भी हैं... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विधान सभा के 200 सदस्य हैं, वह वरिष्ठ नहीं हैं, जो इलेक्टेड होकर नहीं आये वह काहे के वरिष्ठ हैं? बंद कीजिये विधान सभा के चुनाव करवाना। आपके मन में आये, उनको रखिये जिस किसी को भी। आपकी जिसकी इच्छा हो, उसको एम.एल.ए. रखिये, जिसको चाहे मंत्री रखिये, जिसको चाहे काम कराइये। क्यों राजस्थान की जनता के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं? आप यह फैसला कर लीजिये कि विधान सभा के चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी विधान सभा के 200 सदस्यों के अलावा कोई भी आदमी इस सरकार की फंक्शनिंग के अन्दर इतना इम्पोर्टेन्ट नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, यह तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नई बात नहीं है। यह बात पहले भी हुई है, चाहे शासन इनका रहा हो चाहे शासन हमारा रहा हो, बहुत से लोग...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप खुद व्यवस्था कर दें। अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा है कि जो सदस्य हाउस का मेम्बर नहीं है, उसके बारे में डिसकस नहीं कर सकते हैं, यह यहां पर मना है कि नहीं? जब वह प्रभारी है, वह हाउस का मेम्बर ही नहीं है। मैं एम.एल.ए. हूं, मैं क्या डिसकस करूंगा आखिर? आप कहोगे कि वह हाउस का मेम्बर ही नहीं है। आप एक तरफ परम्पराओं की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो आदमी इस सदन का मेम्बर नहीं है, उसके कृत्य के बारे में हम डिसकस नहीं कर सकते तो प्रभारी के कृत्य पर डिसकस कैसे करेंगे, यह बताइये मुझे? To

(डा. सी.पी. जोशी)

whom will he be responsible? वह किसके प्रति रेस्पोंसिबल होगा? वह सरकार के प्रति होगा? मैं समझता हूं, राजस्थान की जनता का इससे बड़ा मजाक पिछले चार साल से कभी नहीं हो रहा होगा और संसदीय प्रणाली को बनाये रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, आपकी है। आपको कुर्सी पर बैठकर फैसला करना चाहिए कि हम इन परम्पराओं का निर्वहन करें।

(समय : 13.05 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। शासन चाहे इनका रहा हो चाहे हमारा रहा हो...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नई बात यह हो गई कि उपाध्यक्षजी आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, नई बात यह हो गई कि उपाध्यक्षजी आ गये। यह नई बात नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): राठौड़ साहब, आप तो राठौड़ी करने वाले हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह क्या बात कर रहे हैं? यह तो हाउस में फैसला करना पड़ेगा कि प्रभारी नहीं रहेंगे। प्रभारी नहीं रहेंगे उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकते। या तो हाउस में आश्वासन दीजिये कि वह मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेंगे। सिर्फ माननीय एम.एल.ए. और एम.पी. मेम्बर होंगे, यह समझाओ उपाध्यक्ष महोदय। +++ उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से ऐसे कारण हैं, कोई... (व्यवधान) कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी सेवाएं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या वापस प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस मुद्दे को? राठौड़ साहब, आप क्या वापस प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस इश्यु को? मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन सहमति नहीं दी थी कि हम हटायेंगे, मंत्रियों को प्रभारी रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री के रूप में संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत जिन्होंने शपथ नहीं ली है, किसी भी जिले में प्रभारी मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को नहीं लगाया गया है, प्रभारी के रूप में अलग-अलग जिलों में... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रभारी मंत्री के रूप में लगाया गया है। (व्यवधान) प्रभारी किसको बनाते हो? आप उनको बन्द करो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...वह जिले के अन्दर प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं लग सकते। उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी एम.एल.ए. नहीं है, वह हमारा....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आज कोई नई बात नहीं है। शासन चाहे इनका रहा हो, चाहे हमारा रहा हो। कई ऐसे लोग इनके शासन में भी अलग-अलग चीजों में अलग-अलग जिलों में लगे हुए थे... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कभी मंत्रियों के अलावा प्रभारी नहीं रखा किसी को भी जिलों में। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो एम.एल.ए. नहीं है, वह प्रभारी कैसे लग सकता है? प्रोटोकोल में चीफ सैक्रेटरी भी एम.एल.ए. से बाद में आता है और एक साधारण आदमी जिसको आपने कोई किसी का अध्यक्ष बना दिया, वह हमारा प्रभारी बन गया, ऐसे प्रभारी को हम नहीं मानेंगे, ऐसे प्रभारी नहीं बन सकता। आप प्रभारी मंत्री नहीं हो, वह प्रभारी रहेंगे। वह किस हैसियत से हमारा प्रभारी रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके चैम्बर में आपकी मौजूदगी में तय हुआ था।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा में जब इस बात को लेकर गतिरोध पैदा हुआ संसदीय सचिवों और प्रभारी मंत्रियों के बारे में, विधान सभा की कार्यवाही तब नहीं चल रही थी, तब यहां मुख्य मंत्रीजी ने बुलाया और बैठकर यह तय हुआ और सी.एम. साहब ने यह एग्री किया कि अब भविष्य में मंत्रियों को ही प्रभारी मंत्री के रूप में लगाया जायेगा और दूसरा कोई नहीं लगाया जायेगा। प्रभारी मंत्री और प्रभारी में फर्क करके यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह बात नहीं हुई थी। बात यही हुई थी कि प्रभारी मंत्री हो या प्रभारी नाम रखो, कुछ भी रखो, जिलों में अब जो मंत्री नहीं हैं, उनके अलावा जो चुने हुए नहीं हैं, जिन्होंने शपथ नहीं ली है संविधान की, वह प्रभारी नहीं रहेंगे। यह बात तय हो गई थी, मुख्य मंत्रीजी ने एग्री कर लिया था और और आज यह वापस बदल गये तो कोई भी बात

(श्री हेमाराम चौधरी)

बैठकर तय करके उसमें इस तरह से बदल जायेंगे तो फिर कोई बात तय हुई, उसकी क्या सेंक्टिटी रहेगी? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपको मालूम है, इसलिए इनसे कहिये कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिले 33 हैं और मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए प्रभारी तो लगा ही सकते हैं। (व्यवधान) सब को मालूम है कि जो संशोधन आया है उसके बाद में मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, जिले 33 हैं इसलिए प्रभारी मंत्री नहीं, प्रभारी के रूप में लगाया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जवाब आपसे थोड़े ही मांगा जा रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ....तो क्या संसदीय सचिव बढ़ाये हैं? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, संख्या अगर 30 से ज्यादा नहीं है तो एक मंत्री को दो जिलों का प्रभारी बनाया जा सकता है... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यस, लो अक्ल लो, नेता प्रतिपक्ष से बुद्धि लो। आप में बुद्धि नाम की चीज है नहीं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस वजह से आप यह नहीं हो, एक मंत्री को दो जिलों में प्रभारी बना सकते हैं। यह आप बहानेबाजी कर रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। इस बिन्दु को टाला जा रहा है और...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं, जब यह बात हुई, उसके बाद में जिन्होंने शिड्यूल (3) के अनुसार शपथ नहीं ली, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिलों के अन्दर प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व नहीं दिया गया है पर कुछ ऐसे लोग-बाग़ जिनको जिला प्रभारी के रूप में, इन्चार्ज आफ डिस्ट्रिक्ट, यह भी एक विशेष कार्यक्रम के अन्दर जिस तरह अभी ग्रामीण सम्पर्क अभियान चला, राजस्व अभियान चला, उनके लिए मोनेटरिंग करने के लिए लगाया गया है। यह कोई बात थोड़े ही है...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार का फैसला है। यह भारतीय

(डा. सी.पी. जोशी)

जनता पार्टी का फैसला नहीं है। सरकार के टैक्स के पैसों के ऊपर नोन आदमी नहीं बैठ सकता. We are responsible to the public. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, माननीय सदस्य, मेरा आपसे एक ही निवेदन करना है कि यह अध्यक्ष महोदया की हाजिरी के अन्दर ऐसी बातचीत हुई थी, इसलिए उनकी थोड़ी तबीयत अस्वस्थ चल रही थी। (व्यवधान) यह सचिवों वाली एक बात थी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कौनसी नई बात आई। मंत्रियों वाला इश्यु आपकी मौजूदगी में हुआ था... (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने बैठक बुलाई थी। आपकी प्रजेंस में ही मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं नहीं, यह नहीं कहा था। यह जो प्रभारी वाली बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये आपके मुंह में ऐसे शब्द डालना चाहते हैं। ये आप पर दोषारोपण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जहां तक जोशीजी के ध्यान में है। माननीय सदस्य, जहां तक जोशीजी के और हमारे ध्यान में है, ऐसा है कि यह मुख्य मंत्रीजी के और अध्यक्ष महोदया के सामने बातचीत हुई थी तो उस बारे में आप अध्यक्षजी के चैम्बर में बात करके कोई निर्णय करवा लीजिये, यहां पर सदन के अन्दर नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, फिर हाउस नहीं चलेगा, हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप बात करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा, आपके चैम्बर में माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय महावीरजी, माननीय राठौड़ साहब, इनकी उपस्थिति में बातचीत हुई थी, प्रद्युम्न सिंहजी चले गये, हम जब वापस आये थे तो मुख्य मंत्रीजी बैठी थीं, तब हमने दो बातें कहीं थी, एक तो संसदीय सचिवों की बात कही थी और एक प्रभारी की बात कही थी। यह दोनों बातें कहीं थी आपके सामने आपके ही चैम्बर में, ये दोनों बातें हैं तो

(डा. सी.पी. जोशी)

मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि बिलकुल ठीक है, इस बात को ठीक करेंगे और ठीक करने की बजाय आज भी वह प्रभारी मंत्री की हैसियत से मीटिंग ले, यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती। अभी आपकी जल यात्रा चलेगी, फलानां यात्रा चलेगी। डिस्ट्रिक्ट में मैं एम.एल.ए. हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में हूं, वह कैसे ले सकते हैं? आपका खुद का फैसला है। यह आप फैसला कर दीजिये कि सदन के अन्दर जो सदस्य मेम्बर नहीं है, उसके आचरण की चर्चा नहीं कर सकते। वह मीटिंग लेगा, उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। यह दोहरा मामला है। आपको बिलकुल क्लियर-कट फैसला करना पड़ेगा कि आप एक मंत्री को छह जिले दे दीजिये। वैसे ही सरकार को चार मंत्री चला रहे हैं जो पूरे राजस्थान को चला सकते हैं, आप छह जिले दे दीजिये, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन प्रभारी कोई भी मीटिंग नहीं ले सकता, यह संवैधानिक व्यवस्था है उपाध्यक्ष महोदय, जिस संवैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक पद पर बैठकर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप संविधान की रक्षा करें और संविधान की रक्षा में गैर संवैधानिक कार्य जो भी होता है उपाध्यक्ष महोदय, तो यह हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसलिए आपको बिलकुल आज फैसला करना चाहिए कि वह प्रभारी की हैसियत से जिले की मीटिंग नहीं लेंगे, यह आप डाइरेक्शन दीजिये सरकार को।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...और बिजनस रुल्स में कोई राइट नहीं है उनका, कहीं उल्लेख नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बिजनस रुल्स से चलती है, Business Rules approved by the Governor.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यस।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, उसमें बताइये कि प्रभारी, जिसने शपथ नहीं ली है वह हमारा कैसे इंचार्ज हो सकता है, कौन से बिजनस रूल में लिखा हुआ है, सारे बिजनस रूल को फ्लाउट कर दें, मन में आये जो काम कर रहे हैं आप और संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि चेयर ही निरीह हो जायेगी, मूकदर्शक बन जायेगी, इनडिफरेंट हो जायेगी तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं यह फैसला करिये

(डा. सी.पी. जोशी)

पहले, सबसे पहले, कि सरकार को निर्देश दिये जाते हैं कि यह प्रभारी कोई भी सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप प्रभारी रखिये, अपने घर पर बैठा दीजिये, दरबार के अंदर पचास आदमी होते हैं, पचास आदमियों को बैठा दीजिये न आप, कौन मना करता है लेकिन यहां विधान सभा में एकाउण्टेबिलिटी उसी की होगी जिसने संविधान की शपथ ली है, चाहे वह एमएलए हो, चाहे वह मंत्री हो, बिना शपथ लिये कोई भी आदमी सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, जो असेम्बली में उपस्थित ही नहीं हो सकता तो सदन के चुने हुए प्रतिनिधि को वह कैसे मानीटरिंग करेगा, कैसे उनका इवोल्यूशन करेगा, कैसे वह सरकारी आदमियों को डाइरेक्शन देगा। पूरे स्टेट के एक्सचेकर के पैसे के ऊपर उसका अधिकार है, वह डाइरेक्शन दे कलक्टर को कि रथ को यहां भेजना है, फलानां करना है, इतना खर्चा करना, यह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तो माननीय सदस्य, आपके कहने के मुताबिक कोई विधायक...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपके कहने के मुताबिक कोई विधायक तो प्रभारी हो सकता है, विधायक जो नहीं है क्योंकि उसकी कोई शपथ नहीं है...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं तो मंत्री प्रभारी हो सकता है, वह अध्यक्षता करे।

श्री उपाध्यक्ष: यह वहां तक सीमित है, माननीय सदस्य, आपके सबमिशन के मुताबिक यह है कि जो एमएलए है वह तो शपथ लेता है और एमएलए के अलावा कोई प्रभारी है तो विवाद तो इतना सा ही रहा कि एमएलए के अलावा जो प्रभारी बनाये गये हैं, उसमें थोड़ा सा आप स्पीकर महोदय के चैम्बर में बैठकर बात कर लें, कोई निर्णय निकल जायेगा, उनके सामने थोड़ा ज्यादा खुलासा बात हुई थी, मेरा आपसे यही निवेदन था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो आप कहो जहां बैठ जाऊंगा। मुख्य मंत्री के पास बैठ जाऊंगा। संविधान को इन्टरप्रेट तो आपको करना है मान्यवर, आप कुर्सी पर बैठकर विधान सभा में जो यह प्रक्रिया और नियम...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो आपने....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह प्रक्रिया नियम कांस्टीट्यूशन के

(डा. सी.पी. जोशी)

अन्तर्गत बने हुए हैं, उसके अन्तर्गत हाउस चलता है, आपको उन प्रक्रिया नियम के अन्तर्गत इन्टरप्रेट करना है...

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्षजी के यहां...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कि इन नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत हम जो बात कह रहे हैं वह संवैधानिक बात नहीं है या संवैधानिक बात नहीं है। आप जो कहें, बैठ जायेंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय के साथ बैठकर बात कर लें, हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने आसन से...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खड़े होते हैं तो हम बैठ जाते हैं और यह खड़े रहते हैं, इनका नम्बर पहले आ जाता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां आ गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): या तो आप कहें तो हम भी खड़े रहें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमको मौका ही नहीं मिले फिर, इसका मतलब ही नहीं हुआ कुछ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो आप ही आप कहते रहेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसका। (व्यवधान) आप ही आप क्या कहते रहेंगे। (व्यवधान) मेरे को तो उपाध्यक्ष महोदय अलाउ करेंगे तब कह दूंगा अपनी बात। मैं कहने लगा आप खड़े हो गये, मैं बैठ गया।

श्री उपाध्यक्ष: बोलो माहिर साहब, आप बोलें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर आप बैठे तब मैं खड़ा हो गया, इसमें क्या बात हुई । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): होस्टल में सीनियर कौन था। फिर आदेश दो आप, या फिर बैठो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने मुझे नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुंह से कहो, तब पता पड़े क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके बाद आप मुझे भी मौका दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने जो अभी व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है। इस विषय पर पहले भी बात काफी बार हो चुकी है और निश्चित तौर पर हम भी जानते हैं कि विधान सभा, संविधान, रूल्स आफ बिजनस, आर्टिकल 166 के अन्तर्गत बने हुए हैं, पर उसमें कहीं दखलंदाजी किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं है जिसने संविधान के 164(3) के तहत शपथ नहीं ली है। उपाध्यक्ष महोदय, कई इस तरह के कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में और कुछ लोगों के सहयोग से, उसकी मानीटरिंग के लिए किसी को लगाया है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रभारी जरूर लगायेंगे, प्रभारी मंत्री के रूप में किसी को नहीं लगाया गया और वैसे आपने कह दिया, वैसे आपने निर्देश...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रभारी किसका। (व्यवधान) किस बात के प्रभारी, बतायें ना। प्रभारी किस बात के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अलग-अलग केम्पेन के। अलग-अलग केम्पेन के।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, किस बात के प्रभारी। यह केम्पेन भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, सरकार का केम्पेन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कई केम्पेन, कहीं जल चेतना यात्रा का केम्पेन है, कोई राजस्व अभियान का केम्पेन है, अलग-अलग केम्पेन चलाये गये हैं...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के केम्पेन का इंचार्ज मंत्री ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभारी हो सकता है, सरकार के किसी भी केम्पेन का इंचार्ज मंत्री ही होगा, गैर मंत्री नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अच्छा, आपके शासनकाल में...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नाम बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आरटीडीसी के चेयरमैन नहीं थे, आपके शासनकाल में।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कौन। ही वाज नॉट प्रभारी मंत्री। कौन थे, कोई प्रभारी मंत्री नहीं था, डोंट साइड-ट्रेक, कोई प्रभारी मंत्री आज दिन तक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कोई बात हुई क्या।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कभी नहीं था किसी के भी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गलतबयानी मत करिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पचास साल तक आप सब...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारे यहां कोई भी शहर में, किसी भी जिले का प्रभारी नहीं था। यह गलत परम्पराएं आप शुरू कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पचास साल में राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक किसी भी आदमी को नहीं बनाया है, बताइये एक नाम। सिंगल नाम बताइये, हम माफी मांग लेंगे। एक आदमी पचास साल में आज तक, 52 से लगाकर अभी तक कांग्रेस ने कभी भी जो गैर मंत्री है उसको प्रभारी नहीं बनाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी प्रभारी मंत्री नहीं लगाया गया है, प्रभारी जरूर लगाये गये हैं और उसके बाद भी...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं लगा सकते आप प्रभारी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसके। (व्यवधान) किस बात के प्रभारी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने जिसमें निर्देश दे दिये, आपके वेश्म में आकर...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सदस्यता के...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, किस बात के प्रभारी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने जो व्यवस्था दे दी, उसके अनुसार बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कौन से प्रभारी हैं। क्या सदस्यता के प्रभारी लगाये हैं? भाजपा के सदस्यता के प्रभारी हैं क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह बताइये मंत्रीजी, रूल आफ बिजनस में क्या है। रूल आफ बिजनस में क्या है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई भी प्रभारी मंत्री...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप, रूल आफ बिजनस के मुताबिक शासन चलाओ न आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मीटिंग लेते हैं जिसमें एमएलएज मेम्बर होते हैं, कैसे ले सकता है मीटिंग, आप बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि संसदीय कार्य मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह किस रूप में कर रहे हैं, इंचार्ज मिनिस्टर और इंचार्ज, क्या डेफिनेशन है आपकी, कौन इंचार्ज और कौन इंचार्ज मिनिस्टर, बात एक ही है। अगर आप किसी को इंचार्ज लगा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को लगाइये इंचार्ज, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी योजनाओं पर मानीटरिंग करने के लिए, उनके नियंत्रण के लिए, उनके संचालन के लिए, उसमें सुझाव देने के लिए कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के पैसे पर टीए, डीए ले रहा है और जाकर के वहां पर कार्य कर रहा है, वह इंचार्ज मिनिस्टर कर सकता है, इंचार्ज क्या होता है, आप गुमराह कर रहे हैं सदन को। आप परिभाषित करिये कि इंचार्ज क्या है और इंचार्ज मिनिस्टर क्या है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इंचार्ज मिनिस्टर जो है वही होगा...(व्यवधान) मुझे मेरी बात कह लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास में जनता का कोई मुद्दा नहीं है, अब यह कह रहे हैं सरकार प्रभारी किसको लगा रही है, प्रभारी किसको लगा रही है, आपके पास पब्लिक का कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम नहीं लगाना चाहते, हम तो आठ महीने बाद...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): चार सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इनके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) चर्चा दूसरी तरफ जा रही है...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): अब सरकार प्रभारी किसको बना रही है, यह पंचायती कर रहे हैं। (व्यवधान) यह पंचायती कर रहे हैं कि प्रभारी किसको लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई आपका अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य, आप कहने दीजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि आपने जो व्यवस्था दे दी वह शिरोधार्य है कि अध्यक्ष की मौजूदगी में बात हुई थी, अध्यक्ष के वेश्म में जाकर चर्चा कर लें, लेकिन यह एक छोटा-मोटा प्रश्न नहीं है, यह एक संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए अध्यक्ष के वेश्म में जाकर बात कर लेंगे, आप आधा घंटे के लिए सदन को एडजोर्न कर दीजिये, पहले इस पर बातचीत हो जायेगी, क्या व्यवस्था होती है, उसके बाद में आप सरकार को चलाइये। सरकार तो कानून-कायदे से, प्रक्रिया-नियम से चलेगी, राठौड़ी से नहीं चल सकती।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कानून नहीं चल सकता, कानून देश का चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। आप चाहे जिस व्यक्ति को और राजेन्द्र राठौड़जी तो यह और चाहते हैं कि नाम लेकर के बात करो, हम जो हैं वह संसदीय कार्य प्रणाली और संसदीय जो प्रथाएं रही हैं उस पर चल रहे हैं, जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लेकर, हो सकता है आपकी उनसे राजनीतिक अदावत हो, आप तो उनका नाम लेकर उनकी यहां छीछालेदर करवाना चाहते हो, लेकिन हम आपके अंदरूनी झगड़े में नहीं पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तो केवल संवैधानिक प्रश्न उठा रहे हैं कि संविधान के दायरे में प्रभारी मंत्री वही हो सकता है जिसने संविधान की शपथ ली है वरना वह किस हैसियत से हमको बुलायेगा, किस हैसियत से डाइरेक्शन देंगे। आप, एक व्यक्ति जाकर के कलक्टर को और संभागीय आयुक्त को निर्देश दे और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलायेंगे कि आओ डाक बंगले में, सर्किट हाउस में, यह काम करो, यह नहीं करो, यह नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप संविधान के हिसाब से, कानून-कायदे से राज को चलाना चाहते हो तो राठौड़ साहब, राठौड़ी नहीं चलेगी। जो चीज तय हुई है उसके हिसाब से आप चलाइये वरना यह नहीं चल सकते आपके मेम्बर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और आप इस सदन को गुमराह करने के लिए कह दो कि साहब, वह इंचार्ज मिनिस्टर नहीं है, इंचार्ज है। काहे का इंचार्ज है वह।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कूड़ा उठवाने के इंचार्ज हैं क्या वह। काहे के इंचार्ज हैं वह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, मैं भाषण दे रहा हूं। भाषण दे रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं और आसन से कह रहा हूं इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें व्यवस्था दें और अगर अध्यक्ष के वेश्म में चर्चा करानी है तो आप हाउस को एडजोर्न करके, स्थगित करके और इस पर पहले चर्चा हो, फिर कार्यवाही हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप तो, बैठिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, हो रही है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)ः×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर)ः×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आप नहीं। आप नहीं, माननीय सदस्य। माननीय।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर)ः×××

श्री उपाध्यक्षः बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री)ः×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर)ः××× (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी चैम्बर में हैं क्या यहां, प्रिमिसेज में हैं? क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप। हम अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर बैठकर ही क्या करेंगे। क्या मुख्य मंत्रीजी, हाउस, चैम्बर में हैं?

श्री उपाध्यक्षः वह तो यह कर देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, राठौड़ साहब, यहां तो चैम्बर में जाकर बात करते हैं, मुख्य मंत्रीजी हाउस में हैं, बतायें न आप, मतलब सदन को गुमराह करना चाहते हैं हम।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः कोई लिमिट है इस बात का। आप कम से कम कह दिया, यह थोड़े ही होता है उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी से क्या फैसला करेंगे हम, मुख्य मंत्रीजी बुलायें ना चैम्बर में।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः मुख्य मंत्रीजी यहां हाउस के अंदर हैं ही नहीं, आप कह रहे हैं चैम्बर में जाकर बात कर लें, किनसे बात करें। नहीं, किनसे बात करें, बतायें मुझे आप।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अध्यक्षजी इस बारे में जो व्यवस्था देकर गई हैं....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः अध्यक्षजी की व्यवस्था को आप समझाइए मुझे? व्यवस्था क्या है? आप चलाएं सदन और कल मुख्य मंत्री जी आएंगी तब तक बैठे रहेंगे हम, आपकी व्यवस्था यही हुई कि मुख्य मंत्रीजी कल आयें तो बैठे रहो आप, यह व्यवस्था है आपकी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी कुछ व्यवस्था होगी, मुख्य मंत्रीजी यही विराज रही हैं, अगर आपकी व्यवस्था होगी तो उस पर बात हो जाएगी। अभी आपने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश कहां दिए हैं? (व्यवधान) आप अगर, आसन के निर्देश ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सुनिये उपाध्यक्ष महोदय यह कह रहे हैं निर्देश ही नहीं दिये हैं आपने ...(व्यवधान) फिर आप कैसे हाउस चला रहे हैं? यह तो कह रहे हैं कि निर्देश ही नहीं दिये हैं ...(व्यवधान) हाउस तो कह रहा है निर्देश ही नहीं दिये आपने उपाध्यक्ष महोदय यह तो ...(व्यवधान) आपने क्या डिस्पोज किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदया सदन में ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अध्यक्षजी के यहां आपकी बातचीत होने के बाद में जो स्टेप होना है, वह स्टेप ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया है ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, किससे बातचीत होगी? किससे बातचीत होगी? यह हाउस नहीं चलेगा अब ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) अध्यक्षजी के यहां माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी सदन में हैं, मुख्य मंत्रीजी सदन में हैं और यह आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी सदन में हैं और यह अध्यक्षीय व्यवस्था को चेलेंज कर रहे हैं और इनका एक ही काम है, इनके पास कोई मुद्दे तो हैं नहीं, हर बात पर सदन में व्यवधान डालना प्रतिपक्ष का एकमात्र उद्देश्य रह गया और कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी सदन के अंदर हैं, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है इस पर चर्चा हो जाएगी ...(व्यवधान) इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यह मुद्दाविहीन प्रतिपक्ष है, मुद्दे इनके पास हैं नहीं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) इनके पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं है, यह नियमों में ...(व्यवधान) इस प्रकार से सदन में व्यवधान डाल रहे हैं ...(व्यवधान) व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ...(व्यवधान) जब प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में यह हंगामा करते हैं, जब किसी विषय पर चर्चा होती है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उस चर्चा पर यह हंगामा करते हैं, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन विपक्ष है ...(व्यवधान) विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) मुद्दाविहीन प्रतिपक्ष है।

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य कुछ भी अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य आपका मूड नहीं है ...(व्यवधान) करने का, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य मैं सदन का बिजनेस ले रहा हूं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने व्यवस्था दे दी है, सरकार भी कह रही है कि मुख्य मंत्रीजी की हाजिरी में अध्यक्ष महोदय के यहां इसका निर्णय ले लिया जाएगा। माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं सदन का बिजनेस ले रहा हूं, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य इंपोरटेंट बिजनेस है आप लोग उसमें हिस्सा लेंगे, सुझाव आएंगे और सदन को चलने दीजिए। माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य, माननीय सदस्य सदन को चलने दीजिए। माननीय जोशीजी, मैंने व्यवस्था दे दी आपको कि अध्यक्ष महोदय बुला लेंगे ...(व्यवधान) अध्यक्ष अपने चैम्बर में मुख्य मंत्रीजी से अभी बुलाकर के बात कर लेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) ऐसी कौनसी इसमें बात हो गई? माननीय सदस्य अब आप जान-बूझकर के सदन को, देखो ऐसी ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य मैंने कह तो दिया आपको ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि आपकी बात का समाधान जो है वह स्पीकर महोदय के और मुख्य मंत्रीजी के वेश्म में बैठकर के और इस समस्या का समाधान जो भी उचित होगा वह समाधान कर दिया जाएगा। इसलिए आप कृपया ...(व्यवधान) मैं सदन का बिजनैस ले रहा हूं, नहीं माने तो आप माननीय सदस्य, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गजेन्द्रसिंह खींवसर, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि. 71 दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड और संबंधित मामले-अष्टम संशोधन) विनियम, 2004 विरचित किए गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

प्रतिवेदन एवं लेखे

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-07

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य जब आपको टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आपको ...(व्यवधान) आपको कह रहे हैं, जब मैंने व्यवस्था दे दी और आप जान-बूझकर के नहीं चलाना चाहते हाउस, हाउस को एडजोर्न कर दी थी ...(व्यवधान) पर आप उसी बात को लेकर बैठे हैं, उसमें कौनसी ...(व्यवधान) स्पीकर महोदय से बात कर ली थी ...(व्यवधान) अध्यक्ष से क्या बात हुई? (व्यवधान) यह कोई बात नहीं हुई, माननीय सदस्य फिर आप जान-बूझकर के ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप जान-बूझकर के भाग नहीं ले रहे हैं, नहीं आप जान-बूझकर के भाग नहीं लेना चाहते हैं, यही बात हुई ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लीजिए माननीय सदस्य और सदन में सब लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, आप बोले हैं, आपने अपना पाइंट बहुत अच्छे तरीके से रख दिया है। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य सदन को चलाने का विचार नहीं है क्या? सदन की बैठक दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.28 बजे, 1400 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस एडजर्न करो और बातचीत करने बुलाओ ही नहीं तो फिर हाउस एडजर्न करने का मतलब क्या हुआ? (व्यवधान) ये कोई तरीका थोड़े हुआ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने बुलाया था ...(व्यवधान)

(सदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शोर-शराबा)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बुलाना था, आपने जो व्यवस्था दी थी उसके अनुसार अध्यक्षजी को बुलाना था।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) बुलाने के लिए आदमी भेजा था आप लोग उपलब्ध नहीं थे वहां पर ...(व्यवधान)... मैंने कहा था जोशीजी को और इनको बुलाओ ...(व्यवधान) इसीलिए बुला रहे थे हम लोग।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखो ऐसी बात है हमने तो बात करने के लिए ही बुलाया था। बात करने के लिए बुलाया था और उस वक्त तक माननीय सदस्य, उस वक्त अध्यक्ष महोदय यहीं पर थीं हमें बाद में पता चला कि अध्यक्ष महोदय चली गईं और हमने आपका पता करने के लिए चपरासी भेजा था, आप कोई भी अवेलेवल नहीं थे किसको पूछें बताओ ...(व्यवधान) सब को बुलाने का था सारा का सारा ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रतिपक्ष के नेता थे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बुलाने में हमारे को कोई नाराजगी नहीं है क्यों नहीं बुलायेंगे, बैठ करके बात करेंगे ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): किसको बुलाया? (व्यवधान) किसको बुलाया?

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) मिले नहीं। (व्यवधान) भेजा हमने, मिले नहीं आप। मिले नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, देखो इस पर ...(व्यवधान)... कौन कहता है (व्यवधान) मिलने से कौन मना किया? (व्यवधान) आपको लड़ाई लड़ने से कोई रोकता थोड़े ही है माननीय सदस्य, कोई रोकता तो है नहीं। (व्यवधान) कौन रोकता है आपको? माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) सदन की गरिमा बनाये रखने में ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जब आसन से व्यवस्था हो गई ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जब आसन से व्यवस्था हो गयी और मैं और विधि मंत्रीजी आपके चेम्बर में चले गये तो इनको आने में शर्म आ रही थी क्या?

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) इस प्रकार कतई नहीं है क्या बात करते हो आप ...(व्यवधान) नहीं मिले आप लोग तब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनको आने में शर्म आ रही थी क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप लोग अवेलेवल नहीं थे तब पता नहीं कहां चले गये । मैंने कहा पता करके आओ कहां हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब के चेम्बर में ...(व्यवधान)... मैं और विधि मंत्रीजी चले गये, इनको जाने में शर्म आ रही थी क्या? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय हमारे सब के लिए सम्माननीय हैं । अध्यक्षजी के चैम्बर में आने से कोई इनकी गरिमा घट रही थी क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे भी सदन बीस दिन से ज्यादा नहीं चलता। हमारे नियमों में प्रावधान है कि साठ दिन सदन चले ...(व्यवधान) उसकी पालना होती नहीं है और जो होती है उसमें भी सरकार का जो अड़ियल रवैया है ...(व्यवधान) उसके अनुसार आपने स्थगित की और उसके बावजूद भी आपने कोई बातचीत नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) इनका तो किसी भी तरह हो हल्ला मचा कर सदन को नहीं चलने देना एकमात्र लक्ष्य है वरना उपाध्यक्ष महोदय, आपके वेश्म में मैं और विधि मंत्रीजी गये और अध्यक्ष महोदय के वेश्म में हम गये तो इनको जाने में शर्म आ रही थी? इनको जाना चाहिए था ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर... (व्यवधान) We are not begging. We are fighting for our rights, we are not begging.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और सरकार पूरी की पूरी असंवैधानिक तरीके से चल रही है। जिस आदमी ने शपथ नहीं ली जो आदमी चयन हुए हैं...(व्यवधान) वो हमारा प्रभारी नहीं हो सकता ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हाउस में स्पीकर साहब है हम सारे मिल कर आये हैं ...(व्यवधान) 15 मिनट स्पीकर साहब के पास बैठे हैं हम। बिलकुल स्पीकर साहब हाउस में थीं तब तक।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, आपको निर्देश जारी करने चाहिए।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) स्पीकर साहब के पास हम 15 मिनट बैठ कर आये हैं आपका इन्तजार करके आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) पहले बात सुनिये आप। माननीय सदस्य, ये फालतू बातें नहीं ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... ये काला अध्याय है ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई काला अध्याय नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जानबूझकर भागना चाहती है इसीलिए व्यवधान..., जब सदन स्थगित हुआ था पक्ष और विपक्ष में वार्ता...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) आपस में बात करने का ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार जानबूझ कर सदन से भागना चाहती है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन स्थगित हुआ था उस समय माननीय स्पीकर साहब के चेम्बर में हम बैठे थे। हम वहां पर इन्तजार करते रहे लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के चेम्बर में नहीं आये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) इस पर न तो कोई वार्ता की और न ही कोई इन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की।

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन की बैठक आधा घंटे के लिए, 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.05 बजे, 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में शोर-शराबा)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप मेरी बात सुन लीजिए, माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन करना है कि अध्यक्ष महोदय कल आ जायेंगी और अध्यक्ष महोदय के साथ बैठक कर इस बारे में निर्णय कर लेंगे । (व्यवधान) हाउस क्या एडजोर्न करें, कल कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था, आसन का सम्मान करना हम सब का कर्तव्य है और आसन की व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हमारे लिये शिरोधार्य है ।

श्री उपाध्यक्ष: एक दिन में कोई फर्क पडने वाला है नहीं । माननीय सदस्य (व्यवधान) गृह मंत्रीजी का आज स्टेटमेंट भी होने वाला है । माननीय सदस्य आप कोई भी बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई नारा लगाने वाला है नहीं आपके पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने जो निर्देश दिये, आसन की व्यवस्था पर सरकार की तरफ से .. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन को चुनौती दे रहे हैं, यह आसन को चुनौती दे रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप बिजनैस पुकारो ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हाड़ौती पर्यटन सर्किट के विकास बाबत

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप इस व्यवस्था से सहमत नहीं हो तो मैं कार्यसूची स्टार्ट कर रहा हूं । श्री हेमराज मीणा, सदस्य विधान सभा प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत हाड़ौती पर्यटन सर्किट का विकास करने के सम्बन्ध में पर्यटन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हाड़ौती पर्यटन सर्किट का फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया था ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ध्यान आकर्षित हो गया, पहले बैठो, पहले जवाब दे दें ।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु दिसम्बर, 2004 में हाड़ौती पर्यटन सर्किट का प्रस्ताव राशि रुपये 8.00 करोड़ तैयार कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष: पर्यटन मंत्रीजी जवाब दे रही हैं आप शांतिपूर्वक सुनिए।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): जिसमें सवाई माधोपुर जिला सम्मिलित नहीं था । पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में स्वीकृति क्रमांक 5-पीएनई(86) 2004 दिनांक 22.2.2005 द्वारा हाडौती पर्यटन सर्किट का विकास योजना राशि रुपये 725.10 लाख स्वीकृत की गई । हाडौती पर्यटन सर्किट योजना जो कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2004-2005 में 27.56 लाख के कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा कराये जा रहे हैं । इस कार्य हेतु बिन्दल बिल्डर्स, कोटा को कार्य दिया गया था । 25.61 लाख का कार्यादेश जारी किया गया है । अब तक फर्म द्वारा 12 लाख के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं इसके पेटे फर्म को अब तक 8.83 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है । काकूनी मंदिर, बारां में उक्त कार्यादेश के तहत निम्नलिखित कार्य करवाये जा रहे हैं :-

1. कंपाउंड वाल निर्माण कार्य,
2. फुटपाथ निर्माण कार्य,
3. विजिटर्स शैड लगाना,
4. पार्किंग स्थल का निर्माण,
5. रासायनिक संरक्षण कार्य,
6. मंदिर ढांचे की पुन: संरचना आदि ।

सड़क का कार्य चलने के फलस्वरूप निर्माण सामग्री मंदिर पर नहीं पहुंच सकी एवं कार्य मंदिर संरचना से जुडा होने के कारण कार्य में अपेक्षित गति नहीं बन सकी । यह कार्य जून 2008 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर: स्थापित भी करेंगे ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं ।

सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह, श्री देवीशंकर भूतडा, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, श्रीमती अनिता भदेल, डा. जालम सिंह रावलोत, श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, श्री बद्रीलाल जाट, श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया, श्री केशरदेव बाबर, डा. कन्हैयालाल मीणा, श्री बाबूलाल नागर, श्री रामप्रताप कासनिया, श्री राकेश मेघवाल, श्री हेमराज मीणा, श्री रामचन्द्र सराधना, डा. बुलाकीदास कल्ला, श्री जुबेर खान, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री संयम लोढ़ा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री शांतिलाल चपलोत । जो कोई सदस्य बोलना चाहे वह बोल सकते हैं । (माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजर कमेटी की मीटिंग भी है कृपया आधे घंटे.. (व्यवधान) आपको वक्तव्य नहीं सुनना, चर्चा नहीं करनी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): महिलाओं के आरक्षण के विरोध में हो क्या ? महिलाओं को आरक्षण के विरोध में हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य सुनिये भई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसका मतलब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य सुनिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये उसके विरोधी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.40 बजे 16.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(समय : 16:00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपके वेश्म में हुई चर्चा के अनुसार हम हर उस मुद्दे पर, जो प्रतिपक्ष उठाना चाहता है, उसका जवाब देने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान तो ग्रहण कीजिये पहले। (व्यवधान) स्थान तो ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन की गरिमा जिस तरह तार-तार हो रही है, आपके सामने है। यह आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को चुनौती हो रही है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कानून के जानकार आप हो। (व्यवधान) अपने स्थान से तो बात कीजिये। आप अपने स्थान से बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने एक बार व्यवस्था दे दी, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अपने स्थान से बोलें। अपनी सीट पर जाकर अपनी बात रखिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष, आज इतना महत्वपूर्ण बिल है, पूरे राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देकर जो एक प्रगतिशील काम सरकार कर रही है। (व्यवधान) यह महिला विरोधी हैं। इनको पच नहीं रहा है। दिल्ली के अन्दर महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया। (व्यवधान) और यह महिला विरोधी चेहरा है इनका।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर जाकर कहें। आपकी बात मानी जाए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रजातंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों का हनन, आप प्रजातंत्र के हत्यारे तो आप हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने जो बात रखी है उस पर विचार करके कोई निर्णय करेंगे। आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिये कम से कम। अपनी-अपनी सीट पर जाइये और बात को उठाइये, उसका कोई नतीजा निकलेगा। माननीय गृह मंत्रीजी की तरफ से स्टेटमेंट आना है, बहुत अहम मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, तर्कों के आधार पर बहस करें, हम तैयार हैं। तर्कों के आधार पर बहस करें, हम तैयार हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, पूरा स्टेटमेंट लेकर आये हैं। इस अहम मुद्दे के ऊपर इमीडिएटली। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो शुरू कराओ। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातचीत करने से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह क्या बात है। (व्यवधान) ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट, आप अपना, माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): गृह मंत्रीजी राजस्थान में हुई घटना की

(श्री सांवर मल)

जानकारी दे रहे हैं आपको। कांग्रेस की मांग पर यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश के अनुसार... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं अपना स्टेटमेंट देता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कांग्रेस की मांग पर स्टेटमेंट हो रहा है। सुनिये, जरा, अपनी-अपनी जगह बैठकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने सुबह मांग की थी। यह स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। इन्होंने सुबह मांग की थी कि राजस्थान में साम्प्रदायिक घटना हुई हैं। (व्यवधान) सुबह बात कर रहे हैं और गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुनना नहीं चाहते हैं ये। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुनना पड़ेगा आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, आपको चर्चा का समय दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह राजस्थान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उठाने के लिये कोई मुद्दा है नहीं। (व्यवधान) जैसे भाषण देते हैं वैसे ही इस हाउस में भाषण देते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या है, उपाध्यक्ष महोदय। नहीं, यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं विधायी कार्य शुरू कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, यह क्या तरीका है। स्टेटमेंट देना चाहते हैं, गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड-2

श्री उपाध्यक्ष: खण्डशः विचार। श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था, मैं उसको वापस लेना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर बहस हो रही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था, हालांकि मेरी इच्छा थी, उसमें महिलाएं पढ़ी-लिखी आयें, यह कोई संशोधन हो। लेकिन मैं यह संशोधन वापस लेना चाहता हूं। मैं वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वह वापस लिया गया, वह इजाजत दी जाती है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, मैं वापस ले रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह संशोधन वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जवाब देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह बिल इसलिये पेश किया कि 50 प्रतिशत महिलाएं हमारे यहां रहती हैं और महिलाएं 50 प्रतिशत होने के कारण इनका प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था, (व्यवधान) मैं वापस लेता हूं, मैंने कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या मखौल बना रखा है राजस्थान की विधान सभा को। शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन में संशोधन

श्री उपाध्यक्ष: श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन प्रस्तुत करता हूं :-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

''सदन में गुरुवार, दिनांक 27 मार्च, 2008 को लिया जाने वाला कार्य अब बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2008 को सदन में लिया जाए''।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाला विधेयक। राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008, श्री रामनारायण डूडी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सत्र में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.10 बजे दिनांक 26 मार्च, 2008 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पाइबालापुरा बांध से तहसील क्षेत्र नैनवां के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

381. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नैनवां (बूंदी) में भूमिगत जल स्तर गहरा जाने से विभिन्न ग्रामों में हैण्डपम्प सूखे एवं नाकारा होते जा रहे हैं? यदि हां, तो उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विगत 5 वर्षों में सूख गए तथा नाकारा हुए हैण्डपम्पों की ग्रामवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों के गिरते भू-जल स्तर का आंकलन सरकार द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक आंकलन करवा लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील नैनवां के ग्राम पाई, गुरजनिया, दलेलपुरा, नाथडा, नाथडी, खेरूजा तथा समीपवर्ती 10 ग्रामों में भू-जल स्तर नीचे चले जाने से समीपस्थ बांध पाई बालापुरा से पाइप लाइन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने बाबत ग्राम-वासियान एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इस हेतु क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाकर कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? प्राप्त पत्रों तथा अब तक उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त तहसील क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट के चलते अन्य ग्रामों हेतु भी इसी तरह की अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां क्या-क्या तथा आगे क्या कार्यवाही की जावेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त क्षेत्र में पूर्व से संचालित पेयजल योजना से उनके समीपवर्ती ग्रामों को भी लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो किस-किस योजना से किस-किस ग्राम को? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने हेतु सूखे एवं नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प लगाये जाते हैं एवं ग्रीष्म ऋतु में आवश्यकतानुसार परिवहन द्वारा भी पेयजल मुहैया कराया जाता है।

विगत 5 वर्षों में तहसील नैनवां में 33 हैण्डपम्प नाकारा (सूखने व अन्य कारणों से) हुए हैं। ग्रामवार वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। गत आंकलन वर्ष 2004 में हुआ था। आगामी आंकलन वर्ष 2008 में होना है।

(3) जी हां। ग्राम भजनेरी हेतु पम्प एवं टैंक योजना जुलाई, 2007 में राशि रु. 29.29 लाख की स्वीकृत की जाकर योजना के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। योजना मई, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। तहसील नैनवां के ग्राम बाछोला की हैण्डपम्प से पम्प व टैंक परिवर्तन योजना के प्रस्ताव वर्तमान में तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं

384. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर का अमृतकौर चिकित्सालय ''अ'' श्रेणी चिकित्सालय है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में हैल्थ डवलपमेंट सिस्टम के अन्तर्गत किये गये विकास कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में भामाशाहों के सहयोग से ट्रोमा, बर्न, ब्लड बैंक बनाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन वार्डों में मानदण्डों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों, नर्सिंग व अन्य कार्मिकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं व कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत करवाये गये रिपेयर रिनोवेशन, ऐडिशन एवं अल्ट्रेशन के कार्य तथा उपलब्ध करवाये गये उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में शहरी क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत करवाने एवं उपकरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रबन्धन उपलब्ध होने पर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में 300 शैय्याओं वाले चिकित्सालय के स्टाफिग पैटर्न के अनुसार चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत करवाये जाने एवं सी-आर्म, मशीन उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में स्टाफ के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, नर्स श्रेणी प्रथम, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन एवं जमादार के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को समेकित वेतन पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से नर्स श्रेणी द्वितीय के चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो गयी है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हास्पिटल केयर टेकर एवं वार्ड बॉय के पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गंग-कैनाल की वितरिका को क्षतिग्रस्त करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

385. श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में गंग-कैनाल की एक वितरिका वर्ष 2007-08 में कितनी बार टूटी?

(2) सरकार द्वारा नहर तोड़ने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार इसमें दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गंग-कैनाल की एफ ब्रांच वर्ष 2007-08 में तीन बार टूटी।

(2) नहर टूटने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दोषी अधिकारी/कर्मचारी/संवेदक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र 'अ' में अंकित किया गया है।

प्रपत्र 'अ'

गंग-कैनाल की एफ ब्रांच के टूटने के कारण, दोषी कर्मचारी/ अधिकारी/संवेदक पर की गई कार्यवाही का विवरण

गंग-कैनाल की एफ ब्रांच वर्ष 2007-08 में तीन बार क्रमश: 16.04.2007, 13.07.2007 एवं 26.11.2007 को अलग-अलग स्थानों पर टूटी। नहर टूटने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 16.04.2007 को नहर टूटने के सम्बन्ध में :-

गंग-कैनाल एफ ब्रांच आर.डी. 86.900 के बांई और करीब 50 फीट की लम्बाई में टूट गई। विभाग द्वारा नहर टूटने के कारणों की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता एवं संवेदक को चेतावनी दी गई। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत संवेदक से उसकी लागत पर कराई गई।

2. दिनांक 13.07.2007 को नहर टूटने के सम्बन्ध में :-

गंग-कैनाल एफ ब्रांच आर.डी. 60-80 के मध्य कच्ची थी एवं आर.डी. 77-78 के बांयी ओर नहर के बैक (किनारे) पर लगे पेड़ों में से एक बड़े कीकर के पेड की जड़ों में से पानी के रिसाव हो जाने से क्षतिग्रस्त हुई। प्राथमिक जांच में पाया गया कि नहर क्षतिग्रस्त होने (टूटने) का कारण प्राकृतिक रहा। स्थानीय काश्तकारों के सहयोग से जे.सी.बी. मशीन व ट्रेक्टरों की सहायता से नहर की मरम्मत कराकर दिनांक 15.07.2007 को पुन: नहर में पानी प्रवाहित कर दिया। अत: इस कटाव के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी का कोई दोष नहीं होने के कारण किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. दिनांक 26.11.2007 को नहर टूटने के सम्बन्ध में :

गंग-कैनाल एफ ब्रांच आर.डी. 50.100 के दांयी ओर का कच्चा डाइवर्सन टूटने से एफ ब्रांच में आर.डी. 50.100 (दांयी ओर) पर नहर में कटाव हो गया। विभाग द्वारा नहर टूटने के कारणों की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं संवेदक को चेतावनी दी गई। क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत संवेदक से उसकी लागत पर कराई गई। संवेदक के विरुद्ध पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया जिस पर पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ एवं नेछवा (सीकर) के अधीन कार्यरत अस्थाई चौकियों का स्थाईकरण

386. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर के पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ एवं नेछवा के अधीन कितनी-कितनी व कौन-कौनसी स्थाई व अस्थाई पुलिस चौकियां कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुलिस चौकियों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान करने हेतु क्या-क्या साधन व सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अस्थाई पुलिस चौकियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पुलिस चौकी मंगलूना को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर के पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ एवं नेछवा के अधीन निम्न पुलिस चौकियां कार्यरत हैं :-

(क) थाना लक्ष्मनगढ़

नाम पुलिस चौकी	**कब से**
लक्ष्मणगढ़ (स्थाई)	राजस्थान गठन के समय से
बलारा (स्थाई)	राजस्थान गठन के समय से

(ख) थाना नेछवा

नाम पुलिस चौकी	**कब से**
मगंलूना (अस्थाई)	अप्रैल, 2000 से

(2) इन पुलिस चौकियों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु वायरलैस की सुविधा उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(गृह मंत्री)

(4) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

तहसील लाडपुरा (कोटा) में कार्यरत क्रेशर्स

387. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में कितने क्रेशर लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त क्रेशर उद्योग खनिज मेसेनरी स्टोन के खनन पट्टे धारित हैं? यदि नहीं, तो यह क्रेशर उद्योग मेसेनरी स्टोन कहां से प्राप्त करते हैं?

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में 21 क्रेशर लगे हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(2) जी नहीं। 4 क्रेशर उद्योगों के पास उनके परिवार के सदस्य के नाम से खनन पट्टा धारित है। जिन क्रेशर उद्योगों के पास खनन पट्टे धारित नहीं हैं, वे क्रेशर उद्यमी उनके पास स्थित खनन पट्टों जैसे आंवली में स्थित खनन पट्टों से, नांता में स्थित खनन पट्टों से तथा लाडपुरा तहसील के समीप बूंदी जिले के ग्राम जाखमुण्ड में स्थित खनन पट्टों से मेसेनरी स्टोन एवं अनन्तपुरा तथा नांता में स्थित पत्थर मण्डियों से मुक्कसर पटिट्यों के वेस्ट स्क्रेप प्राप्त करते हैं, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 6 में वर्णित किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में हुए निर्माण कार्यों की जांच

388. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर में वर्तमान में क्या-क्या निर्माण कार्य चल रहा है और यह निर्माण कार्य किस संस्था व संवेदक द्वारा करवाया जा रहा है?

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) क्या इस निर्माण कार्य का उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किस के द्वारा व कब? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर में वर्तमान में रिपेयर, रिनोवेशन, ऐडीशन, अल्ट्रेशन एवं 1 मेडिकल आफिसर तथा 3 पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

रिपेयर, रिनोवेशन, ऐडीशन, अल्ट्रेशन का कार्य संवेदक मैसर्स उत्तम प्रकाश, 20/180 कावेरी पथ, एम.एल.ए. क्वार्टर्स के पास मानसरोवर, जयपुर के द्वारा किया जा रहा है।

मेडीकल आफिसर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के क्र्वाटरों का निर्माण कार्य संवेदक मैसर्स सर्वशक्ति कान्ट्रेक्टर, कुचामनसिटी द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी हां। निर्माण कार्य का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, आर.एच.एस.डी.पी. अजमेर के द्वारा दिनांक 30.08.2007 एवं 12.09.2007 तथा 14.12.2007 को किया गया। दिनांक 14.12.2007 का निरीक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने हेतु संवेदक मैसर्स उत्तम प्रकाश, जयपुर को निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, आर.एच.एस.डी.पी., बीकानेर के द्वारा दिनांक 03.01.2008 एवं 08.02.2008 को कार्य का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने हेतु संवेदक को कार्यस्थल पर ही निर्देशित किया गया।

परिशिष्ट 'अ'

INSPECTION NOTE

Name of Work :-Repair, Renovation, Addition & Alternation of Health facility CHC Parvatsar, District Nagaur.

Name of Inspecting Officer : Sh. Sarad Mathur, EE, RHSDP, Ajmer.

Date of Inspection : 14.12.2007

The under singned has done the inspection of the above work on 14.12.2007 along with the representative of the contractor and following observation were made.

1. The shuttering work for casting the roof of wards was under progress. It was observed that contractor has used wooden phanta in between the steel. shuttering. The contractor was asked to reomve the wooden phanta's and replace with steel shuttering.
2. The plaster work OPD was not proper, conotractor was directed to dismantle the plaster and re-do as per specification.
3. The work of kota stone flooring in the exisiting ward was satisfactory.
4. The progress of work was very slow, contractor was directed to increase the manpower and increase the progress of work.
5. The works of residential quarter under NRHM were also inspected and the progress of work was found satisfactory.
6. Conotractor was directed to do curing properly and complete the work within time period.

Sd/.
Executive Engineer
RHSDP, Ajmer

विभिन्न सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में असिंचित भूमि के सर्वे पर रोक

389. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में असिंचित कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए सर्वे करने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो किस-किस सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रोक नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न के दर्ज प्रकरण

390. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री लालचन्द कटारिया)

(1) प्रदेश में वर्ष 2005-06 एवं 2007 में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं से बलात्कार व उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जिलेवार एवं वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2006 की अपेक्षा वर्ष 2007 में डकैती, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार व चोरी के साथ ही दहेज मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व क्यों? तुलनात्मक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में बढ़ते आपराधिक प्रकरणों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2005, 2006 एवं 2007 में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं से बलात्कार व उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अपराधों में वृद्धि के मुख्य कारण जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि, आवागमन के साधनों में विस्तार, बदलती जीवन-संस्कृति एवं अपराधों का निर्बाध पंजीकरण आदि है। डकैती, लूट आदि के प्रकरणों में वृद्धि, राज्य में गुर्जर आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमों के कारण भी हुई है। आपराधिक तुलनात्मक स्थिति का संख्या विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) अपराधों में नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही, प्रभावी गश्त व नाकाबन्दी, अपराधियों के कार्य-कलाप पर निगरानी, बीट-व्यवस्था, पुलिस थानों पर स्थानीय नागरिकों की समन्वय समितियां एवं एन.जी.ओ. सदस्यों द्वारा पुलिस के साथ आपसी ताल-मेल जैसे प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

परिशिष्ट 'अ'

राज्य में वर्ष 2005, 2006 एवं 2007 में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं से बलात्कार व उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची

क्र.सं.	जिला	बलात्कार			छेडछाड़			व्यपहरण/अपहरण			अन्य भादस		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	अजमेर	5	4	2	13	4	7	3	3	1	26	27	14
2	भीलवाडा	7	6	6	13	11	5	0	3	1	16	18	22
3	नागौर	9	7	7	13	18	16	3	0	2	15	16	28
4	टोंक	4	1	3	7	6	5	4	2	3	29	27	31
5	जयपुर उत्तर	6	4	4	4	3	6	0	0	0	0	0	0
6	जयपुर दक्षिण	4	3	4	0	0	1	0	0	0	11	17	17
7	जयपुर पूर्व	5	1	3	6	6	5	0	0	0	0	0	0
8	जयपुर ग्रामीण	4	8	7	0	0	0	0	0	0	147	170	204
9	झुंझुनूं	4	2	10	9	8	8	1	2	7	11	10	21
10	सीकर	4	6	10	8	20	10	4	1	2	24	9	10
11	दौसा	2	5	2	4	7	6	1	1	3	22	14	38
12	अलवर	4	9	13	29	12	25	5	1	11	32	32	37
13	बीकानेर	12	3	5	24	22	23	0	5	1	13	18	12
14	चूरू	3	3	7	6	6	12	1	1	1	10	9	28
15	गंगानगर	15	10	18	14	14	11	0	3	0	21	28	29
16	हनुमानगढ़	6	11	9	21	33	24	0	1	3	9	18	20

क्र.सं.	जिला	बलात्कार			छेडछाड			व्यपहरण/अपहरण			अन्य भादस		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
17	भरतपुर	5	6	3	63	68	81	5	3	5	40	46	44
18	सवाईमाधोपुर	3	2	1	11	15	19	0	2	3	5	16	11
19	धौलपुर	2	7	1	0	0	0	2	0	1	34	26	17
20	करौली	2	5	5	0	0	0	0	0	0	19	23	32
21	जोधपुर शहर	1	2	0	4	3	1	0	1	0	1	4	7
22	जोधपुर ग्रामीण	5	5	2	6	11	12	1	0	0	12	11	10
23	जालौर	4	5	5	13	12	22	7	4	6	26	32	31
24	जैसलमेर	0	0	0	4	3	15	0	0	0	1	2	1
25	बाडमेर	3	1	3	20	17	24	1	1	5	6	6	14
26	पाली	6	4	1	12	11	10	3	2	4	31	22	29
27	सिरोही	5	3	0	11	7	6	1	1	1	0	0	0
28	कोटा शहर	2	3	1	0	0	2	0	1	0	11	8	6
29	कोटा ग्रामीण	4	5	15	17	14	11	4	0	1	4	8	3
30	बून्दी	3	4	3	14	7	13	1	0	3	0	2	2
31	झालावाड	3	7	10	20	21	18	2	7	0	0	17	11
32	बारां	10	11	7	0	0	0	0	3	0	23	27	18
33	उदयपुर	4	6	10	7	7	8	0	0	0	38	54	101
34	बांसवाडा	1	9	13	1	0	0	1	1	0	7	4	2
35	चित्तौड़गढ़	11	1	14	7	18	9	0	4	2	11	18	30
36	डूंगरपुर	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	5	4

क्र.सं.	जिला	बलात्कार			छेडछाड			व्यपहरण/अपहरण			अन्य भादस		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
37	राजसमन्द	5	1	0	2	2	0	0	10	0	0	1	2
38	जी आर पी अजमेर	2	0	0	2	3	2	1	1	0	1	1	0
39	जी आर पी जोधपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट-ब

राज्य में वर्ष 2006-2007 की आपराधिक तुलनात्मक स्थिति।

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग		संख्यात्मक वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत
		2006	2007	2006 से 2007	2006 से 2007
1	हत्या	1209	1303	94	7.78
2	डकैती	37	371	34	91.89
3	लूट	631	778	147	23.30
4	व्यपहरण/ अपहरण	1970	2177	207	10.51
5	बलात्कार	1085	1238	153	14.10
6	चोरी	17889	19345	1456	8.14
7	दहेज मृत्यु	394	436	45	11.42

बिजोलिया खनन क्षेत्र में खातेदारी भूमि में नियम विरुद्ध आबंटित खनन ब्लॉक

391. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बिजौलिया के नला का माताजी क्षेत्र में वर्ष 1977 में क्वारी बलॉक आबंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी और तत्पश्चात उनमें से 38 ब्लॉकों को डिनोटिफाई करने की पुनः विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डिनोटिफाइड ब्लॉक नम्बर 95, 104, 117, 118, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135 के आबंटन के लिए पुनः विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ब्लॉकों से सम्बन्धित भूमि राजकीय थी? यदि हां, तो क्या एम.एम.सी.आर. के नियम 27 की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ब्लॉकों से सम्बन्धित भूमि खातेदारी भूमि थी और क्या तत्समय खातेदारी भूमि के आबंटन पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन था? यदि हां, तो क्या भूमि का आवंटन स्थगन के बावजूद हुआ? यदि हां, तो क्यों इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) जी हां। बिजौलिया के नला का माताजी क्षेत्र में वर्ष 1977 में भाटक एवं अधिशुल्क पट्टे आबंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 14.07.1977 को प्रकाशित हुआ था एवं शुद्धि पत्र दिनांक 11-8-1977 को प्रकाशित हुआ था। पुनः 38 ब्लाकों को डी-नोटिफाइड करने की विज्ञप्ति कार्यालय खनि अभियंता, बिजौलिया द्वारा दिनांक 26.09.1977 को जारी की गई है। प्रतियां संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। खनि अभियंता, बिजौलिया की विज्ञप्ति दिनांक 24.2.1992 से प्रश्नोचित ब्लाकों में से ब्लाक संख्या 95, 104, 118, 123, 124, 125 तथा 132 नम्बर के ब्लाकों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। ब्लाक संख्या 117, 131, 133, 134, 135 अपील/न्यायालय प्रक्रिया में होने से विज्ञप्ति में नहीं लिये गये। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) प्रश्नोचित्त ब्लाकों से संबंधित भूमि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के

(खनिज मंत्री)

पत्रांक एफ. 2(3)(44)210/310/77 दिनांक 05.06.1977 के अनुसार आराजी संख्या 109 रकबा 225 बीघा 01 बिस्वा राजकीय भूमि नाकाबिल कास्त एवं कब्जा रहित वर्णित है, परन्तु राजस्व विभाग से बाद में की गई जानकारी के अनुसार आराजी संख्या 151/109, 152/109, 153/109 दिनांक 01.04.1977 से गैर-खातेदारी दर्ज थी तथा कुछ गैर खातेदारियां इसके बाद दर्ज हुई हैं। आबंटित ब्लाकों के आबंटन में एमएमसीआर, 1986 के नियम 27 की पालना नहीं की गई।

(4) उक्त ब्लाकों से संबंधित भूमि आराजी संख्या 109 रकबा 225 बीघा 01 बिस्वा जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक एफ 2(3)(44) 210/310/77 दिनांक 05.06.1977 बिलानाम भूमि वर्णित की गई, परन्तु राजस्व विभाग से बाद में की गई जानकारी के अनुसार आराजी संख्या 151/109, 152/109, 153/109 दिनांक 01.04.1977 से गैर-खातेदारी दर्ज थी तथा कुछ गैर-खातेदारियां इसके बाद दर्ज हुई हैं। भूमि के आबंटन का अधिकार जिला कलक्टर एवं राजस्व विभाग के पास निहित है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारी भूमि में क्वारी लाइसेंस जारी करने के लिए जो नीति दिनांक 01.04.1991 को घोषित की गई, जिस पर दिनांक 12.04.1991 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश दिया गया तथा दिनांक 03.04.1995 को हटाया गया। अत: दिनांक 01.04.1991 से 03.04.1995 के मध्य आबंटित किये गये ब्लाकों के लिए तत्कालीन खनि अभियंता श्री बी.आर.के. रंगा व श्री पंकज गहलोत जिम्मेदार थे, जिनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु दिनांक 19.02.2008 को प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये। उक्त प्रकरण में अति. निदेशक, खान, उदयपुर से विस्तृत जांच कराकर निदेशक, खान ने अपने पत्र दिनांक 19.03.2008 द्वारा उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच आरम्भ करने हेतु सी.सी.ए. नियम 16 के तहत संशोधित आरोप पत्र शासन को प्राप्त हुए जिसके संदर्भ में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण

392. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खोलने की स्वीकृति दी जाती है? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में कितने नर्सिंग कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक कालेज में कितनी सीटें स्वीकृत हैं? उसमें से फ्री व पेमेंट सीट कितनी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के नियमानुसार इन निजी कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को आरक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निजी क्षेत्र में अब तक कुल 99 बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रत्येक कालेज में आबंटित सीट संख्या परिशिष्ट 'अ' सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित है। वर्तमान में फ्री व पेमेंट सीट का नियमों में कोई प्रावधन नहीं है।

(3) निजी कालेजों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर की ''आइसोलेटेड'' आवासीय कालोनियों हेतु पेयजल व्यवस्था

393. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जयपुर शहर की परिधि में आने वाले क्षेत्र, जिनमें गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित की जा रही एवं पेयजल योजनाओं की पहुंच से दूर आइसोलेटेड, आवासीय योजनाओं में पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो सिस्टम से दूर आइसोलेटेड आवासीय योजनाओं में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। पी.एच.ई.डी. सिस्टम से दूर आइसोलेटेड आवासीय योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शहरी क्षेत्र में सहभागिता योजना का प्रावधान है, जिसमें कालोनी वासियों द्वारा मांग करने पर एवं सहभागिता राशि जमा कराने पर क्षेत्र की योजना बनाकर स्वीकृति उपरान्त ऐसी आवासीय योजना में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

ऐसे आइसोलेटेड क्षेत्रों में मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प भी लगाये गये हैं।

दरबार स्कूल, जयपुर की भूमि पर पुलिस आवासों का निर्माण

394. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में दरबार स्कूल की जमीन पर पुलिस आवास निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो यह जमीन किस किस्म की है व इसका मालिकाना हक किसका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस जमीन का उपयोग जन सुविधा के लिये किया जा रहा है और यहां पुलिस आवास निर्माण करने से स्थानीय निवासियों को खेल मैदान व सुविधा क्षेत्र से वंचित होना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस जमीन के अलावा अन्य किसी स्थान पर पुलिस आवास निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह जमीन नजूल सम्पत्ति है, जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार के सम्पदा विभाग का है। यह जमीन पुलिस आवास बनाने के लिए सम्पदा विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(21)सम्पदा/07 दिनांक 14.09.2007 के द्वारा पुलिस विभाग के कर्मचारियों के रिहायसी मकानों का निर्माण करवाये जाने हेतु गृह विभाग को हस्तान्तिरि की गई है।

(2) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2008)

पाली जिले में छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्र/छात्राएं

16. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 व 2005-06 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था? उसमें से कितनी-कितनी राशि कहां-कहां, किन-किन वर्ग के कितने छात्रों को कब-कब छात्रवृत्ति के रूप में दी गई? जिलेवार संकाय/ट्रेड व कक्षावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन-किन कक्षाओं में पढ़ने वाले अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर कितनी-कितनी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किस आदेश के तहत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पाली जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन छात्र/छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति कब-कब उपलब्ध कराई गई? विवरण लाभान्वितों का नाम मय विद्यालय, कक्षा सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 व 2005-06 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये रखे गये प्रावधन तथा व्यय राशि का वर्गवार, जिलेवार संकाय/ट्रेडवार संख्या सूची एवं विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ हुई है।

(2) अल्पसंख्यक वर्ग को मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2007-08 से दिये जाने की योजना आरम्भ हुई है। छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु देय राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' एवं आदेश की प्रति परिशिष्ट 'द' सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(3) पाली जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गयी छात्रवृत्ति के लाभान्वितों के नाम, शिक्षण संस्थान एवं कक्षा सहित विवरण परिशिष्ट 'य' एवं 'र' सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

वनखण्ड निवाई में आबंटित खनन क्षेत्र

395. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के वनखण्ड निवाई में रिजर्व फोरेस्ट में मैसनरी स्टोन के खनन हेतु चार लीजधारकों के पक्ष में 1.0142 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया था? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्यावर्तन के पश्चात् उक्त लीजधारकों को खनन काकर्य करने की अनुमति मण्डल वन अधिकारी, टोंक द्वारा सहायक खनिज अभियन्ता, टोंक को जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सहायक खनिज अभियन्ता, टोंक द्वारा उक्त लीजधारकों को खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? अब कब तक इन्हें अनुमति प्रदान कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह प्रत्यावर्तन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 14.11.2006 से किया गया है।

(2) जी हां। लीजधारकों को खनन कार्य करने की अनुमति मण्डल वन अधिकारी, टोंक द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, टोंक को दिनांक 1.12.2006 एवं पत्र दिनांक 8.12.2006 से जारी की थी। उक्त पत्र दिनांक 1.12.2006 एवं 8.12.2006 की प्रति (परिशिष्ट-1 एवं 2) संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त लीजधारकों के क्षेत्र अरावली हिल्स की श्रेणी में आने से एवं अरावली प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा का नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र

396. **श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा के नर्सिंग

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन अखिल भारतीय मानदण्डानुसार हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में आई.एन.सी. के नोर्म्स के अनुसार संचालित जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र का भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22-23.09.2004 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टिचिंग स्टाफ एवं भवन, हॉस्टल इत्यादि तथा अध्यापन सामग्री की आई.एन.सी. के नोर्म्स के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाई गयी।

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र भीलवाड़ा हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रधानाचार्य का 1 एवं नर्सिंग ट्यूटर के 8 पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में प्रधानाचार्य का 01, नर्सिंग ट्यूटर के 10 एवं पीएचएन का 01 पद स्वीकृत है। जो सभी भरे हुए हैं।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अध्यापन भवन की सुविधा चिकित्सालय के भवन में उपलब्ध है। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्रयोगशाला, हॉस्टल, भवन एवं अध्यापन सामग्री इत्यादि की आई.एन.सी. के नोर्म्स के अनुरूप व्यवस्था करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

हरिशन्द्र सागर बांध, खानपुर (झालावाड़) का जीर्णोद्धार

397. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील खानपुर जिला झालावाड के हरिशचन्द्र सागर बांध एवं नहर का निर्माण कब किया गया व बांध एवं नहर निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई?

(2) विगत दस वर्षों में हरिशचन्द्र सागर बांध एवं नहर की मरम्मत के लिये कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई एवं कितनी व्यय की गई?

(3) उक्त बांध की क्षमता कितने हैक्टेयर भूमि सिंचाई करने की है एवं वर्तमान में इससे कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है?

(4) क्या सरकार उक्त बांध का जीर्णोद्धार कर सिंचाई क्षेत्र बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हरिशचन्द्र सागर बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1956 से 1971 के मध्य तथा नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1982 तक कराया गया। हरिशचन्द्र सागर बांध एवं नहर निर्माण पर 1234.79 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) विगत 10 वर्षों में हरिशचन्द्र सागर बांध एवं नहर पर मरम्मत के लिए स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण वर्षवार प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(3) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रबी में 10782 हैक्टेयर क्षेत्र में रबी एवं खरीफ में 5391 क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित था। वर्तमान में रबी में शून्य सिंचाई होती है तथा वर्ष 2007-08 में खरीफ में 1295 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दर्ज की गई।

(4) हरिशचन्द्र सागर परियोजना के जर्जर नहरी तंत्र का जीर्णोद्धार कर सिंचाई क्षमता पुर्नजीवित किया जाना प्रस्तावित है। जीर्णोद्धार कार्य झालावाड़ जिले में आरम्भ कर दिये गये हैं एवं कोटा जिले में वर्ष 2008-09 में आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र 'अ'

हरिशचन्द्र सागर परियोजना पर विगत 10 वर्षों में स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	**स्वीकृत राशि**	**व्यय राशि**
1997-98	8.51	8.51
1998-99	4.58	4.58
1999-2000	2.54	2.54
2000-2001	5.06	5.06
2001-2002	2.69	2.69
2002-2003	2.70	2.70
2003-2004	2.70	2.70
2004-2005	2.20	2.20
2005-2006	32.33	32.33
2006-2007	8.59	8.59

पुलिस थाना देवगढ़ का क्रमोन्नयन

398. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार देवगढ़ नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को मद्दे नजर रखते हुए पुलिस स्टेशन देवगढ़ को वृत्त निरीक्षक (सी.आई) सर्किल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुये इसकी प्राथमिकता नहीं बनती है।

अतारांकित प्रश्नोतर

शिव में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

766. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शिव में रीको द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष विधान सभा क्षेत्र शिव में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी भूमि का व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में शिव विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। औद्योगिक क्षेत्र की संभावनाओं का आंकलन वर्तमान में नहीं किया गया है, अतः भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सोनिमाणा (चित्तौड़्गढ़) में टैक्सटाइल जोन हेतु अवाप्त भूमि

767. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील गंगरार के गांव सोनिमाणा में टैक्साटाइल जोन की घोषणा कर इस हेतु अब तक कितनी भूमि अवाप्त की गई तथा अब और कितनी भूमि की अवाप्ति किया जाना प्रस्तावित है?

(2) सरकार द्वारा घोषित उपरोक्त टैक्साटाइल जोन के विकास हेतु मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है एवं उसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक टैक्सटाइल जोन प्रारम्भ हो जायेगा?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार तहसील में टैक्साटाइल जोन की स्थापना हेतु ग्राम सोनियाणा की 92.58 हैक्टेयर, गुलाबपुरा की 113.63

(उद्योग मंत्री)

हैक्टेयर व नक्शनपुरा की 20.50 हैक्टेयर कुल 226.71 हैक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है। उपरोक्त ग्रामों की कुल 70.57 हैक्टेयर राजकीय भूमि के आबंटन हेतु भी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को लिखा जा चुका है।

इससे पूर्व औद्योगिक क्षेत्र हेतु ग्राम सोनियाना की 112.78 हैक्टेयर राजकीय/चारागाह भूमि आबंटित कराई जा चुकी है तथा 8.66 हैक्टेयर निजी भूमि अवाप्त की जा चुकी है।

(2) ग्राम सोनियाना में टैक्सटाइल जोन के विकास कार्यों हेतु अभी कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कब्जा मिलने के बाद रीको द्वारा टैक्सटाइल जोन के विकास कार्यों हेतु धनराशि का प्रावधान किया जावेगा। उक्त टैक्सटाइल जोन का विकास 3 वर्षों में किया जावेगा।

गोगुन्दा में प्रस्तावित हैण्डपम्पस

768. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर में गत 5 वर्षों में पंचायत समितिवार विभिन्न योजनाओं में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति गोगुन्दा व कोटड़ा में किस-किस मद से वर्ष 2003 से अब तक कहां-कहां पर हैण्डपम्प खोदे गये?

(3) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कौन-कौन से हैण्डपम्प कहां-कहां पर कॉलेप्स हुए इन्हें दुबारा कब तक खोदे जायेंगे? विवरण स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2003 से अब तक गोगुन्दा व कोटड़ा में कितने हैण्डपम्प खोदने शेष हैं व इन्हें कब तक खोद दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में वर्ष 2003 से फरवरी, 2008 तक विभिन्न योजनान्तर्गत पंचायत समितिवार स्वीकृत हैण्डपम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा में वर्ष 2003 से माह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

फरवरी, 2008 तक विभिन्न मदों में लगाये गये हैण्डपम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उपरोक्त अवधि में लगाये गये हैण्डपम्पों में सें कोई भी हैण्डपम्प कोलेप्स नहीं हुआ है।

(4) पंचायत समिति, गोगुन्दा के 11 हैण्डपम्प एवं कोटड़ा के 20 हैण्डपम्प, कुल 31 हैण्डपम्प लगाये जाने शेष हैं। शेष समस्त हैण्डपम्प माह अप्रैल, 2008 तक लगाना लक्षित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर शहर की मानसी वाकल योजना के द्वितीय चरण से पेयजलापूर्ति

769. श्री शांति लाल चपलोत (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उदयपुर के पर्यटन महत्व को देखते हुये देवास योजना चरण 3 एवं 4 को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मानसीवाकल योजना से पीने के पानी को उदयपुर में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अभी द्वितीय चरण जिसका शिलान्यास हो चुका है, की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) देवास योजना चरण 3 एवं 4 को बनाने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय अनुसंधान करने हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय अनुसंधान पश्चात तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट के आधार पर योजना के चरण 3 एवं 4 को बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी हां। मानसीवाकल परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर परियोजना से उदयपुर शहर को योजना की निर्धारित क्षमता अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस परियोजना के माह दिसम्बर, 2007 में संशोधित स्वीकृत द्वितीय चरण के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा यह चरण दिसम्बर, 2009 तक

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पूर्ण करना प्रस्तावित है। योजना की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

देवास परियोजना द्वितीय चरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

देवास परियोजना द्वितीय चरण के दिनांक 15 फरवरी-2006 को शिलान्यास उपरांत परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। योजना का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। वर्तमान में मादड़ी, अकोदड़ा बांध, लिंक टनल एवं मुख्य टनल का कार्य प्रगति पर है। मादड़ी डेम के बाई वाश कटिंग तथा बेड वार का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। लिंक टनल की 1210 मीटर लम्बाई के विरुद्ध 201 मीटर की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। आकोदड़ा डेम की नींव की खुदाई, कंक्रीटिंग एवं चुनाई का कार्य प्रगति है। मुख्य टनल (11.05 कि.मी.) हेतु 3 पेकेजेज से तीन फर्मों को दिनांक 31.10.2007 को कार्य आबंटन किया गया है, जिनका कार्य प्रगति पर है एवं कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 9.11.2009 है। परियोजना पर वर्ष 2007-08 में राशि रु. 2380.00 लाख के बजट आबंटन हो चुका है। योजना पर 31.03.2007 तक राशि रु. 991.67 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 में दिनांक 29.02.2008 तक राशि रु. 522.32 लाख का व्यय हो चुका है। इस प्रकार योजना पर 29.02.2008 तक राशि रु. 1513.98 लाख का कुल व्यय हो चुका है। परियोजना के समस्त कार्य दिसम्बर-2009 तक पूर्ण होने सम्भावित है।

जोधपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु हाइड्रेन्टों पर वाटर मीटर

770. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर में आम नागरिकों की पेयजल मांग पर टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति के लिए किन-किन स्थानों पर राजकीय हाइड्रेन्ट उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हाइड्रेन्टों पर पेयजल किस दर से भरवाया जाता है?

(3) क्या हाइड्रेन्टों पर किये जा रहे पेयजल वितरण की गणना के लिए वाटर मीटर लगे हुए हैं? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में प्रतिमाह कितनी मात्रा में जल वितरण किया गया तथा इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(4) यदि वाटर मीटर नहीं लगे हुए हैं तो क्यों? हाइड्रेन्ट से पेयजल वितरण के नियम व प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में पेयजल की आकस्मिक मांग एवं अन्य उपयोग हेतु निम्नानुसार 4 स्थानों पर हाईड्रन्ट स्थापित है :-

1. झालामण्ड फिल्टर हाऊस
2. मसूरिया पम्पिंग स्टेशन
3. रातानाड़ा पम्पिंग स्टेशन
4. लालसागर पम्पिंग स्टेशन

(2) विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित दरों के आधार पर नियमानुसार जल शुल्क लिया जाता है। हाइड्रेन्टों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में जल शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। टैंकरों की निर्धारित क्षमता के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराया जाकर नियमानुसार जल शुल्क लिया जाता है। विगत वर्ष में हाइड्रेन्टों से प्रतिमाह उपलब्ध कराये गये पेयजल की मात्रा एवं प्राप्त राजस्व का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) उपरोक्तानुसार टैंकरों की भराव क्षमता अनुरूप नियमानुसार जल शुल्क की राशि विभाग द्वारा ली जा रही है।

मांग अनुरूप जल की उपलब्धता एवं राजस्व प्राप्ति की सुनिश्चिता होने पर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित घरेलू, अघरेलू एवं औद्योगिक जल शुल्क दरों का विवरण

जल उपभोग की मात्रा	निर्धारित दर रुपये प्रति 1000 लीटर		
	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक
15000 लीटर तक	1.56	4.68	11.00
15000 लीटर से अधिक व 40000 लीटर तक	3.00	8.25	13.75
40000 लीटर से अधिक	4.00	11.00	16.50

परिशिष्ट 'ब'

वर्ष 2006-07 में हाइड्रेन्टों से उपलब्ध कराये गये पेयजल की मात्रा एवं राजस्व वसूली का विवरण

माह	हाइड्रेन्टों से उपलब्ध कराये गये जल की मात्रा (लीटर में)	राजस्व प्राप्ति (राशि रुपये)
अप्रैल, 2006	1124000	7889.00
मई, 2006	3686000	36869.00
जून, 2006	254000	2708.00
जुलाई, 2006	1820000	14090.00
अगस्त, 2006	1890000	12277.00
सितम्बर, 2006	457000	5820.00
अक्टूबर, 2006	1084000	11301.00
नवम्बर, 2006	12780000	140045.00
दिसम्बर, 2006	1292000	101174.00
जनवरी, 2007	1397000	11000.00
फरवरी, 2007	4474000	45387.00
मार्च, 2007	1488000	13022.00
योग	**31746000**	**401582.00**

जयसमन्द-जावद पेयजल योजना के परिवर्तित प्रस्ताव

771. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द से जावद तक शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि जयसमन्द से जावद तक शुद्ध पेयजल योजना को जयसमन्द से जगत गांव तक जोड़ने के लिए परिवर्तित प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृत किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जयसमन्द झील को मुख्य पेयजल स्रोत लेकर स्वीकृत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पुनर्गठित क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजना जावद-अदवास-सेमाल में सम्मिलित 13 ग्रामों में से 5 ग्राम क्रमश: दवाणा, गामड़ी, जूनीझर, जावद एवं अदवास को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 8 ग्रामों को माह जून, 2008 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(2) योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।

ग्राम सालेरा (सहाड़ा) में ग्राम पंचायत समिति कूप से जलापूर्ति

772. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गांव सालेरा पंचायत समिति सहाड़ा में जनता जल योजना प्रारम्भ की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में जिस स्त्रोत से पानी दिया जाता है, वह जल पीने योग्य नहीं है तथा खारा है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये गये कुएं का पानी मीठा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मीठे पानी के कुएं से जलापूर्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, सहाड़ा के ग्राम सालेरा की पेयजल योजना का जनता जल योजना पद्धति पर संचालन एवं संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2002 से किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। उक्त ग्राम में 2 खुले कुओं से निर्धारित मानक अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) जी हां। उक्त ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणाधीन कुंए में उपलब्ध जल की गुणवत्ता पेयजल हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

ग्राम में उपरोक्तानुसार 2 खुले कुंओं से वर्तमान में निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान संदर्भ में अतिरिक्त स्त्रोत की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आवश्यकता होने पर विचार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति हेतु वरीयता सूची

773. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियंता (सिविल) के लिए उपसचिव प्रथम के पत्रांक प. 16/पी.एच.ई.डी./71 दिनांक 20 अप्रैल, 2000 द्वारा वरीयता सूची जारी की गई है? यदि हां, तो कितने सहायक अभियंता राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से व कितने सहायक अभियंता का विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयन किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वरीयता सूची को बनाने में अभियांत्रिकी सेवा नियम, 1968 के नियमों का पालन किया गया? यदि हां, तो जारी सूची में वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति के तहत पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियंता तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सहायक अभियंता का चयन किस अनुपात में किया गया व नहीं, तो क्यों? नियमों की प्रति सहित चयनित सहायक अभियंताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वरीयता सूची में संशोधन के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया है? यदि हां, तो कब व क्या? क्या सरकार निर्णय की पालना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से वर्षवार चयनित सहायक अभियंताओं (सिविल) की सूची आदेश दिनांक 20.04.2000 संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान सर्विस आफ इंजि. एण्ड एलाइड पोस्ट (पीएच ब्रान्च) नियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार चयनित किया गया है। चयनित अभियंताओं की सूची बिन्दु संख्या 1 के अनुसार संलग्न है।

(3) एस.बी.सी. पीटिशन नं. 4192/01 श्री भुवनेश चन्द्र माथुर बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 27.07.2006 (प्रति संलग्न) को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की पालना में इस विभाग द्वारा स्वमुखरित आदेश दिनांक 11.05.2007 (प्रति संलग्न) जारी किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के पुलिस थाना भवन का जीर्णोद्धार

774. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में अनेक थाना भवन जर्जर स्थिति में हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ का भवन सैंकड़ों वर्ष पुराना है एवं उसकी स्थिति बदतर है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुलिस थाना के भवन का जीर्णोद्धार/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर के कुल 19 थाना भवनों में से पुलिस थाना कोतवाली सीकर, नीम का थाना, लक्ष्मणगढ़ व दातारामगढ़ के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से मरम्मत करवाई जायेगी।

पीलवा (परबतसर) पुलिस थाना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, केरावलिया-नाड़ा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण

775. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर के पुलिस थाना पीलवा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केरावलिया नाड़ा के भवन निर्माण कार्य के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है? यदि हां, तो कब? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमं में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं द्वारा नामजद सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर के पुलिस थाना पीलवा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केरावलिया नाड़ा के भवन निर्माण कार्य के संबंध में मुकदमा नं.-89/07 दि. 7.8.07 धारा 143, 336, 379 भा.द.सं. व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट थाना पीलवा पर दर्ज किया गया। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त मुकदमे में कुल नामजद 13 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तगण 1. भंवराराम पुत्र झुवाराराम, 2. घासीराम पुत्र भागुराम, 3. चोलाराम पुत्र पुराराम, 4. बचनाराम पुत्र पुराराम, 5. श्रवणराम पुत्र भागुराम, जाति जाट, निवासीगण जावला की गिरफ्तारी की गई। मुकदमे में अभी अनुसंधान जारी है।

(3) प्रकरण हाजा में शिकायतकर्ता द्वारा नामजद किये गये 13 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष 8 अभियुक्तों की न्यायालय से अग्रिम जमानत स्वीकार हो चुकी है। मुकदमे में अभी अनुसंधान जारी है।

(एफ.आई.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस चौकी बस्सी (गंगरार) का क्रमोन्नयन

776. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कितने थाने व चौकियां संचालित हैं तथा उन पर किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुलिस चौकी बस्सी को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मात्रीकूण्डिया व कुंवालिया में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संचालित थाने व चौकियां तथा उनके स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	नाम थाना/चौकी	स्वीकृत पद					रिक्त पद				
		CI	SI	ASI	HC	FC	CI	SI	ASI	HC	FC
1	थाना गंगरार	1	-	5	4	17	1	-	1	1	1
2	चौकी साडास थाना गंगरार	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1
3	चौकी बस्सी थाना गंगरार	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
4	थाना राशमी	-	2	5	4	18	-	1	4	-	-
5	चौकी पहुना थाना राशमी	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
	योग	**1**	**2**	**12**	**11**	**45**	**1**	**1**	**5**	**1**	**2**

(2) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(3) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के दर्ज प्रकरण

777. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में राज्य में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन सब प्रकरणों में सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लचीले कानून प्रावधानों के चलते अपराधी उनका फायदा उठा कर छूट जाने के कारण सरकार इन कानूनों को और कड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन प्रावधानों में सरकार संशोधन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2007 में राज्य में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के 3 प्रकरण सामने आये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 143, 341, 336, 323 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत कार्यवाही की गई है। दोषियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 पर अंकित है।

(3) वर्तमान में ऐसे प्रकरणों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व इसके अन्तर्गत बने हुये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं, जो पर्याप्त हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फिल्म जोधा अकबर के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

778. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कितनी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फिल्म जोधा अकबर के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि संगठन करणी सेना द्वारा उक्त फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक किसी भी फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, ज्ञापन की प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजसमन्द जिले के कम्प्यूटरीकृत पुलिस थानों में प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति

779. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द के किस-किस पुलिस थानों पर सरकार द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कम्प्यूटरों को चलाने हेतु वांछित स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब कम्प्यूटर के सुचारू संचालन हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के थाना नाथद्वारा, खमनौर, राजनगर, कुवारिया, रेलमगरा, भीम, दिवेर एवं देवगढ़ को विधायक कोष से कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं।

थाना केलवाड़ा, चारभुजा एवं आमेट के लिए विधायक कोष से राशि स्वीकृत हुई है। कम्प्यूटर उपलब्ध होने शेष हैं।

(2) जी हां। पुलिस थाने के स्टाफ को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित कर दिया है।

(3) जी नहीं। अलग से कम्प्यूटर आपरेटर्स की बजाय थाने का स्टाफ को ही दक्ष बनाया जा रहा है।

निवाई (टोंक) में उप-कारागार की स्थापना

780. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये कारागार/उपकारागार खोलने के क्या नियम मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई कस्बे में तीन न्यायालय, दो राजस्व न्यायालय व वृताधिकारी (पुलिस) कार्यालय स्थित हैं?

(3) क्या सरकार उक्त कस्बे में उपकारागार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नये कारागार खोलनें क मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) निवाई कस्बे में निम्न न्यायालय स्थापित हैं :-

(क) न्यायिक अदालतें

1. न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,

2. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(ख) राजस्व एवं कार्यपालक मजिस्टेट अदालतें

उपखण्ड अधिकारी निवाई

2. न्यायालय तहसीलदार

निवाई में वृत्ताधिकारी (पुलिस) निवाई का कार्यालय भी स्थित है।

(3) जी नहीं। निवाई कस्बे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जिला कारागृह टोंक में बंदी रखे जाने की व्यवस्था सुविधापूर्वक उपलब्ध होने के कारण निवाई कस्बे में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बारां जिले में चम्बल की दाईं मुख्य नहर से सिंचित क्षेत्र

781. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में अंता एवं मांगरोल तहसील के किस-किस ग्राम में कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीनें चम्बल की दांई नहर से सिंचित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील अंता एवं मांगरोल में चम्बल की दांई मुख्य नहर से निकली किस-किस शाखा, उप शाखा, वितरिका, माइनर, सब माइनर एवं आउटलेट्स से किस-किस ग्राम के कितने-कितने काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि सिंचित होती है? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चम्बल की नहरों पर अंता एवं मांगरोल तहसील में किस-किस ग्राम में किस-किस स्थान पर साइफन एवं एक्वाडक्ट है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस वृत्त के अधीन चम्बल की दांई मुख्य नहर से दांई मुख्य नहर खण्ड द्वितीय, सीएडी, अन्ता के अधीन अन्ता एवं मांगरोल तहसील के 30931.60 हैक्टेयर क्षेत्र में 14590 कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। अन्ता एवं मांगरोल तहसील के सिंचित/लाभान्वित ग्रामों, कृषकों एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण संलग्न सूची 'अ' में वर्णित है।

(2) अन्ता एवं मांगरोल तहसील में चम्बल की दांई मुख्य नहर से निकलने वाली ब्रांच, सब ब्रांच, वितरिका, माइनर, सब माइनर एवं आउटलेट से सिंचित/ लाभान्वित होने वाले ग्राम, नहर, आउटलेट एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण संलग्न सूची ''ब'' में वर्णित है।

(3) चम्बल की दांई मुख्य नहर पर अन्ता एवं मांगरोल तहसील में स्थित नहरों, माइनरों में बने हुए साईफन, एक्वाडक्ट का विवरण संलग्न सूची ''स'' में वर्णित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त आयुर्वेद कर्मी

782. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद नर्स/ कम्पाउंडरों को संविदा पर नियुक्ति दिये जाने बाबत किन-किन जिलों में कितने कितने पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विज्ञप्ति की अनुपालना में किन-किन जिलों में कितने-कितने प्रतिशत वाले कितने-कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नियुक्ति देने के उपरान्त अब किन-किन जिलों में कितने-कितने पद नियुक्ति हेतु रिक्त हैं? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार, रिक्त पदों पर अब कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती है?

उत्तर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डरों को संविदा पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई हैं जिसकी जिलेवार एवं श्रेणीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विज्ञप्ति की अनुपालना में सभी जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक कुल 584 आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डरों को संविदा पर नियुक्ति दी जा चुकी हैं। जिसकी जिलेवार एवं श्रेणीवार प्रतिशत की सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) नियुक्ति देने के उपरान्त रिक्त रहे पदों का जिलेवार एवं श्रेणीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(4) आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डरों के रिक्त पदों पर जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रियाधीन हैं जो शीघ्र पूरी कर ली जावेंगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता

783. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में कितने रैफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रैफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र को विभिन्न योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों/उपकरण क्रय करने एवं अन्य कार्यों हेतु राशि उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक किस-किस योजनान्तर्गत किन-किन अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों को किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना बजट उपलब्ध करवाया गया? क्या उक्त बजट के अतिरिक्त उन्हें कोई उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कब-कब व कौन-कौन से?

(3) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीन एवं एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां कहां पर व कब से? तथा उक्त सुविधाओं से वंचित उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीन एवं एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना

प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (रैफरल अस्पताल) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सामुदायिक केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों/उपकरण क्रय करने एवं अन्य कार्य हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक जिन-जिन योजनाओं में राशि उपलब्ध कराई गई है तथा उपकरण उपलब्ध करवाये गए हैं उनका विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जिला बीकानेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाजूवाला में माह अक्टूबर 2005 से सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध है। बीकानेर जिले के शेष विकास खण्ड मुख्यालयों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

जिला बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिन पर रोगी वाहन उपलब्ध है उनके नाम एवं उपलब्धता की अवधि का विवरण निम्न प्रकार है-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	**रोगी वाहन उपलब्ध कराने की अवधि**
नोखा	02/2007
डूंगरगढ़	06/2006
खाजूवाला	02/2005
लूणकरणसर	06/2006

आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी वाहन उपलब्ध कराने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिला बीकानेर के शेष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी वाहन उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा जिले में परिवार नियोजन योजनान्तर्गत व्यय राशि

784. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्री नवनीत नीनामा)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कराने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2007-08 में फरवरी, 2008 तक जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा में पुरुष व महिलाओं की कितनी नसबन्दी की गई? महिलाओं व पुरुष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत नसबंदी कराने वाली प्रत्येक महिला को सरकार द्वारा 600/- रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जा रहे है।

(2) वर्ष 2007-08 से 13 फरवरी, 2008 तक जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा महात्मा गांधी चिकित्सालय में 52 पुरुषों एवं 8012 महिलाओं की नसबंदी की गई।

नर्सिंग ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय के रिक्त पद

785. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड प्रथम व द्वितीय के अनेक पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड प्रथम के 14 पद एवं नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड द्वितीय के 27 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड प्रथम व द्वितीय के पद पदोन्नति के हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव होगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली का क्रमोन्नयन

786. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में 50, 100 एवं 100 से अधिक शैय्या सुविधा सम्पन्न कौन-कौन से राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर कब से किन सुविधाओं के साथ व जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर संचालित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला पाली के बाली, रानी, सादड़ी, बेडा, सुमेरपुर आदि की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व बी.पी.एल. चयनित आबादी रोगियों को विशेषज्ञों व सर्व सुविधा सम्पन्न उपचार के लिए 80 से 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने के उपरान्त ही पाली जिला मुख्यालय राजकीय अस्पताल पर पहुंचना पड़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/ जनजाति व बी.पी.एल. चयनित रोगियों के हितार्थ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली को 50 शैय्या सुविधा से बढ़ाकर 100 शैय्या में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला पाली में 50,100 एवं 100 से अधिक शैय्या सुविधा सम्पन्न चिकित्सालयों के नाम, चिकित्सालय कब से स्थापित है एवं उनकी जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है तथा इन चिकित्सालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। पाली जिले के बाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिसिन, सर्जरी, शिशु, नेत्र, स्त्री रोग एवं हड्डी रोग के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं ब्लड स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमेरपुर में मेडिसिन, सर्जरी, शिशु एवं स्त्री रोग के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं। इसी प्रकार रानी, बेड़ा एवं सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्जरी एवं मेडिसिन के कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं।

अतः उक्त वर्णित कस्बों के नागरिकों को सामान्यतः 80 से 100 किलोमीटर की यात्रा कर उपचार कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

(3) माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली में शैय्या बढ़ाने की घोषणा की है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सावर (केकड़ी) के राजकीय शशिकुमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

787. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी का राजकीय शशिकुमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सावर किस श्रेणी का चिकित्सालय है?

(2) क्या चिकित्सालय में चिकित्सालय श्रेणी के अनुसार पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किस श्रेणी के कौन-कौन से पद? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में चिकित्सालय में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सावर में वर्तमान में 30 शैय्याऐं स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। 30 शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सावर में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, सर्जरी, फार्मासिस्ट एवं वरिष्ठ लिपिक के एक-एक पद कम स्वीकृत हैं।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सावर में वर्तमान में स्टाफ के 11 पद रिक्त हैं।

जी हां। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से नर्स श्रेणी द्वितीय के चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो गई है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सहायक रेडियाग्राफर के रिक्त पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्थाई रोक लगा रखी है। रोक हटते ही पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

एम.पी.डब्ल्यू. के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हैं। प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सकेगी।

वाहन चालक, वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव हेतु आर्थिक सहायता

788. श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार महिलाओं को सुरक्षित वं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई?

(2) क्या सरकार राज्य में टी.बी. रोगियों को उनके गांव में ही नि:शुल्क औषधि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक कितनी राशि की औषधि वितरित की गई?

(3) क्या सरकार राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में निरन्तर बढ़ रहे रोगी भार को कम करने हेतु कोई नया चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां पर?

उत्तर

(1) महिलाओं को सुरक्षित व संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन करने हेतु राज्य में सितम्बवर, 2005 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। योजना के प्रारम्भ से जनवरी 2008 तक 10 लाख 23 हजार 743 महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(2) संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में प्रारम्भ से ही औषधियां जिलेवार त्रैमासिक मांग के अनुसार भारत सरकार द्वारा नि:शुल्क सप्लाई होती हैं।

(3) माननीया मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा विधान सभा में दिनांक 29.02.2008 को राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी झोटवाड़ा को 30 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

आगामी वित्तीय वर्षों में 50 शैय्याओं युक्त चिकित्सालय खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पुरानी बस्ती जयपुर में 50

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शैय्याओं युक्त चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में बढ़ रहे रोगी भार को कम करने हेतु उक्त चिकित्सालय परिसर में पृथक से ओ.पी.डी. तथा ओ.टी. काम्पलेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चिकित्सालय परिसर में ही पृथक से नये अस्पताल भवन (चरक भवन) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार मानसरोवर जयपुर में 250 शैय्याओं के नये चिकित्सालय भवन (मानस आरोग्य सदन) का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

सेटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में रिक्त पद

789. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) का सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन कब किया गया?

(2) सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नति वर्ष से अब तक यहां चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शाहपुरा के सेटेलाइट चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में राजस्थान में कहां-कहां चिकित्सकों के पद अधिशेष हैं एवं कितने चिकित्सक पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं? क्या सरकार समानीकरण/अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से शाहपुरा सेटेलाइट अस्पतालों के चिकित्सकों के पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार सेटेलाइट चिकित्सालय शाहपुरा में डाक्टरों के आवास हेतु क्वार्टर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 12.11.1984 के आदेश द्वारा शाहपुरा (भीलवाड़ा) में सेटेलाइट चिकित्सालय स्थापित किया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) सेटेलाइट चिकित्सालय स्थापना आदेश द्वारा 14 चिकित्सकों के पद स्वीकृत किये गये। वर्तमान में भी चिकित्सकों के 14 पद ही स्वीकृत हैं, कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) राज्य में 79 चिकित्सक अधिशेष हैं तथा 8 चिकित्सक पदस्थापन की प्रतीक्षा में है।

जी हां। स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर सेटेलाइट चिकित्सालय शाहपुरा (भीलवाडा) में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) आगामी वित्तीय वर्षों में डाक्टरों के आवास बनाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सेटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा में डाक्टरों के आवास बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट–अ

सेटेलाइट (चिकित्सालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) में वर्तमान में चिकित्सकों के

पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	01	2/07
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	01	2/07
चिकित्सा अधिकारी (दंत)	01	10/05
चिकित्सा अधिकारी	07	11/02
		12/02
		8/04
		7/05
		11/05
		11/06
		2/07

कितने पद कब से रिक्त हैं का विवरण निम्न प्रकार है

देसूरी/सादड़ी के दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में ट्रोमा वार्ड की स्थापना

790. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार देसूरी व सादड़ी के दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र के समीप स्थित निजी चिकित्सालयों में ट्रोमा वार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। आकस्मिक दुर्घटना के लिए निजी चिकित्सालयों को मेडीको लीगल (एम.एल.सी.) हेतु अधिकृत करने पर विचार किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निजी क्षेत्रों की सहभागिता

791. श्री राईया मीणा (आसपुर) एवं **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में चिकित्सा संस्थानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने हेतु किस दिनांक को आदेश जारी किये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में किस-किस चिकित्सा संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सा संस्थान किस-किस संस्था को किन-किन नियम व शर्तों पर दिये गये? जारी स्वीकृति एवं अनुबंध-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के चिकित्सा संस्थानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(2) राज्य के चिकित्सा संस्थानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मेवदा बांध, कपासन का नहर निर्माण कार्य

792. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कौन-कौनसी नहरें कच्ची अथवा पक्की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कच्ची नहरों को कब तक पक्की करा दिया जावेगा? विवरण

(श्री बद्रीलाल जाट)

सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन में मेवदा बांध से मेवदा के लिए लिफ्ट द्वारा सिंचाई कार्य की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में जल संसाधन विभाग की कच्ची व पक्की नहरों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) कच्ची नहरों को पक्का करने का कार्य आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में मेवदा बांध से मेवदा के लिए लिफ्ट द्वारा सिंचाई कार्य की योजना बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

क्र. सं.	योजना का नाम	नहर का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	कच्ची नहर की लम्बाई (कि.मी. में)	पक्की नहर की लम्बाई (कि.मी. में)
1	भोपालसागर	नहर नम्बर 1	3.75	2.50	1.25
		नहर नम्बर 2	9.00	7.00	2.00
		नहर नम्बर 3	8.50	6.00	2.50
		नहर नम्बर 4	13.50	10.35	3.15
		नहर नम्बर 5	2.40	1.50	0.90
2	कपासन	दांयी मुख्य नहर	2.70	1.70	1.00
		बांई मुख्य नहर	3.65	1.90	1.75
3	सरोपा	दांयी मुख्य नहर	1.20	1.00	2.20
		बांई मुख्य नहर	4.05	3.85	0.20
4	अरनिया	दांयी मुख्य नहर	3.60	2.00	1.60
		बांई मुख्य नहर	4.90	3.00	1.90
5	धमाणा	दांयी मुख्य नहर	2.70	1.70	1.00
		बांई मुख्य नहर	3.65	1.90	1.75
6	कांकरिया	दांयी मुख्य नहर	2.50	1.50	1.00

क्र. सं.	योजना का नाम	नहर का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	कच्ची नहर की लम्बाई (कि.मी. में)	पक्की नहर की लम्बाई (कि.मी. में)
		बांई मुख्य नहर	4.00	3.00	1.00
7	मेवदा	दांयी मुख्य नहर	3.15	2.10	1.05
		बांई मुख्य नहर	3.45	2.30	1.15
8	पटोलिया	दांयी मुख्य नहर	1.65	1.00	0.65
		बांई मुख्य नहर	1.50	1.10	0.40
			79.85	**55.4**	**26.45**

जल संसाधन विभाग के अधीन आने वाले विभिन्न बांधों की नहरों की सूचना

बारां जिले की विचाराधीन/प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं

793. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में कितनी-कितनी सिंचाई परियोजना कहां-कहां पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अहमदी, हथियादह, मध्यम सिंचाई परियोजना व अकावद सिंचाई परियोजना को बजट भाषण में सरकार द्वारा स्वीकृत करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितनी सिंचाई परियोजनाओं का कहां-कहां पर कार्य प्रारम्भ हुआ? तथा सरकार उक्त परियोजनाओं को स्वीकृत कर कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बारां जिले में प्रस्तावित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। किसी भी योजना का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

जी हां। अहमदी लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति दिनांक 15.05.2007 को रुपये 1893 लाख की जारी की जा चुकी है। हथियादेह (मध्यम सिंचाई परियोजना) एवं अकावद (परवन वृहद सिंचाई परियोजना) की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ही जारी की जा सकेगी। स्वीकृति के पश्चात इन

योजनाओं में आने वाले वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन की अनुमति वन विभाग से मिलने के बाद ही कार्य आरम्भ कराये जा सकेंगे।

क्र. सं.	योजना का नाम	विवरण
1.	हथियादेह मध्यम सिंचाई योजना	इंटरस्टेट क्लीयरेन्स हेतु मध्यप्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले में वन विभाग को अन्य भूमि आबंटित करने का प्रकरण जिला कलक्टर, बारां के पास विचाराधीन है।
2.	अंधेरी मध्यम सिंचाई योजना	इंटरस्टेट क्लीयरेन्स हेतु मध्यप्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है।
3.	सेमलीफाटक लघु सिंचाई योजना	परियोजना रिपोर्ट तैयार होने की प्रक्रिया में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, सम्भाग, कोटा में लम्बित है।
4.	नवेली लघु सिंचाई योजना	
5.	राडी लघु सिंचाई योजना	

प्रपत्र 'अ'

बारां जिले में प्रस्तावित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का विवरण

पाली जिले के छात्रावासों के रसोइयों का स्थाईकरण

794. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला पाली के समाज कल्याण छात्रावासों में अस्थाई रसोइयों के पद पर कौन-कौन कब से कार्यरत है? क्या सरकार इन अस्थाई रसोइयों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला पाली में समाज कल्याण छात्रावासों में लगे अंशकालीन रसोइयों का विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है? उक्त अंशकालीन रूप से कार्य कर रहे रसोइयों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नियमित किया जाना संभव होगा।

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	रसोइयां	
		नाम	कब से
1.	राजकीय छात्रावास जैतारण	सोनाराम टीकम चन्द	07-1996

1	2	3	4
2.	राजकीय छात्रावास फालना	भंवरलाल	07-1996
3.	राजकीय छात्रावास सोजतसिटी (ब)	-	-
4.	राजकीय छात्रावास सादड़ी	-	-
5.	राजकीय छात्रावास आनन्दपुर कालू	प्रेम देवी	10-1995
6.	राजकीय छात्रावास सुमेरपुर	-	-
7.	राजकीय छात्रावास खौड	नैनू देवी	7-2004
8.	राजकीय छात्रावास बूसी	सागर	07-1997
9.	राजकीय छात्रावास बगडी नगर	शोभा देवी	07-1997
10.	राजकीय छात्रावास रास	कंचन देवी	07-2006
11.	राजकीय छात्रावास पाली (कन्या)	-	-
12.	राजकीय छात्रावास रायपुर	-	-
13.	राजकीय छात्रावास काणुजा	मोहन लाल	07-2005
14.	राजकीय छात्रावास देवली कलां	संपत	07-2005
15.	राजकीय छात्रावास सेवाडी	-	-
16.	राजकीय छात्रावास रानी	-	-
17.	राजकीय छात्रावास नाडोल	हकाराम	07-1998
18.	राजकीय छात्रावास बेडा	जनुदेवी	01-1991
19.	राजकीय छात्रावास रोहट	कनकी देवी	07-1998
20.	राजकीय छात्रावास निमाज (कन्या)	पुष्पा	07-2005
21.	राजकीय छात्रावास सादडी (कन्या)	मोतकी देवी	01-03-2005
22.	राजकीय छात्रावास मुण्डारा (कन्या)	भागवंती	14-08-2006
23.	राजकीय छात्रावास सुमेरपुर (कन्या)	गंगा देवी	11-2006
24.	राजकीय छात्रावास पाली (ब)	भेरा राम	01-2008
25.	राजकीय छात्रावास बाली	तोलाराम	28-11-1999
26.	राजकीय छात्रावास सोजत सिटी (स)	जडावबाई	08-2006
27.	राजकीय छात्रावास देसूरी	नैनाराम भील	11-11-2005
28.	राजकीय छात्रावास मारवाड जं.	भंवरी देवी	07-1997
29.	राजकीय छात्रावास पाली (स)	जयराम	01-11-2007
30.	राजकीय छात्रावास नाणा (अनुदानित)	-	-

परिशिष्ट-1

जिला कार्यालय पाली में कार्यरत अंशकालीन रसोइये का विवरण

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में अल्पसंख्यकों का आरक्षण

795. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है? यदि हां, तो जनवरी, 2007 से अब तक दिये गये आरक्षण का प्रतिशत व संख्या विवरण योजनावार व जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से उक्त आरक्षण हेतु कोई पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो किए गये पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा दलित इसाइयों को अल्पसंख्यक आरक्षण में शामिल करने के संबंध में केन्द्र को पत्र लिखकर प्रतिरोध किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राज्य पोषित योजनाओं में भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देकर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान का विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां तक सम्भव हो विभिन्न योजनाओं में 15 प्रतिशत लक्ष्य व बजट अल्पसंख्यकों के लिए चिन्हित करने के संबंध में निर्देश हैं जिनकी यथासम्भव क्रियान्विति की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। परन्तु सरकार दलित इसाइयों को अल्पसंख्यक आरक्षण में शामिल करने के विरुद्ध है।

(4) भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में अल्पसंख्यकों के

आरक्षण का प्रावधान करने के पश्चात ही इस विषय का परीक्षण किया जा सकेगा।

विकलांग एवं नि:शक्त जनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता

796. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विकलांग व नि:शक्त व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की क्या योजना है?

(2) इस योजना के तहत विकलांग व नि:शक्त जन को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता किस प्रकार व कितनी राशि मुहैया करायी जाती है व उस राशि के पुनर्भुगतान की क्या प्रणाली है?

(3) क्या यह सही है कि जिस परिवार में दो या दो से अधिक विकलांग व्यक्ति है ऐसे परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) विकलांग व नि:शक्त व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में विकलांगों को ''विस्वास'' स्वरोजगार सहायता योजना, कृत्रिम अंग, उपकरण एवं संयुक्त आर्थिक सहायता योजना, मोबाइल कियोस्क (बहुउद्देशीय ट्राई साईकिल) योजना, 'विकलांग पेंशनधारी को स्वरोजगार हेतु एकमुश्त रुपये 15,000/- प्रदान करने की योजना' तथा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनान्तर्गत सस्ती दरों एवं आसान पुनर्भरण किश्तों पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने की योजनाएं हैं।

(2) योजना के तहत विकलांग एवं नि:शक्त व्यक्ति को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया, सहायता की राशि एवं पुनर्भरण योग्य दी गई आर्थिक सहायता अन्तर्गत पुर्नभुगतान की प्रणाली का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जिस परिवार में दो या दो से अधिक विकलांग व्यक्ति हैं। ऐसे परिवारों को बी.पी.एल. परिवार के तुल्य राज्य सरकार की योजनाओं में

सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधुर/परित्यक्त पुरुषों को जीवन निर्वाह हेतु विशेष सुविधाएं

797. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिस प्रकार से विधवा, परित्यक्ता आदि श्रेणी की महिलाओं को पेंशन व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा देती है ठीक इसी प्रकार की सुविधा विधुरों, परित्यक्त पुरुष तथा आजन्म अविवाहित (पुरुष) को भी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2008)

बारां जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

26. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में वृद्धावस्था पेंशन से किस-किस ग्राम पंचायत के किस-किस ग्राम में किस-किस पुरुष, महिला को माह जनवरी, 2008 में लाभान्वित किया जा रहा है? नाम पते सहित गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन से किस-किस ग्राम में किस किस दिनांक से किस-किस महिला को माह जनवरी, 2008 में लाभान्वित किया जा रहा है? नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में विकलांग पेंशन से किस-किस ग्राम पंचायत के किस किस ग्राम में किस-किस पुरुष, महिला व बच्चों को लाभान्वित किस-किस दिनांक से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में जनवरी, 2008 में वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित पुरुष एवं महिला का ग्रामवार नाम पते सहित विवरण परिशिष्ट-1 सदन के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पटल पर रख दिया गया है।

(2) जिले में विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन से जनवरी, 2008 में लाभान्वित महिलाओं के ग्रामवार नाम पते दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जिले में विकलांग पेंशन से लाभान्वित पुरुष, महिला, बच्चों का ग्रामवार, पंचायतवार दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-3 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008

गंगरार विधान सभा क्षेत्र में पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन

209. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगारार) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में विधान सभा क्षेत्र गंगरार के कितने आवेदन प्राप्त हुये एवं कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में लम्बित आवेदनों पर विचार कर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत दिनांक 14.08.2006 से 31.01.2008 तक विधान सभा क्षेत्र गंगरार के कुल 40 आवेदन प्राप्त हुये। इनमें से 12 सामान्य मृत्यु के दावों के विरुद्ध राशि रुपये 30000 प्रति आवेदक की दर से एवं एक दुर्घटना दावे के विरुद्ध आवेदक को राशि रुपये 75000 की दर से भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल राशि रुपये 4.35 लाख का भुगतान किया गया। सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। योजना के लम्बित आवेदनों में आवश्यक कमी पूर्ति के पश्चात् भुगतान किया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	विभाग का नाम	उपलब्ध वेन्टीलेटर
1	सी.टी. सर्जरी आई.सी.यू.	06
2	मेडिकल आई.सी.यू.	06
3	न्यू मेडिकल आई.सी.यू. (इमरजेंसी स्थित)	04
4	सर्जिकल आई.सी.यू.	05
5	कार्डिक आई.सी.यू.	01
6	पोलीट्रोमा वार्ड	01
7	पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र (आर.आर.सी.)	01
8	नेफ्रोलोजी विभाग	01
9	न्यूरो सर्जरी आई.सी.यू.	06
	कुल	**33**

(तारांकित प्रश्न संख्या-380)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में स्थापित वेन्टीलेटर विभागवार स्थिति

नोट :- (1) उपरोक्त में से 13 खराब हैं तथा 20 काम में आ रहे हैं।

(2) खण्ड 1 के जवाब के अनुसार कुल 23 नये वेन्टीलेटर शीघ्र उपलब्ध हो जायेंगे।

(3) इस वर्ष (2007-08) में खरीदे जाने वाले तीनों वेन्टीलेटर में से 2 न्यूरो सर्जरी आई.सी.यू. तथा एक सर्जरी आई.सी.यू. में शीघ्र

स्थापित किये जायेंगे।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-283)

परिशिष्ट-अ

शीतलहर एवं पाला से प्रभावित गांवों की सूची

क्र.सं.	तहसील क्षेत्र	75 से 100 प्रतिशत खराबे वाले गांवों की सूची		विशेष विवरण
		क्र.सं.	गांव का नाम	
1	नावां	1	शिवदानपुरा	
(2) 50 से 74 प्रतिशत खराबे वाले गांवों की सूची :-				
क्र.सं.	**तहसील क्षेत्र**	**50 से 74 प्रतिशत खराबे वाले गांवों की सूची**		**विशेष विवरण**
		क्र.सं.	**गांव का नाम**	
1	नावां तहसील क्षेत्र	1	पांचवा	
2		2	शेषमा का बास	
3		3	सरदारपुरा	
4		4	सुजानपुरा	
5		5	गोपालपुरा	
6		6	जसवंतपुरा	
7		7	जिलियां	
8		8	चान्दपुरा	
9		9	चारणवास (जि.)	
10		10	सबलपुरा	
11		11	परेवड़ी	
12		12	करकेड़ी	
13		13	राजपुरा	
14		14	चितावा	
15		15	जीजोट	
16		16	रामपुरा	
17		17	लाम्बा	
18		18	कोटड़ा	

1	2	3	4	5
19	नावां तहसील क्षेत्र	19	देवनगर	
20		20	टोडास	
21		21	नालोट	
22		22	भींचरो का बास	
23		23	लोरो का बास	
24		24	शिव	
25		25	छापरी	
26		26	प्रेमपुरा	
27		27	काकोट	
28		28	बुन्टीनाथपुरा	
29		29	भवानीपुरा	
30		30	बरालपुरा	
31		31	शिव पूर्वी	
32		32	अड़कसर	
33		33	दौलतपुरा	
34		34	सुरतपुरा	
35		35	हुडील	
36		36	नेहरुनगर	
37		37	चारणवास (हु.)	
38		38	लालास	
39		39	खोरण्डी	
40		40	भीलाल	
41		41	खोरण्डा	
42		42	गांधी ग्राम	

(1) 75 से 100 प्रतिशत खराबे वाले गांवों की सूची :-

ह./-

जिला कलक्टर (सहायता)

नागौर

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक.एफ.1(2)(2)आ.प्र.एवं सआ/ओ.वृ./08/1784-1816

जयुपर, दिनांक 15.02.08

समस्त जिला कलक्टर

राजस्थान।

विषय : शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

माह जनवरी व फरवरी, 2008 में राज्य में हुई शीतलहर एवं पाले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :-

1. जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उनमें सीमान्त कृष्कों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु, एवं वृहत कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक, कृषि आदान अनुदान निम्न प्रकार देय होगा :-

   असिंचित फसल पर – 3000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

   सिंचित फसल पर – डीजल इंजन से सिंचित – 6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

   बिजली के कुओं व नहर से सिंचित – 4000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

2. बोई गई फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

3. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान होगा उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।

4. प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

5. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु, सीमान्त कृषक के अनुसार आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

6. राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि रबी फसल में पाला एवं शीतलहर से हुए नुकसान की वास्तविक गिरदावरी माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक कराकर पैकेज के अनुसार कृषकों को उपरोक्तानुसार सहायता वितरित की जाये। तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा की रिपोर्ट सूखा प्रबन्धन संहिता के प्रत्र 7 (डी) के अनुसार तैयार करवाकर एवं फसल खराबे की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को पृथक-पृथक उपलब्ध कराई जाये, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा सके। अगर जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा नहीं हुआ हो तो भी यह सूचना अवश्य भिजवाये कि जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत व इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव